उच्च शिक्षा प्रकाशन—१

उत्तर प्रदेश

में

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद

अप्रैल १९८२

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा निदेशालय

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

अप्रैल १९८२

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No....2444....
Date.....1/5/87.....

विषय सूची

अध्याय		पृष्ठ संख्या
१—उच्च शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास	...	१–३
२—स्वातंत्र्योत्तर काल में उच्च शिक्षा	...	४–२१
३—प्रदेश की उच्च शिक्षा का अन्य प्रदेशों से तुलनात्मक अध्ययन	...	२२–२३
४—उच्च शिक्षा के विकास में प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका	...	२४–२७
५—उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियाँ	...	२८–३१
६—उच्च शिक्षा पर व्यय	...	३२–३४
७—छठीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के विकास-कार्यक्रम	...	३५–४०
८—परिशिष्ट	...	४१–७४

प्राक्कथन

१९४७ के पश्चात् उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालय शिक्षा) का तीव्र गति से विकास हुआ है। प्रदेश शासन उच्च शिक्षा के विकास और उत्थान के लिए सदा ही सजग रहा है। प्रारम्भ में एक शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रदेश की सभी शिक्षा संस्थाओं का संचालन होता था, परन्तु उच्च शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास तथा महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने १९७२ में पृथक उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना की। वर्ष १९८०-८१ में उच्च शिक्षा को सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित करने के उद्देश्य से शासन ने विश्वविद्यालय क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया। इसके फलस्वरूप गोरखपुर तथा झाँसी में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना हुई तथा उच्च शिक्षा निदेशालय पर एक सूचना एवं विकास सेल का गठन हुआ।

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में नियमित रूप से प्रकाशन निकालने की आवश्यकता काफी समय से अनुभव की जा रही थी। इस प्रकार का प्रकाशन न केवल उच्च शिक्षा के संबंध में जनमानस के लिये सूचना का स्रोत होगा, बल्कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नीति निर्धारण एवं भावी नियोजन करने में भी उससे पर्याप्त सहायता मिलेगी। सूचना एवं विकास सेल की स्थापना के पश्चात् उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में इस वर्ष से प्रकाशन निकालने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों से वर्ष १९८०-८१ के सम्बंध में कतिपय सूचनायें मांगी गईं। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर यह प्रथम प्रकाशन प्रस्तुत है। इसमें यह प्रयास किया गया है कि उच्च शिक्षा के विविध पहलुओं की सामान्य जानकारी एक स्थान पर दी जाय। वर्ष १९४७ से उच्च शिक्षा एवं महिला शिक्षा का प्रसार, शासन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उच्च शिक्षा के सुदृढ़ीकरण में योगदान, छठीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं तथा उन पर व्यय आदि की सूचना देने का प्रयास इस प्रकाशन में किया गया है। इस प्रकार के प्रकाशन भविष्य में भी समय-समय पर निकाला जाना प्रस्तावित है। मुझे आशा है कि यह प्रथम प्रकाशन उपयोगी सिद्ध होगा।

अप्रैल, १९८२

सतीश चन्द्र गुप्त

शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा

गवर्नर
उत्तर प्रदेश

राज भवन
लखनऊ
अप्रैल २७, १९८२

सन्देश

हर्ष और सन्तोष की बात है कि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रदेश में उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में नियमित रूप से प्रकाशन निकालने की योजना बनाई है और इसके लिये निदेशालय में एक सूचना तथा विकास सेल की स्थापना हो चुकी है।

उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में नियमित प्रकाशन निकालने की योजना का सर्वत्र स्वागत होगा। मुझे आशा है कि इन प्रकाशनों के माध्यम से जहाँ एक ओर जन-साधारण को उच्च शिक्षा के बारे में आवश्यक जानकारी मिलेगी वहीं दूसरी ओर ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नीति-निर्धारण तथा भावी कार्यक्रम तैयार करने में भी सहायक होंगे।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि इस प्रकाशन शृंखला की पहली कड़ी के रूप में निदेशालय द्वारा 'उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा' का प्रकाशन किया जा रहा है जिसमें प्रदेश में उच्च शिक्षा के बारे में तमाम आवश्यक सामग्री का समावेश किया जायगा। मुझे भरोसा है यह प्रकाशन सभी सम्बन्धित लोगों के लिये उपयोगी सिद्ध होगा।

उच्च शिक्षा से संबंधित नियमित प्रकाशनों की योजना तथा इस योजना के अंतर्गत प्रथम प्रकाशन की सफलता के लिये मेरी शुभ कामनाएँ।

च० प्र० ना० सिंह

विश्वनाथ प्रताप सिंह
मुख्य मंत्री
उत्तर प्रदेश

विधान भवन
लखनऊ
अप्रैल २९, १९८२

सन्देश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा "उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा" प्रकाशनों की प्रथम कड़ी के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

आशा है इन प्रकाशनों से उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में जन साधारण की जानकारी में वृद्धि होगी तथा नीति निर्धारण एवं भावी नियोजन में भी इनका उपयोग किया जा सकेगा।

मैं प्रकाशन की सफलता की कामना करता हूँ।

विश्वनाथ प्रताप सिंह

MINISTER OF
EDUCATION & SOCIAL WELFARE
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI--110001
March 20, 1982

MESSAGE

I am glad to know that the Directorate of Higher Education in Uttar Pradesh proposes to bring out a Bulletin in Hindi entitled "उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा" dealing with various aspects of Higher Education in the State.

Education is a crucial input in human resource development and has a prominent place in our strategy for national developmental efforts. Education should prepare the young generation as responsible citizens, and develop in them a scientific outlook It should develop in them an awareness of their rights and responsibilities and sensitise them to ethical, social and cultural values which make an enlightened nation It should impart a citizen knowledge, skills, attitudes and values which would enable him to contribute to the productive programmes of our development eflorts. Quality in the field of education is important at all levels and specially in higher education. Quality should be not only in terms of academic excellence in curricula, methods of teaching or evaluation but also in the improvement of the organisation, delivery systems and supporting services. We have in our plans several programmes to achieve these objectives. An unfortunate gap in the successful implementation of most of these programmes is the absence of meaningful communication between those responsible for the formulation of policies and programmes and their execution and the larger academic community. I do hope that the Bulletin which the Directorate proposes to bring out regularly, will be able to bridge this gap effectively.

My best wishes for the success of your publication.

Sheila Kaul

Dr. Madhuri R. Shah
CHAIRMAN

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI—110002
April 16, 1982

MESSAGE

I am happy to learn that the Directorate of Higher Education in U. P. is bringing out a bulletin in Hindi entitled "Uttar Pradesh Men Uchch Shiksha". The need and relevance of such a periodical in the most populous state in the country, with largest number of Universities, colleges and institutions of higher learning can not be over emphasised. I hope that this bulletin, besides disseminating periodic information on regular basis on the progress of higher education in the State in particular and the country in general, would also promote generate discussion on important issues like academic standards, examination reforms, education of women, restructuring of system of higher education with a view to making it more relevant to the needs of the community, autonomous colleges etc.

I send my good wishes for the success of the venture.

Madhuri R. Shah

MEMBER
PLANNING COMMISSION
YOJANA BHAVAN
NEW DELHI—110001
2nd March, 1982

MESSAGE

I am very happy to learn about the Journal you are bringing out on education. Education is the key to national development and hence I wish your journal much success

M. S. Swaminathan

चौधरी नौनिहाल सिंह
शिक्षा, सांस्कृतिक कार्य
तथा खेलकूद मंत्री
उत्तर प्रदेश शासन

विधान भवन,
लखनऊ ।
दिनांक, अप्रैल २६, १९८२

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ कि उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा "उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा" पत्रिका प्रकाशित होने जा रही है । शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में इस प्रकार की पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है । यह वास्तव में प्रशंसनीय प्रयत्न है कि इस प्रकाशन में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे—जिले तथा क्षेत्रवार उच्चशिक्षा का प्रसार, महिला शिक्षा, शासन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का योगदान, छठीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनायें, उच्च शिक्षा पर व्यय आदि बिन्दुओं पर प्रकाश डाला जाएगा । इस प्रकार का प्रकाशन न केवल उच्च शिक्षा के संबंध में जन-सामान्य के लिए सूचना का स्रोत होगा, परन्तु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नीति-निर्धारण एवं भावी नियोजन करने में भी उससे पर्याप्त सहायता मिलेगी । इस अवसर पर मैं पत्रिका से सम्बंधित सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बधाई देता हूँ तथा पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए अपनी शुभ कामनाएँ भेजता हूँ ।

नौनिहाल सिंह

रमेश चन्द्र त्रिपाठी
शिक्षा सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

विधान भवन
लखनऊ
१ मार्च, १९८२

संदेश

मुझे यह जानकर परम हर्ष है कि आपने "उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा" प्रकाशन तैयार कर लिया है और अप्रैल १९८२ में इसके निकलने की सम्भावना है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का प्रकाशन शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। मैं इस प्रकाशन की सफलता की कामना करता हूँ।

रमेश चन्द्र त्रिपाठी

अध्याय—१

उच्च शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास

प्राचीन भारत

भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। विद्यारम्भ बालक का एक महत्वपूर्ण संस्कार था और शिक्षा-ग्रहणकाल जीवन का महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता था। गुरु की गरिमा और महत्व की प्राचीन भारत में जितनी मान्यता थी उतनी सम्भवतः विश्व की किसी अन्य तत्कालीन सभ्यता में नहीं थी। राजघराने और अभिजात्य वर्ग के नवयुवक गुरुओं के पास शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। प्रारम्भ में ब्राह्मणों की विद्वत परिषदों का उल्लेख मिलता है। कालान्तर में व्यवस्थित रूप से उच्च शिक्षा केन्द्रों की स्थापना हुई। अधिकांश शिक्षा केन्द्र तीर्थस्थानों अथवा बौद्ध विहारों के समीप स्थित थे। छठीं शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। पाणिनि, कौटिल्य, चरक यहीं के स्नातक थे। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के भवनों, पाठ्यक्रम, विशाल पुस्तकालय, अध्यापन कार्य का प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने मनोहारी वर्णन किया है। उसने स्वयं यहाँ अध्ययन किया था और यहाँ के विद्या-वैभव और पांडित्यपूर्ण वातावरण से बहुत प्रभावित हुआ था। काठियावाड़ में वल्लभी, दक्षिण में काँची, बंगाल में नादिया, मालवा में उज्जयिनी और बिहार में विक्रमशिला उच्च शिक्षा के प्रसिद्ध केन्द्र थे। इन शिक्षा केन्द्रों में चीन, तिब्बत, कोरिया आदि देशों से विद्वान तथा छात्र अध्ययन हेतु आते थे।

१.०२. इस प्रदेश में उच्च-शिक्षा के क्षेत्र में वाराणसी का सदैव से विशेष स्थान रहा है। भगवान बुद्ध ने इसके बौद्धिक तथा आध्यात्मिक महत्व को पहचाना और सर्वप्रथम इसी नगर से अपने सिद्धान्तों का प्रचार प्रारम्भ किया। आदि गुरु शंकराचार्य भी अपने सिद्धान्तों की मान्यता और प्रचार हेतु काशी आये थे। प्रोफेसर ए० एल० बैशम ने वाराणसी में एक अति प्राचीन महाविद्यालय का उल्लेख किया है जहाँ ५०० विद्यार्थी और अध्यापक थे। प्रसिद्ध विद्वान अल्बेरूनी ने लिखा है कि ग्यारहवीं शताब्दी में वाराणसी और कश्मीर उच्च शिक्षा के प्रमुख केन्द्र थे। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि नालन्दा की भाँति वाराणसी में विश्वविद्यालय नहीं थे। वाराणसी एक महान शिक्षा केन्द्र था जहाँ अनेक विद्वानों और उनके शिष्यों की टोलियाँ थीं। वे विभिन्न विषयों का अध्ययन-अध्यापन कार्य करती थीं और समय-समय पर इनके बीच विभिन्न सिद्धान्तों के सम्बंध में शास्त्रार्थ और वाद-विवाद होता रहता था।

१.०३. संस्कृत शिक्षा का माध्यम था, वेद और वेदांग (शिक्षा, कल्प, छन्द, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष) अध्यापन के मुख्य विषय थे। बौद्ध शिक्षा केन्द्रों में बौद्ध धर्म के अध्ययन की प्रधानता थी। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों जैसे—अर्थशास्त्र, दर्शन, आयुर्वेद, धनुर्वेद, शल्यशास्त्र, सर्प विद्या, नक्षत्र विद्या आदि का भी अध्ययन होता था। कुछ शिक्षा केन्द्र अथवा उन शिक्षा केन्द्रों में स्थित विद्वान किसी विशेष विषय में विद्वता और अध्यापन के लिये विख्यात थे जैसे तक्षशिला चिकित्सा, शल्यशास्त्र और धनुर्वेद तथा वाराणसी धार्मिक शिक्षा के लिये प्रसिद्ध था।

१.०४. उस समय आज की भाँति निश्चित पाठ्यक्रम, परीक्षायें एवं उपाधि की व्यवस्था नहीं थी। यह माना जाता था कि ज्ञान तो अथाह समुद्र है और एक जीवन उसे पूर्णतः प्राप्त करने के लिये पर्याप्त नहीं है। तथापि सामान्यतः उच्च शिक्षा प्राप्त करने में १२ से १६ वर्ष लग जाते थे और २५-२६ वर्ष की आयु तक छात्र अपने विषय का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेता था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, चरित्र की शुद्धता, सदाचार और परम्परा के प्रति आस्था तथा सामाजिक और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का विकास करना था। तत्कालीन साहित्य और धर्मग्रन्थों में घोषा, लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी और अपाला आदि विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें से कुछ ने तो वैदिक ऋचाओं की भी रचना की थी जिससे यह स्पष्ट है कि नारियाँ भी उच्च शिक्षा प्राप्त करती थीं। परन्तु उनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था थी इसका स्पष्ट और विस्तृत वर्णन उपलब्ध नहीं है।

मध्यकालीन भारत

१.०५. ग्यारहवीं शताब्दी में भारत में तुर्कों के आने के परिणामस्वरूप शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा माध्यम में महत्व-पूर्ण परिवर्तन हुआ। उस समय प्रारम्भिक पाठशालाएँ मस्जिदों में होती थीं जिनमें कुरान के अतिरिक्त प्रारम्भिक पठन-पाठन तथा गणित की शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा के लिए मुस्लिम शासकों ने मदरसों की स्थापना की। लाहौर, दिल्ली, बदायूँ, रामपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और जौनपुर उच्च शिक्षा के प्रमुख केन्द्र थे। इस प्रदेश में बदायूँ और

जौनपुर का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा महत्व था। जौनपुर को तो शीराजेहिन्द कहा जाता था। प्रसिद्ध पठान शासक शेरशाह सूरी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी जहाँ उसने धार्मिक विषयों के साथ इतिहास और दर्शनशास्त्र, अरबी और फारसी साहित्य का भी अध्ययन किया था।

१.०६. मुगलों ने भी इस शिक्षा व्यवस्था को कायम रखा। अकबर के शासनकाल में आगरा और फतेहपुर सीकरी के मदरसे प्रसिद्ध थे। औरंगजेब ने अनेक मदरसे स्थापित किये और शिक्षकों तथा छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान कीं। उत्तर मुगल काल में नये मदरसों का निर्माण व्यक्तिगत प्रयास और दान के फलस्वरूप हुआ। दिल्ली, फर्रुखाबाद और लखनऊ में इस प्रकार के अनेक मदरसे थे।

१.०७. इन मदरसों में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त हदीस (मुहम्मद साहब के कथन) फिकाह (तर्कशास्त्र) तसव्वुफ (अध्यात्म) व्याकरण, तफसीर, इतिहास आदि विषय पढ़ाये जाते थे। कुछ मदरसे और विद्वान किसी विशेष विषय की विशेष शाखा के अध्ययन-अध्यापन के लिये प्रसिद्ध थे। उदाहरणार्थ लखनऊ का फिरंगी महल फिकाह (तर्कशास्त्र) के अध्ययन के लिए विख्यात रहा है। शिक्षा का माध्यम फारसी थी। फारसी राजभाषा भी थी अतः हिन्दू भी इसका अध्ययन करते थे।

१.०८. इस युग में हिन्दुओं के भी विद्यापीठ थे जहाँ धार्मिक ग्रन्थों और अर्थशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। काशी और नादिया उच्चकोटि के विद्यापीठ थे। काशी में संस्कृत व्याकरण, साहित्य, दर्शन तथा धर्मशास्त्र का अध्ययन होता था। मथुरा, प्रयाग, हरिद्वार, अयोध्या भी हिन्दू शिक्षा के प्रसिद्ध केन्द्र थे।

१.०९. मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अनेक शिक्षित स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। गुलबदन बेगम, रूपमती, महमअंगा नूरजहाँ, मुमताजमहल का नाम सर्वविदित है। शाहजहाँ की पुत्री जहाँआरा, औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा अपने समय की विदुषी कवयित्री थीं। परन्तु शासकों और सामन्तों के परिवारों की महिलाओं को शिक्षा घर पर ही दी जाती थी। मध्यम श्रेणी के लोगों में भी लड़कियों की शिक्षा के लिये घरों में मकतब होते थे जहाँ वृद्धायें उन्हें कुरान, गुलिस्ताँ, बोस्ताँ और नैतिकता सम्बंधी पुस्तकें पढ़ाती थीं। उस समय उपाधिपत्र या प्रमाण-पत्र नहीं दिये जाते थे। विद्यार्थी की योग्यता एवं विद्वता उसके कार्य तथा विद्यालय/गुरु की प्रसिद्धि पर निर्भर थी। मुगलकाल में फारसी, हिन्दी कविता, संस्कृत और उर्दू की उन्नति हुई। इस काल में सुलेख की सुन्दर जिल्दसाजी का बड़ा महत्व था।

आधुनिक युग

१.१०. आरम्भ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया। परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासकों को अपने कार्यालयों में अंग्रेजी भाषा जानने वाले अधीनस्थ भारतीय कर्मचारियों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। वर्ष १८१३ के चार्टर ऐक्ट द्वारा कम्पनी ने शिक्षा प्रसार के लिये एक लाख रुपये वार्षिक व्यय का प्राविधान किया। परन्तु सरकार के पास शिक्षा की कोई निश्चित योजना न होने के कारण कई वर्षों तक धन एकत्र होता रहा। उस समय तक राममोहन राय आदि शिक्षित भारतवासी अंग्रेजी शिक्षा की ओर आकृष्ट हो चुके थे और उनका यह निश्चित मत था कि अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा से ही देश का कल्याण हो सकता है। वर्ष १८१७ में राममोहन राय के प्रोत्साहन से कलकत्ता में हिन्दू कालेज की स्थापना हुई। उसी समय यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो या भारतीय भाषायें। एच० एस० विल्सन तथा प्रिन्सेप ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया, दूसरी ओर अंग्रेजी का समर्थन गवर्नर जनरल के कौंसिल के कानूनी सदस्य मैकाले ने किया। राममोहन राय ने मैकाले का समर्थन किया। अन्त में अंग्रेजी के समर्थकों की विजय हुई और १८३५ में गवर्नर जनरल और उसकी कौंसिल ने एक प्रस्ताव किया कि भविष्य में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से यूरोपीय साहित्य और विज्ञान की शिक्षा पर ही राजकीय धन व्यय होगा। समय-समय पर ब्रिटिश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि राजकीय सेवाओं में उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी जिन्हे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होगा।

इस नीति के परिणामस्वरूप भारत में महाविद्यालयों की स्थापना होने लगी। ईसाई धर्म प्रचारक संस्थाओं (क्रिश्चियन मिशनरीज) ने भी इस दिशा में सतत प्रयास किया। सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में प्रसिद्ध महाविद्यालयों—क्रिश्चियन कालेज मद्रास, विल्सन कालेज तथा एलफिन्सटन कालेज, बम्बई, आगरा कालेज तथा सेन्ट जॉन्स कालेज, आगरा (१८५३) की स्थापना इसी काल में हुई। गत निर्मित गंगा नहर के रखरखाव तथा संचालन हेतु इन्जीनियरों की आवश्यकता प्रतीत हुई तो इस प्रदेश के तत्कालीन लेफ्टीनेन्ट गवर्नर के नाम पर रुड़की में १८४७ में ट्रामसन कालेज आंफ इंजीनियरिंग की स्थापना हुई। इसी काल में कलकत्ता बम्बई और मद्रास में मेंडिकल कालेजों की स्थापना की गई।

१.१२. अब तक लगभग समस्त भारतवर्ष अंग्रेजों के अधिकार में आ चुका था। शिक्षा के विकास की सुव्यवस्थित और निश्चित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से १८५४ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस सम्बंध में एक समिति नियुक्त की जिसकी सिफारिशों के आधार पर तत्कालीन बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के प्रेसीडेन्ट सर चार्ल्सवुड ने भारत सरकार को भावी शिक्षा नीति के बारे में निर्देश भेजा। इस वुड प्रेषणपत्र (वुड्स डिस्पैच) का शिक्षा क्षेत्र में बड़ा महत्व है क्योंकि १९४७ तक भारतीय शिक्षा का विकास उस योजना में निर्दिष्ट दिशा में ही हुआ है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने सभी श्रेणियों की शिक्षा के सम्बन्ध में एक सुसंगठित व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उसने १८३५ के निर्णय की पुष्टि की।

१.१३. वुड प्रेषणपत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात लन्दन विश्वविद्यालय के आधार पर तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव था। अतः १८५७ में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किये गये। प्रत्येक विश्वविद्यालय का प्रशासन कुलपति (मद्रास और बम्बई में गवर्नर तथा कलकत्ता में गवर्नर जनरल कुलपति होता था), उपकुलपति तथा सीनेट में निहित था। सिन्डीकेट विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद थी जिसके सदस्य उप कुलपति और विभिन्न संकायों से निर्वाचित फेलोज होते थे।

१.१४. ये विश्वविद्यालय प्रारम्भ में सम्बद्धता प्रदान करने वाली संस्थायें (Affiliating Institutions) थीं। इनका मुख्य कार्य पाठ्यक्रम निश्चित करना, परीक्षायें लेना तथा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को उपाधि देना था। शिक्षण-कार्य सम्बद्ध कालेजों में होता था। सम्बद्ध महाविद्यालय सरकारी और गैर सरकारी (Private College) थे। गैर सरकारी महाविद्यालयों को सरकारी सहायता/अनुदान मिलता था। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा पूर्णतः धर्म निरपेक्ष होती थी।

१.१५. विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली प्रथम परीक्षा 'एन्ट्रेन्स' (वर्तमान हाईस्कूल) कहलाती थी। यह महत्वपूर्ण परीक्षा होती थी क्योंकि इस परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के लिये राजकीय सेवा के द्वार खुल जाते थे। जो लोग इससे आगे पढ़ना चाहते थे उन्हें स्नातक कक्षा में पहुँचने से पूर्व एफ० ए० परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी।

१.१६. धीरे-धीरे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ने लगी। वर्ष १८८२ में लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पाँच वर्ष पश्चात १८८७ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जन्म हुआ जिसे उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष १९१६ में पंडित मदन मोहन मालवीय के महान प्रयास के फलस्वरूप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वर्ष १९२१ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई।

१.१७. हम पहले लिख चुके हैं कि प्रारम्भ में विश्वविद्यालय केवल सम्बद्धता प्रदान करने वाली संस्थाओं के रूप में ही थे। वर्ष १९१६ में सर आशुतोष मुखर्जी के उपकुलपति काल में सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा ही स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रवक्ता और विभाग ध्यक्ष के पद सृजित किये गये। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन रिपोर्ट १९१९ की सिफारिशों के फलस्वरूप कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा इण्टर तक की परीक्षाओं का कार्य बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजूकेशन को सौंप दिया गया। उत्तर प्रदेश शासन ने भी इसी रिपोर्ट को स्वीकार किया और वर्ष १९२१ में बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन की स्थापना की। कैनिंग कालेज, लखनऊ और किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ को लखनऊ विश्वविद्यालय में मिला दिया गया। इसी प्रकार इलाहाबाद के म्योर सेण्ट्रल कालेज, ईविंग क्रिश्चियन कालेज तथा कायस्थ पाठशाला कालेज को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मिला दिया गया। प्रदेश के अन्य महाविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे। परन्तु वर्ष १९२७ में आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और प्रदेश के सभी महाविद्यालय इसके अधिकार-क्षेत्र में आ गये। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अब केवल आवासीय विश्वविद्यालय रह गया।

१.१८. स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र गति से चतुर्दिक विकास हुआ। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रदेश की वर्ष १९४७ के बाद की प्रगति का संक्षिप्त विवरण और उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर विश्लेषण अगले अध्यायों में किया गया है।

अध्याय–२

स्वातंत्र्योत्तर काल में उच्च शिक्षा

जैसा कि पूर्व अध्याय में लिखा जा चुका है, प्रदेश में उच्च शिक्षा की नींव स्वतंत्रता से पूर्व ही पड़ चुकी थी और ५ विश्वविद्यालयों तथा १६ महाविद्यालयों का प्रादुर्भाव हो चुका था। लेकिन उस समय तक उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रमुख रूप से प्रशासनिक सेवाओं के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को उपलब्ध कराना ही था। स्वतन्त्रता के पश्चात उच्च शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया। देश तथा प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न व्यवसायों, उद्योगों तथा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। विकास योजनाओं का कार्यान्वयन, कुशल प्रशासन देना, अनुसंधान करके वर्तमान समस्याओं का समाधान करना, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध कराना आदि उच्च शिक्षा द्वारा ही सम्भव हो सकता है। इस प्रकार उच्च शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होता गया। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि प्रदेश में स्वतंत्रता के पश्चात उच्च शिक्षा का विकास अति तीव्र गति से हुआ है।

विश्वविद्यालय

२.०२. वर्ष १९४७ में भी उच्च शिक्षा की दृष्टि से यह प्रदेश अपना विशेष स्थान रखता था और उस समय भी देश के २० विश्वविद्यालयों में से ५ विश्वविद्यालय इसी प्रदेश में स्थित थे। तदुपरान्त वर्ष १९६० तक १३ वर्षों की अवधि में प्रदेश में केवल ३ नये विश्वविद्यालय ही स्थापित हो सके थे। इस अवधि में स्थापित टाम्सन कालेज ऑफ इंजीनियरिंग का परिवर्तित स्वरूप रुड़की विश्वविद्यालय (१९४७) देश में इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली विशिष्ट संस्थाओं में से एक है। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के न होने के फलस्वरूप यह क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। इस कमी को दूर करने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय (१९५७) का जन्म हुआ। १९५८ में संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव पड़ी। यह विश्वविद्यालय सन १७५१ में ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा स्थापित "संस्कृत पाठशाला" का परिवर्तित स्वरूप है। इस संस्था में आधुनिक शिक्षा के साथ ही वेद-वेदांग, दर्शन एवं श्रवण विद्याओं के अध्यापन तथा अनुसंधान की सुविधा भी है। यहाँ प्राचीन पाण्डुलिपियों का विशाल संग्रह है तथा संस्कृत ग्रन्थों का अंग्रेजी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी किया जाता है।

२.०३. वर्ष १९६०-७० दशक में ४ विश्वविद्यालय स्थापित किये गये। इनमें गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रदेश का मुख्य व्यवसाय कृषि है और प्रदेश शासन कृषि की उन्नति के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील भी है। इस दृष्टि से इस विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रदेश में कृषि शिक्षा के अभाव की आंशिक रूप से पूर्ति हुई, साथ ही इस विश्वविद्यालय ने प्रदेश में कृषि शिक्षा देने वाले प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव भी प्राप्त किया।

२.०४. लखनऊ, इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय मूलतः आवासीय विश्वविद्यालय थे। ये विश्वविद्यालय जिन स्थानों में थे उनके कुछ निकटवर्ती महाविद्यालय ही इनके अंतर्गत आते थे। जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश के अधिकांश महाविद्यालय आगरा विश्वविद्यालय से ही सम्बद्ध थे और इस विश्वविद्यालय का क्षेत्र बहुत व्यापक था। वर्ष १९६५ में दो विश्वविद्यालय—कानपुर विश्वविद्यालय तथा मेरठ विश्वविद्यालय स्थापित हुए और संबंधित क्षेत्रों के महाविद्यालय इन्हीं विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कर दिये गये।

२.०५. वर्ष १९६२ में गुरुकुल कॉगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार की स्थापना हुई जिसे पूर्णतः विश्वविद्यालय की मान्यता नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम १९५६ की धारा ३ के अंतर्गत इसे विश्वविद्यालय के समान संस्था माना गया है। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा आरम्भ में गुरुकुल प्रणाली के आधार पर एक संस्था की स्थापना की गई थी, जिसमें संस्कृत साहित्य और वेदांग की शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान को भी यथोचित स्थान मिला था। यही संस्था बाद में गुरुकुल कॉगड़ी विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुई।

२.०६. वर्ष १९७०-७५ के बीच विश्वविद्यालयों का तेजी से विस्तार हुआ और ८ नये विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। काफी समय से इस प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में उच्च शिक्षा की पर्याप्त सुविधा नहीं थी और वहाँ के छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु मैदानी क्षेत्रों में जाना पड़ता था। उनकी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए वर्ष १९७३ में कुमायूँ तथा गढ़वाल विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी। कुमायूँ विश्वविद्यालय की संरचना दो संघटक

महाविद्यालयों—ठाकुर देव सिंह विष्ट राजकीय महाविद्यालय नैनीताल और राजकीय महाविद्यालय अल्मोड़ा को मिलाकर हुई थी। इसी प्रकार गढ़वाल विश्वविद्यालय में तीन संघटक महाविद्यालय सम्मिलित किये गये जो पूर्व में राजकीय बिड़ला महाविद्यालय श्रीनगर, राजकीय महाविद्यालय पौड़ी, तथा राजकीय महाविद्यालय टेहरी थे।

२.०७. काशी विद्यापीठ का प्रादुर्भाव भी अब विश्वविद्यालय के रूप में हो गया। वर्ष १९७४ में कृषि शिक्षा की विकास शृंखला में फैजाबाद में नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई तथा राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर को चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर में परिवर्तित कर दिया गया। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के फलस्वरूप पूर्वी एवं केन्द्रीय उत्तर प्रदेश में भी कृषि शिक्षा की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हो गयीं। इसी के एक वर्ष पश्चात वर्ष १९७५ में अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी तथा रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली स्थापित हुये। बुन्देलखण्ड क्षेत्र भी शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ था। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना से इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की विशेष सुविधा उपलब्ध हो गई।

२.०८. वर्ष १९७५ के पश्चात् वर्ष १९८०-८१ तक प्रदेश में यद्यपि किसी नये विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई परन्तु वर्ष १९८१-८२ में दयालबाग शिक्षा संस्थान, आगरा को विश्वविद्यालय के समान संस्था की मान्यता प्रदान किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम था। इस संस्थान का आरम्भ वर्ष १९१५ में राधास्वामी सत्संग सभा द्वारा एक मिडिल स्कूल के रूप में हुआ था। कालान्तर में अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई जिन सबको सुव्यवस्थित प्रशासन/संचालन की दृष्टि से वर्ष १९७३ में दयालबाग शिक्षा संस्थान के अंतर्गत लाया गया। इस संस्थान के अंतर्गत तीन उच्च शिक्षा संस्थायें डो० ई० आई० महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, आर० ई० आई० महाविद्यालय तथा डी० ई० आई० इंजीनियरिंग कालेज हैं। इस संस्थान की मुख्य विशेषता परम्परागत पाठ्यक्रम के अतिरिक्त व्यावहारिक ज्ञान, सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास तथा श्रम की महत्ता पर जोर दिया जाना है।

२.०९. वर्ष १९७९-८० में विश्वविद्यालयवार विद्यार्थियों की संख्या परिशिष्ट २.१ में दर्शायी गयी है। इसके स्तम्भ ४ में केवल विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और स्तम्भ ५ में विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध/सहयुक्त मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, महाविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं, सबकी सम्मिलित विद्यार्थी संख्या दर्शायी गयी है। इन विश्वविद्यालयों में से रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय तथा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय स्वयं कोई कक्षा नहीं चलाते केवल उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा संस्थाओं में ही शिक्षण कार्य होता है। जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है, गढ़वाल तथा कुमायूँ विश्वविद्यालयों के संघटक महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य होता है तथा उस क्षेत्र के महाविद्यालय भी उनसे सम्बद्ध हैं जबकि आगरा विश्वविद्यालय की तीन संस्थायें, गृह विज्ञान संस्थान, हिन्दी संस्थान तथा सामाजिक विज्ञान संस्थान विश्वविद्यालय की अंग हैं और स्वयं कक्षायें संचालित करती हैं। परिशिष्ट २.१ से ज्ञात होता है कि वर्ष १९७९-८० में प्रदेश के संपूर्ण विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित कक्षाओं में कुल शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की संख्या ८४, ६५९ थी। यदि विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त सभी महाविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं को सम्मिलित कर लिया जाये तो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे प्रदेश के सम्पूर्ण विद्यार्थियों की संख्या वर्ष १९७९-८० में लगभग ४.३२ लाख थी। इनमें से सबसे अधिक विद्यार्थी संख्या (७५, ७७४) गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध संस्थाओं की है। इसके पश्चात् अवरोही क्रम में मेरठ विश्वविद्यालय (५९, २२२), कानपुर विश्वविद्यालय (५६, ४६३) तथा आगरा विश्वविद्यालय (४४, ३४६) आते हैं। सबसे कम विद्यार्थी संख्या (केवल ४४) नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद की थी जिसका मुख्य कारण यह है कि इस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य वर्ष १९७९-८० से ही आरम्भ हुआ था। अन्य कम विद्यार्थी संख्या वाला विश्वविद्यालय गुरुकुल कॉगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार (३००) था। यदि केवल विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अध्ययन किया जाय तो वर्ष १९७९-८० में सबसे अधिक विद्यार्थी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (१५, ६९५) में थे। तत्पश्चात् इलाहाबाद विश्वविद्यालय (१३, ४६६) और अलीगढ़ विश्वविद्यालय (१३, ०९४) का स्थान आता है। केवल पाँच विश्वविद्यालय—काशी विद्यापीठ, रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर, गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर तथा गुरुकुल कॉगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार ऐसे हैं जो स्वयं ही शैक्षिक कक्षाओं का संचालन करते हैं और उनसे संबद्ध कोई अन्य संस्था नहीं है।

महाविद्यालय

२.१०. यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विश्वविद्यालयों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई लेकिन देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले इस प्रदेश में समुचित उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना विश्वविद्यालयों की क्षमता के बाहर है। सीमित वित्तीय

साधनों को देखते हुए विश्वविद्यालयों की संख्या अधिक बढ़ाना उपयुक्त भी नहीं है। अतएव उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए महाविद्यालयों की विशिष्ट भूमिका है। इलाहाबाद में स्थित प्रदेश के प्रथम विश्वविद्यालय से पूर्व ही प्रदेश में महाविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। ये महाविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात प्रदेश के महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो गये तथा उनकी परीक्षाओं का संचालन इसी विश्वविद्यालय द्वारा होने लगा। वर्ष १९४७ में इस प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या मात्र १६ थी। उसके पश्चात उनकी संख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई और प्रदेश के विभिन्न भागों में महाविद्यालयों का विस्तार भी तीव्रगति से हुआ। तालिका २.१ में वर्ष १९४६-४७ से वर्ष १९८०-८१ तक पंचवर्षीय अंतराल में महाविद्यालयों की संख्या एवं उनमें प्रतिशत-वृद्धि दर्शायी गयी है।

पंचवर्षीय अंतराल पर प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या

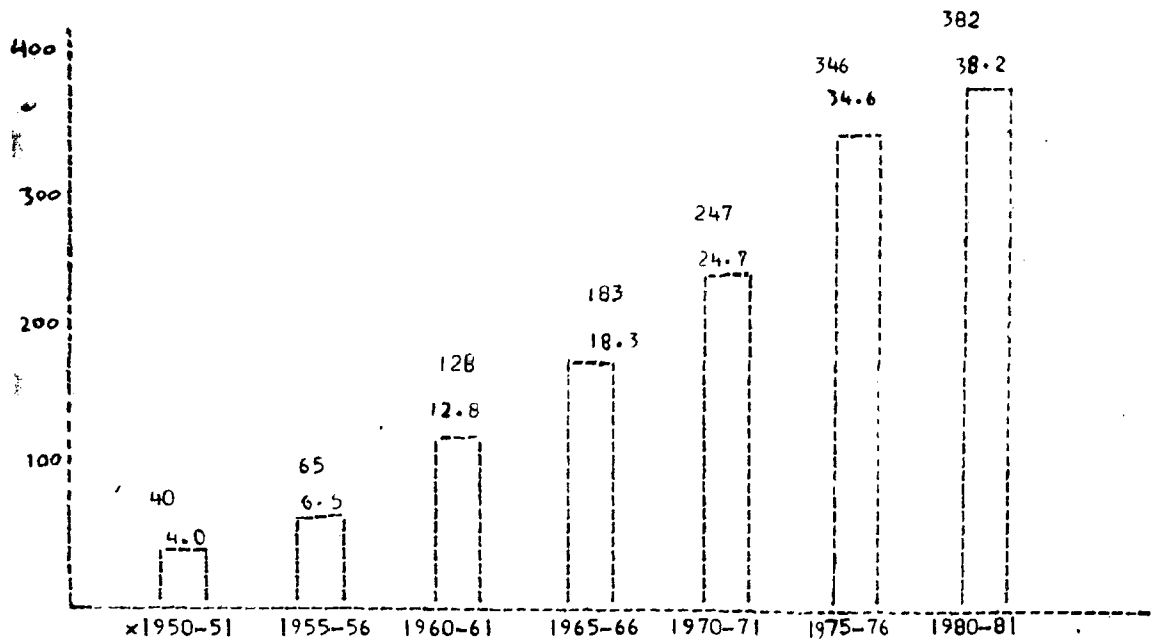

तालिका २.१ : पंचवर्षीय अंतराल पर प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या एवं उनमें प्रतिशत वृद्धि

वर्ष	महाविद्यालयों की संख्या	प्रतिशत वृद्धि
१	२	३
१९४६-४७	१६	—
१९५०-५१	४०	१५०.०
१९५५-५६	६५	६२.५
१९६०-६१	१२८	९६.९
१९६५-६६	१८३	४३.०
१९७०-७१	२४७	३५.०
१९७५-७६	३४६	४०.१
१९८०-८१	३८२	१०.४

२.११. तालिका से यह स्पष्ट है कि ३४ वर्षों की अवधि में महाविद्यालयों की संख्या में लगभग २४ गुनी वृद्धि हुई। सबसे अधिक वृद्धि (१५०%) वर्ष १९४६-४७ तथा १९५०-५१ के बीच के चार वर्षों में हुई। उसके पश्चात १९५५-५६ तथा १९६०-६१ के पाँच वर्षों के अंतराल में ९६.९% की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है, अर्थात् इस अवधि में महाविद्यालयों की संख्या लगभग दूनी हो गयी। तालिका २.१ से यह भी स्पष्ट होता है कि हालांकि स्वतन्त्रता के बाद महाविद्यालयों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हुयी परन्तु धीरे-धीरे प्रतिशत वृद्धि घटती गयी और वर्ष १९७५-७६ तथा १९८०-८१ के पंचवर्षीय अन्तराल में केवल १०.४ प्रतिशत वृद्धि ही हुयी। वर्ष १९८०-८१ तक प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या ३८२ हो चुकी थी जिनकी सूची परिशिष्ट २.२ में दी गई है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत हालैण्ड हाल युनिवर्सिटी कालेज, कायस्थ पाठशाला युनिवर्सिटी कालेज तथा मदन मोहन मालवीय युनिवर्सिटी कालेज तीन ऐसे छात्रावास हैं जहाँ पर ट्यूटोरियल कक्षायें होती हैं और जिनको महाविद्यालयों के समान ही शासकीय अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है, जबकि वस्तुतः ये छात्रावास हैं और इन्हें महाविद्यालय कहना उपयुक्त न होगा। इस दृष्टि से इन्हें इस अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया गया है।*

पिछले चार दशकों में औसत जनसंख्या प्रति महाविद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों का अनुपात आगे दिया गया है।

*वर्ष १९८१-८२ में दो राजकीय महाविद्यालय बुन्देलखण्ड के पिछड़े क्षेत्रों में ललितपुर तथा जालौन जनपदों में तथा दो अशासकीय महाविद्यालय रामनगर (बाराबंकी) तथा मैनपुरी में स्थापित हुए हैं।

२.१२. उक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से छठीं पंचवर्षीय योजना तक प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या में तीव्रगति से वृद्धि हुई और औसत जनसंख्या प्रति महाविद्यालय निरन्तर घटती गयी। महाविद्यालयों में छात्र इण्टर परीक्षा के पश्चात ही प्रवेश लेते हैं। इसलिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। तालिका के स्तम्भ ३ से स्पष्ट होता है कि वर्ष १९५०-५१ में प्रदेश में ९४ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बीच औसतन १० महाविद्यालय थे। उसके पश्चात यह अनुपात घटकर ७३:१० रह गया। दशक १९६०-६१ से १९८०-८१ तक इस औसत में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।

तालिका २.२ : प्रदेश में दशकवार औसत जनसंख्या प्रति महाविद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-महाविद्यालय अनुपात

वर्ष	औसत जनसंख्या प्रति महाविद्यालय (०००)	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों का अनुपात
१	२	३
१९५०-५१	१५८०	९४:१०
१९६०-६१	५७६	७३:१०
१९७०-७१	३५७	७२:१०
१९८०-८१	२९०	७३:१०

२.१३. वर्ष १९८०-८१ में चल रहे ३८२ महाविद्यालयों में से केवल ३८ (१० प्रतिशत) राजकीय महाविद्यालय तथा शेष ३४४ अशासकीय महाविद्यालय थे। राजकीय महाविद्यालयों की पृथक सूची परिशिष्ट २.३ में दी गयी है। अशासकीय महाविद्यालयों में से ३२१ महाविद्यालयों को शासकीय सहायता प्राप्त है जो कुल महाविद्यालयों का ८४.१ प्रतिशत है। केवल २३ (६.० प्रतिशत) ऐसे अशासकीय महाविद्यालय हैं जिनको अभी सरकारी सहायता नहीं दी जा रही है। इनमें से अधिकांश नये महाविद्यालय हैं और उन्हें अभी तक स्थायी सम्बद्धता नहीं मिल पायी है।

२.१४. परिशिष्ट २.४ में राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त तथा अशासकीय असहायिक महाविद्यालयों की जनपदवार स्थिति दर्शायी गयी है। इस परिशिष्ट के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रदेश में सर्वाधिक अशासकीय महाविद्यालय (२१) कानपुर जनपद में स्थित हैं। लखनऊ जनपद (१९) का इस दृष्टि से दूसरा स्थान है। तत्पश्चात मेरठ तथा इलाहाबाद जनपद है जिनमें प्रत्येक में १६ महाविद्यालय हैं। इन जिलों में महाविद्यालयों की पर्याप्त संख्या को देखते हुए किसी राजकीय महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गयी है। इसके बाद अवरोही क्रम में क्रमशः वाराणसी (१४), जौनपुर (१३), गोरखपुर (१३) तथा आजमगढ़ (१३) का स्थान है।

२.१५. वाराणसी प्राचीन समय से ही शिक्षा का प्रमुख केन्द्र रहा है तथा काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर सर्वप्रथम खोले गये राजकीय महाविद्यालयों में से एक है। इसकी शैक्षिक उपलब्धियों ने प्रदेश में अन्य राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना को बल प्रदान किया है। सम्प्रति प्रदेश के सर्वाधिक राजकीय महाविद्यालय (५) वाराणसी जनपद में ही स्थित हैं। प्रदेश के पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, तथा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के एक जिले रामपुर में कोई भी अशासकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है। शासन ने इस अभाव की पूर्ति के लिए तथा इन जनपदों के छात्रों को उच्च शिक्षा सुलभ कराने हेतु राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये हैं। इस समय जनपद उत्तरकाशी एवं टेहरी गढ़वाल, प्रत्येक में १, पौड़ी गढ़वाल में ४, चमोली में ३, पिथौरागढ़ में ३ तथा रामपुर में २ राजकीय महाविद्यालय हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष १९८०-८१ तक प्रदेश के कुल राजकीय महाविद्यालयों के ५० प्रतिशत महाविद्यालय पर्वतीय अंचलों में ही स्थापित किये गये हैं। यह अंचल उच्च शिक्षा की दृष्टि से काफी समय तक पिछड़ा रहा। तालिका २.३ में आर्थिक क्षेत्रवार महाविद्यालयों की स्थिति दर्शायी गयी है।

तालिका २.३ : आर्थिक क्षेत्रवार राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त तथा अशासकीय असहायिक महाविद्यालयों की संख्या

वर्ष १९८०-८१

क्रम संख्या	क्षेत्र	महाविद्यालय			
		राजकीय	अशासकीय सहायता प्राप्त	अशासकीय असहायिक	योग
१	२	३	४	५	६
१—	पूर्वी	९	११९	१५	१४३
२—	पर्वतीय	१९	८	—	२७
३—	बुन्देलखण्ड	३	१२	—	१५
४—	पश्चिमी	४	१२८	४	१३६
५—	केन्द्रीय	३	५४	४	६१
योग		३८	३२१	२३	३८२

२.१६. प्रदेश के कुल ३४४ अशासकीय महाविद्यालयों में से सर्वाधिक १३४ (३८.९ प्रतिशत) पूर्वी क्षेत्र में तथा १३२ (३८.४ प्रतिशत) पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है प्रदेश के ३८ राजकीय महाविद्यालयों में से १९ पर्वतीय क्षेत्र में ही हैं। अन्य क्षेत्रों में राजकीय महाविद्यालयों का प्रतिशत, पूर्वी क्षेत्र में २३.७, बुन्देलखण्ड में ७.९, पश्चिमी क्षेत्र में १०.५ तथा केन्द्रीय क्षेत्र में ७.९ है।

२.१७. प्रदेश में महाविद्यालयों की औसत संख्या प्रति जनपद ७ आती है। तालिका २.४ में महाविद्यालयों की संख्या के अनुसार जनपदों का विभाजन दिया गया है।

२.१८. तालिका २.४ से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक ३२.२ प्रतिशत जनपदों में १ से ३ तथा २८.६ प्रतिशत जनपदों में ४ से ६ महाविद्यालय स्थित हैं। इस प्रकार ६० प्रतिशत से अधिक जनपदों में ६ अथवा उससे कम महाविद्यालय हैं। ९ ऐसे जनपद हैं जिनमें १३ या उससे अधिक महाविद्यालय हैं, जिनमें से ५ जनपदों में १६ से भी अधिक महाविद्यालय हैं। इन जनपदों का पहले भी उल्लेख किया जा चुका है। तालिका २.४ से यह भी स्पष्ट है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कम से कम एक महाविद्यालय अवश्य है।

तालिका २.४ : महाविद्यालयों की संख्या के अनुसार जिलों का विभाजन

वर्ष १९८०-८१

महाविद्यालयों की संख्या	जनपदों की संख्या
१	२
१-३	१८ (३२.२)
४-६	१६ (२८.६)
७-९	७ (१२.५)
१०-१२	६ (१०.७)
१३-१५	४ (७.१)
१६	५ (८.९)
योग	५६ (१००.०)

२.१६. जनपदवार तथा मंडलवार औसत जनसंख्या परिशिष्ट २.५ में दर्शायी गयी हैं। प्रदेश में प्रति महाविद्यालय औसत जनसंख्या २.६ लाख आती है। जनसंख्या प्रति महाविद्यालय की दृष्टि से बरेली मंडल सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है, जहाँ ६.२६ लाख औसत जनसंख्या प्रति महाविद्यालय है। फैजाबाद मंडल में औसत जनसंख्या प्रति महाविद्यालय ५.३४ लाख आती है। लखनऊ, मुरादाबाद, गोरखपुर तथा झाँसी मंडलों में औसत जनसंख्या प्रति महाविद्यालय ३ तथा ४ लाख के बीच आती है। इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा तथा मेरठ मंडलों में यह औसत २ तथा ३ लाख के मध्य है। पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति सबसे अच्छी है। गढ़वाल तथा कुमायूँ मंडलों में औसत जनसंख्या प्रति महाविद्यालय क्रमशः १.५२ लाख एवं २.१४ लाख आती है जो प्रदेश के औसत से अधिक है। पहाड़ी क्षेत्रों में भौगोलिक स्थिति के कारण, दूर-दूर से छात्रों को महाविद्यालयों तक आने की इतनी सुविधा नहीं है, जितनी कि मैदानी क्षेत्रों में। इस कारण पर्वतीय क्षेत्रों में यह औसत कम होना स्वाभाविक भी है। औसत जनसंख्या प्रति महाविद्यालय के अनुसार जनपदों का विभाजन तालिका २.५ में दर्शाया गया है।

तालिका २.५ : औसत जनसंख्या प्रति महाविद्यालय के अनुसार जिलों का विभाजन वर्ष १९८०-८१

औसत जनसंख्या महाविद्यालय (लाख में)	जिलों की संख्या
१	२
१—३	२९
३—५	१३
५—७	६
७—९	४
९ से अधिक	४
योग	५६

२.२०. जनपदों में सबसे खराब स्थिति बाराबंकी जनपद की है, जहाँ पर बीस लाख की जनसंख्या पर एक ही महाविद्यालय है। अब वर्ष १९८१-८२ में इस जनपद में एक और महाविद्यालय के खुल जाने से स्थिति में सुधार हुआ है। ९ लाख या उससे अधिक औसत जनसंख्या प्रति महाविद्यालय वाले अन्य जिले बदायूँ (९, ८२ लाख) गोंडा (९.६५ लाख), उन्नाव (९.११) हैं। शाहजहाँपुर (८.२९ लाख), हरदोई (७.६० लाख), फतेहपुर (७.८२ लाख), बहराइच (७.४० लाख) ऐसे जनपद हैं जिनमें यह औसत ७ से ९ लाख के मध्य है। सबसे कम औसत जनसंख्या प्रति महाविद्यालय वाले जिले लखनऊ (१.०६ लाख), देहरादून (१.०८ लाख), चमोली (१.२१ लाख), पौड़ी गढ़वाल (१.५६ लाख), पिथौरागढ़ (१.५९ लाख) हैं। इस प्रकार तालिका २.५ से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिलों में महाविद्यालयों की संख्या तथा जनसंख्या के बीच कोई सामंजस्य नहीं है।

२.२१. जनपदवार स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या परिशिष्ट २.७ में दी गई है। इस प्रदेश में वर्ष १९८०-८१ की स्थिति के अनुसार २३९ स्नातक तथा १४३ स्नातकोत्तर महाविद्यालय हैं। इस प्रकार प्रदेश में स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का कुल महाविद्यालयों से प्रतिशत ३७.४ हैं। मंडलवार स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या तालिका २.६ में दर्शायी गयी है। इस तालिका में स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का कुल महाविद्यालयों से प्रतिशत भी दर्शाया गया है।

२.२२. तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय मेरठ मंडल में (२५) हैं। अन्य मंडल जिनमें स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या १० से अधिक है, इलाहाबाद (२१), आगरा (१९), फैजाबाद (१३) हैं। सबसे कम स्नातकोत्तर महाविद्यालय बरेली मंडल में हैं जहाँ उनकी संख्या केवल ६ है। कुमायूँ तथा झाँसी मंडल प्रत्येक में इनकी संख्या ७ है। यदि स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का कुल महाविद्यालयों से प्रतिशत देखा जाय तो सबसे अधिक प्रतिशत ६३.६४ कुमायूँ मंडल में तथा उसके पश्चात ६२.५० गढ़वाल मंडल में है। इससे स्पष्ट होता है कि पर्वतीय अंचलों में स्नातकोत्तर शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गयी है। स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का कुल महाविद्यालयों से प्रतिशत सबसे कम लखनऊ मंडल में (केवल १३.१५) है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस मंडल में सर्वाधिक १९ महाविद्यालय लखनऊ नगर में ही हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा उपलब्ध होने के कारण लखनऊ नगर के किसी भी महाविद्यालय को उस विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए सम्बद्धता नहीं प्रदान की गई है। वाराणसी तथा गोरखपुर मंडलों में भी स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का प्रतिशत काफी कम क्रमशः १७.५४ तथा २१.७४ है।

तालिका २.६ : मंडलवार कुल महाविद्यालयों तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या एवं उनका प्रतिशत १९८०-८१

क्रम संख्या	मंडल	कुल महा-विद्यालय	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	कुल महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर महा-विद्यालयों का प्रतिशत
१	२	३	४	५
१—	फैजाबाद	२५	१३	५२.००
२—	गोरखपुर	४६	१०	२१.७४
३—	वाराणसी	५७	१०	१७.५४
४—	इलाहाबाद	५३	२१	३९.६२
५—	गढ़वाल	१६	१०	६२.५०
६—	कुमायूँ	११	७	६३.६४
७—	झाँसी	१५	७	४६.६७
८—	आगरा	३७	१९	५१.३५
९—	बरेली	११	६	५४.५४
१०—	मुरादाबाद	१९	१०	५२.६३
११—	मेरठ	५५	२५	४५.४५
१२—	लखनऊ	३७	५	१३.५१
कुल योग		३८२	१४३	३७.४३

प्रदेश में विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालय (वर्ष १९८०-८१)

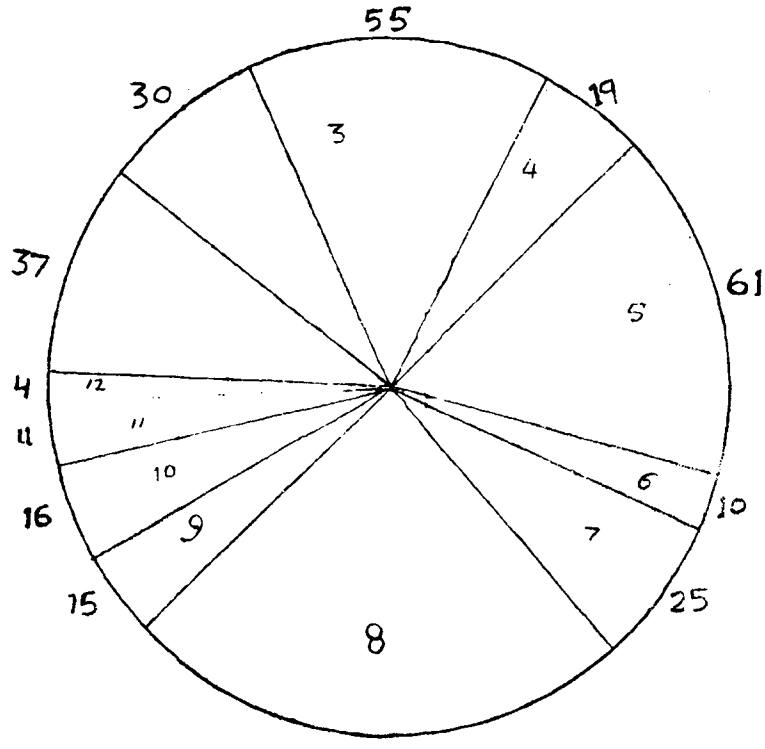

(क्रमानुसार विश्वविद्यालय का नाम अगले पृष्ठ की तालिका २.७ में देखें)

तालिका २.७ : विश्वविद्यालयवार सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या तथा प्रतिशत वर्ष १९८०-८१

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	सम्बद्ध महाविद्यालय	
		संख्या	प्रतिशत
१	२	३	४
१—	आगरा	३७	९.६९
२—	रूहेलखण्ड	३०	७.८५
३—	मेरठ	५५	१४.४०
४—	लखनऊ	१९	४.९६
५—	कानपुर	६१	१५.९७
६—	इलाहाबाद	१०	२.६२
७—	अवध	२५	६.५५
८—	गोरखपुर	९९	२५.९२
९—	बुंदेलखण्ड	१५	३.९३
१०—	गढ़वाल	१३	३.४०
११—	कुमायूँ	१४	३.६६
१२—	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय	४	१.०५
	योग	३८२	१००.००

२.२३. प्रदेश के कुल महाविद्यालय १२ विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त हैं। इनमें से एक चौथाई से अधिक (लगभग २६ प्रतिशत) महाविद्यालय केवल गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही सम्बद्ध हैं। अतएव यह प्रदेश में सबसे अधिक महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने वाला विश्वविद्यालय हैं। इस दृष्टि से दूसरा स्थान कानपुर विश्वविद्यालय (१६ प्रतिशत) का है तथा तीसरे स्थान पर मेरठ विश्वविद्यालय (१४ प्रतिशत) हैं। केवल इन तीन विश्वविद्यालयों से ही प्रदेश के आधे से अधिक (लगभग ५७ प्रतिशत) महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्राप्त हैं। इस दृष्टि से प्रदेश में उच्च शिक्षा के प्रसार में ये विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आगरा विश्वविद्यालय में ९.७ प्रतिशत, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में ७.८ प्रतिशत, अवध विश्वविद्यालय में ६.५ प्रतिशत, लखनऊ विश्वविद्यालय में ४.८ प्रतिशत सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालय हैं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जो कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, के अन्तर्गत मात्र ४ महाविद्यालय हैं। शेष विश्वविद्यालयों में से बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से ३.९ प्रतिशत, कुमायूँ विश्वविद्यालय से ३.७ प्रतिशत, गढ़वाल विश्वविद्यालय से ३.४ प्रतिशत तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से २.६ प्रतिशत महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्राप्त है।

विद्यार्थी

२.२४. वर्ष १९४७ के बाद के वर्षों में महाविद्यालयों में शिक्षारत विद्यार्थियों की संख्या में भी तीव्रगति से वृद्धि हुई है। उनकी संख्या वर्ष १९४६-४७ में २२३४३ थी जो बढ़कर वर्ष १९८०-८१ में ३.५७ लाख तक पहुँच गयी, अर्थात् विद्यार्थियों की संख्या में १५ गुने से भी अधिक की वृद्धि हुयी है। तालिका २.८ में पंचवर्षीय अंतराल में प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या एवं उनमें प्रतिशत वृद्धि दर्शायी गयी है।

२.२५. विद्यार्थियों की संख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि (९६.०) वर्ष १९६५-६६ तथा १९७०-७१ की पंचवर्षीय अवधि में हुई है। तालिका २.८ से विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि की कोई स्पष्ट प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। औसत विद्यार्थी संख्या प्रति महाविद्यालय सबसे अधिक वर्ष १९४६-४७ में १३९६ रही। उसके पश्चात सबसे अधिक १९८०-८१ में ९३५ है। वर्ष १९६०-६१ तथा १९६५-६६ में यह औसत कम हो गया जो क्रमशः ५२९ तथा ५१७

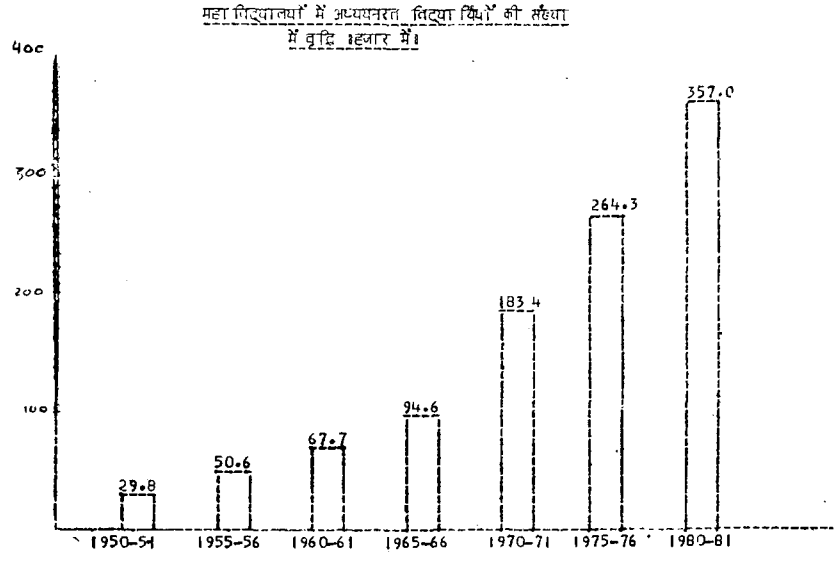

है। वर्ष १९६०-६१ तथा १९६५-६६ में औसत विद्यार्थी संख्या प्रति महाविद्यालय कम होने का मुख्य कारण यह है कि इस पंचवर्षीय अन्तराल में महाविद्यालयों की संख्या में क्रमशः ९६.९ तथा ४३.० प्रतिशत की वृद्धि हुयी है और विद्यार्थियों की संख्या में तत्काल उसी अनुपात में वृद्धि होना स्वाभाविक नहीं था। महाविद्यालयों में वृद्धि के फलस्वरूप अगले वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि दृष्टिगोचर होती है, जिसके कारण वर्ष १९७०-७१ में औसत विद्यार्थी संख्या प्रति महाविद्यालय बढ़कर ७५१ पहुँच गयी और अगले वर्षों में भी इसमें वृद्धि हुई है।

तालिका २.८ : प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या, प्रतिशत वृद्धि तथा औसत विद्यार्थी संख्या प्रति महाविद्यालय

वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या	प्रतिशत वृद्धि	औसत विद्यार्थी संख्या प्रति महाविद्यालय
१	२	३	४
१९४६-४७	२२, ३४३	—	१३९६
१९५०-५१	२९, ७९८	३३.४	७४५
१९५५-५६	५०, ५९९	६९.८	७७८
१९६०-६१	६७, ७०२	३३.८	५२९
१९६५-६६	९४, ५५८	३९.७	५१७
१९७०-७१	१, ८५, ३७५	९६.०	७५१
१९७५-७६	२, ६४, २७२	४२.६	७६४
१९८०-८१	३, ५७, ००१	३५.१	९३५

टिप्पणी : जिन महाविद्यालयों से संबंधित वर्ष की सूचना उपलब्ध नहीं थी उनकी सूचना पिछले वर्षों के आधार पर सम्मिलित की गई है।

२.२६. परिशिष्ट २.७ में वर्ष १९८०-८१ में जनपद तथा मंडलवार विद्यार्थियों की संख्या तथा औसत विद्यार्थी संख्या प्रति महाविद्यालय दी गयी है। विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार जनपदों का विभाजन तालिका २.९ में किया गया है।

तालिका २.९ : विद्यार्थी संख्या के अनुसार जनपदों का विभाजन

वर्ष १९८०-८१

विद्यार्थी संख्या	जनपदों की संख्या
१	२
१००० से कम	५
१००१ से ३०००	१६
३००१ से ५०००	७
५००१ से ७०००	९
७००१ से ९०००	५
९००१ से ११०००	६
११००० से अधिक	८
योग	५६

२.२७. १६ जिलों में सबसे अधिक विद्यार्थियों की संख्या १००१ से ३००० के मध्य है। ५ जिलों फतेहपुर (९४०), उत्तरकाशी (५००), टेहरी गढ़वाल (४२), अल्मोड़ा (६१५), ललितपुर (३१७) में विद्यार्थियों की संख्या १००० से भी कम है। कानपुर (३०, ६६९), लखनऊ (२३, ७३४), मेरठ (१९, ६०२), आगरा (१८, ०७२), इलाहाबाद (१८, ०३०), वाराणसी (१४, ९६६), देवरिया (१३, ८८९) तथा आजमगढ़ ११७११) ही ऐसे जनपद है जहाँ विद्यार्थियों की संख्या ११, ००० से अधिक है। कानपुर तथा लखनऊ केवल दो ऐसे जनपद हैं, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या २० हजार से भी अधिक है।

मंडलवार विद्यार्थियों की संख्या तथा विद्यार्थी संख्या प्रति लाख जनसंख्या तालिका २.१० में दर्शायी गयी है।

तालिका २.१० : मंडलवार विद्यार्थी संख्या प्रति लाख जनसंख्या

वर्ष १९८०-८१

क्रम संख्या	मंडल	विद्यार्थियों की संख्या	विद्यार्थी संख्या प्रति लाख जनसंख्या
१	२	३	४
१—	फैजाबाद	२००४८	१५०
२—	गोरखपुर	४४४३९	३०९
३—	वाराणसी	४३१४४	३५६
४—	इलाहाबाद	६१४९४	४७९
५—	गढ़वाल	११८२०	४८७
६—	कुमायूँ	५६९५	२४१
७—	झाँसी	१३६१०	२५०
८—	आगरा	४१८८९	३९७
९—	बरेली	१११४६	१६२
१०—	मुरादाबाद	१६२६९	२६०
११—	मेरठ	५१५५५	४३१
१२—	लखनऊ	३५८९२	३४३
	योग	३५७००१	३२२

२.२८. प्रदेश के महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की संख्या प्रति लाख जनसंख्या ३२२ आती है। इलाहाबाद, गढ़वाल एवं मेरठ मंडलों में यह संख्या ४०० से अधिक है। सबसे कम विद्यार्थी संख्या प्रति लाख जनसंख्या फैजाबाद मंडल में है जो केवल १५० है। इनके बाद बरेली मंडल में यह संख्या १६२ है।

२.२९. प्रदेश में विश्वविद्यालयवार सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या, उस विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों का कुल विद्यार्थियों से प्रतिशत तथा विद्यार्थी संख्या प्रति महाविद्यालय तालिका २.११ में दी हुयी है।

तालिका २.११ : विश्वविद्यालयवार सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या, उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या, उनका प्रतिशत तथा औसत विद्यार्थी संख्या प्रति महाविद्यालय

वर्ष १९८०-८१

क्रम संख्या	विश्वविद्यालयों का नाम	विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों की संख्या	महाविद्यालयों में अध्ययन विद्यार्थियों की संख्या	प्रदेश के कुल विद्यार्थियों से प्रतिशत	विद्यार्थी संख्या प्रति महाविद्यालय
१	२	३	४	५	६
१—	आगरा	३७	४१८८९	११.७३	११३२
२—	रूहेलखण्ड	३०	२७४१५	७.६८	९१४
३—	मेरठ	५५	५१५५५	१४.४४	९३७
४—	लखनऊ	१९	२३७३४	६.६५	१२४९
५—	कानपुर	६१	५८०२२	१६.२५	९५१
६—	इलाहाबाद	१०	१५६३०	४.३८	१५६३
७—	अवध	२५	२००४८	५.६२	८०२
८—	गोरखपुर	९९	८४२०८	२३.५९	८५९१
९—	बुन्देलखण्ड	१५	१३६१०	३.३१८१	६७१
१०—	गढ़वाल	१६	११८२०	३.३१	१०७
११—	कुमायूँ	११	५६९५	१.६०	६१७
१२—	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	४	३३७५	०.९४	८४४
	योग	३८२	३५७००१	१००.००	९३५

२.३०. सबसे अधिक विद्यार्थी गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो कुल विद्यार्थियों के ३३.५९ प्रतिशत हैं। कानपुर विश्वविद्यालय में १६.२५ प्रतिशत, मेरठ विश्वविद्यालय में १४.४४ प्रतिशत तथा आगरा विश्वविद्यालय में ११.७३ प्रतिशत छात्र महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में यह प्रतिशत सबसे कम है जिसका कारण यह है कि यहाँ इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत केवल ४ महाविद्यालय हैं जिनकी छात्र संख्या ३, ३७५ है। कुमायूँ, गढ़वाल तथा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का प्रतिशत भी काफी कम है। यदि हम विद्यार्थी संख्या प्रति महाविद्यालय का अध्ययन करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे आगे है, जिसमें औसतन १५६३ विद्यार्थी प्रति महाविद्यालय हैं। इसके पश्चात् लखनऊ विश्वविद्यालय में यह संख्या १२४९, आगरा विश्वविद्यालय में ११३२ है। सबसे कम विद्यार्थी संख्या प्रति महाविद्यालय ६१७ कुमायूँ विश्वविद्यालय में है।

नारी शिक्षा

२.३१. नारियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की महत्ता निर्विवाद है। किसी भी समाज या देश के लिए योग्य नागरिक उपलब्ध कराने में नारी की शिक्षित माँ के रूप में भूमिका सर्वमान्य है। केवल यही नहीं, शासन की सर्वथा यह नीति रही है कि पुरुषों के साथ नारियों को भी विभिन्न व्यवसाय तथा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सुविधा प्रदान की जाये। इस परिप्रेक्ष्य में नारियों को विश्वविद्यालय तथा तकनीकी उच्च शिक्षा प्रदान करना नितान्त आवश्यक है।

२.३२. तालिका २.१२ में वर्ष १९६७-७७ से पंचवर्षीय अंतराल में छात्राओं की संख्या, प्रतिशत-वृद्धि, लिंग अनुपात तथा औसत छात्रा संख्या प्रति महाविद्यालय दर्शायी गयी है।

तालिका २ १२ : छात्राओं की संख्या उसमें प्रतिशत-वृद्धि, लिंग अनुपात तथा औसत छात्रा संख्या प्रति महाविद्यालय

वर्ष	छात्राओं की संख्या	छात्राओं की संख्या में प्रतिशत वृद्धि	लिंग अनुपात (छात्रा संख्या प्रति हजार छात्र)	औसत छात्रा संख्या प्रति महाविद्यालय
१	२	३	४	५
१९४६-४७	१, ७००	—	८२	१०६
१९५०-५१	२, ५०४	४७.३	९२	६३
१९५५-५६	४, ८७४	९४.६	१०७	७५
१९६०-६१	८, ७४३	७९.४	१४८	६८
१९६५-६६	२०, २६३	१३१.८	२७३	१११
१९७०-७१	३९, १३३	९३.१	२६८	१५८
१९७५-७६	५३, १८६	३५.९	२५२	१५४
१९८०-८१	६६, ०११	२४.१	२२७	१७३

२.३३. वर्ष १९४६-४७ के पश्चात् छात्राओं की संख्या तीव्रगति से बढ़ी है और कुल १७०० से बढ़कर वर्ष १९८०-८१ में ६६०११ हो गई है, जो लगभग ३९ गुनी है। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की प्रवृत्ति का निरन्तर विकास हुआ है। छात्राओं की संख्या में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि वर्ष १९६०-६१ तथा १९६५-६६ के बीच हुई है जो १३१.८ प्रतिशत है। तालिका २.१२ में लिंग अनुपात अर्थात् छात्राओं की संख्या प्रति हजार छात्र भी दर्शायी गयी है। लिंग अनुपात वर्ष १९४६-४७ से वर्ष १९६५-६६ तक तीव्रगति से बढ़ा है और वर्ष १९८०-८१ में २७३ तक पहुँच गया है। इसके बाद के वर्षों में गिरावट आयी है। वर्ष १९८०-८१ में लिंग अनुपात २२७ है। यदि हम छात्र संख्या प्रति महाविद्यालय देखें तो वर्ष १९५०-५१ से इसमें निरन्तर वृद्धि हुई है और वर्ष १९८०-८१ में औसत छात्र संख्या प्रति महाविद्यालय १७३ हो गयी है।

२.३४. वर्ष १९८०-८१ में कुल ३८२ महाविद्यालयों में से ८० महिलाओं के महाविद्यालय थे जो कुल महाविद्यालयों का २०.९ प्रतिशत हैं। इनके अलावा सहशिक्षा वाले महाविद्यालयों में भी छात्रायें अध्ययन कर रही हैं। महिलाओं के ८० महाविद्यालयों में से ७५ महाविद्यालय अशासकीय हैं। इन महाविद्यालयों में से केवल ६ ऐसे महाविद्यालय हैं जिनको अभी तक शासकीय सहायता प्राप्त नहीं है। जहाँ तक राजकीय महाविद्यालयों का सम्बंध है शासन की यह नीति रही है कि ये महिला राजकीय महाविद्यालय उन स्थानों पर स्थापित किये जायें जहाँ ऐसा करना स्त्रियों को उच्च शिक्षा सुलभ कराने हेतु अनिवार्य हो। जनपदवार तथा मंडलवार महिला महाविद्यालयों की संख्या परिशिष्ट २.४ में दी गयी है।

तालिका २.१३ में आर्थिक क्षेत्रवार महिला महाविद्यालयों की संख्या दर्शायी गयी है।

तालिका २.१३ : क्षेत्रवार राजकीय तथा अशासकीय महिला महाविद्यालयों की संख्या वर्ष १९८०-८१

क्षेत्र	महिला महाविद्यालय			
	राजकीय	अशासकीय सहायता प्राप्त	अशासकीय असहायिक	योग
१	२	३	४	५
पूर्वी क्षेत्र	२	१३	५	२०
पर्वतीय क्षेत्र	—	३	—	३
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	१	१	—	२
पश्चिमी क्षेत्र	२	३०	१	३३
केन्द्रीय क्षेत्र	—	२२	—	२२
योग	५	६९	६	८०

२.३५. उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि अशासकीय महिला महाविद्यालय सर्वाधिक ३१ (४१.३ प्रतिशत), प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में हैं, तत्पश्चात केन्द्रीय क्षेत्र में २२ (२९.३ प्रतिशत), पूर्वी क्षेत्र में १८ (२४ प्रतिशत), बुन्देलखण्ड क्षेत्र में १ (१.४ प्रतिशत) तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ३ (४.० प्रतिशत) हैं। प्रदेश के कुल ५ राजकीय महाविद्यालयों में से पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों, प्रत्येक में २ महाविद्यालय तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक महाविद्यालय स्थित है। स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में महिला महाविद्यालयों की संख्या १७ है, जो कुल स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का ३१.३ प्रतिशत हैं। जनपदवार तथा मंडलवार स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या परिशिष्ट २.७ में दी गयी है। कुल महिला महाविद्यालय से महिला स्नातक महाविद्यालय का प्रतिशत ३७.४ है। स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालयों का कुल प्रतिशत महिला स्नातक महाविद्यालयों के प्रतिशत से कम होने का मुख्य कारण यह है कि स्नातकोत्तर कक्षाओं में छात्राओं की संख्या कम रह जाती है और अधिकतर स्थानों में उनके लिए स्नातकोत्तर कक्षायें चलाने का वित्तीय साधनों को देखते हुए कोई औचित्य नहीं है। स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रायें सहशिक्षा वाले महाविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने में संकोच भी नहीं करती हैं।

२.३६. परिशिष्ट २.५ के स्तम्भ ८ में उन जनपदों में महिला जनसंख्या प्रति महाविद्यालय दर्शायी गयी है जिनमें महिला महाविद्यालय स्थित हैं। इस समय प्रदेश के ३६ जनपदों में महिला महाविद्यालय कार्यरत हैं। प्रदेश में महिला जनसंख्या प्रति महिला महाविद्यालय ६.४६ लाख आती है। फैजाबाद मंडल में स्थित महिला महाविद्यालयों पर सर्वाधिक महिला जनसंख्या भार है, जहाँ पर औसत महिला जनसंख्या प्रति महाविद्यालय ३१.८४ लाख आती है। इसके पश्चात गोरखपुर मंडल में १७.७ लाख तथा बरेली मंडल में १५.५ लाख औसत महिला जनसंख्या प्रति महाविद्यालय आती है। प्रदेश में सबसे कम औसत महिला जनसंख्या प्रति महाविद्यालय इलाहाबाद तथा लखनऊ मंडलों में है जो क्रमशः ३.७० लाख तथा ४.०७ लाख है। इन मंडलों में लखनऊ, इलाहाबाद तथा कानपुर जनपद आते हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या में महिला महाविद्यालय हैं। औसत महिला जनसंख्या प्रति महिला महाविद्यालय के अनुसार जिलों का विभाजन तालिका २.१४ में दिखाया गया है।

तालिका २.१४ : औसत महिला जनसंख्या प्रति महिला महाविद्यालय के अनुसार जनपदों का विभाजन वर्ष १९८०-८१

औसत महिला जनसंख्या प्रति महिला महाविद्यालय (लाख में)	जनपदों का विभाजन
१	२
१ से कम	१
१—५	१६
५—१०	१२
१०—१५	३
१५ से अधिक	४

२.३७. केवल ४ जनपद गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती तथा देवरिया में औसत महिला जनसंख्या प्रति महिला महाविद्यालय १५ लाख से भी अधिक हैं। चारों जनपदों में प्रत्येक में एक-एक महिला महाविद्यालय हैं और चारों जिले गोरखपुर मंडल में स्थित हैं। लखनऊ ही केवल एक ऐसा जनपद है जिसमें यह औसत एक लाख से भी कम है। इस जनपद में सर्वाधिक १० महिला महाविद्यालय हैं जबकि सहशिक्षा वाले मात्र ९ महाविद्यालय ही है।

मंडलवार महिला महाविद्यालयों की संख्या तालिका २.१५ में दी गयी है।

तालिका २.१५ : मंडलवार महिला महाविद्यालयों की संख्या वर्ष १९८०-८१

क्रम संख्या	मंडल का नाम	संख्या
१	२	३
१—	फैजाबाद	२
२—	गोरखपुर	४

३—	वाराणसी	७
४—	इलाहाबाद	१६
५—	गढ़वाल	२
६—	कुमायूँ	१
७—	झाँसी	२
८—	आगरा	११
९—	बरेली	२
१०—	मुरादाबाद	६
११—	मेरठ	१३
१२—	लखनऊ	१४
	योग	८०

२.३८. महिला महाविद्यालयों की सबसे अधिक संख्या क्रमशः इलाहाबाद मंडल (१६), लखनऊ मंडल (१४) तथा मेरठ मंडल (१३) में है। जैसा कि पहले उल्लिखित है इन मंडलों में महिला महाविद्यालयों की अधिक संख्या होने का कारण यह है कि इनमें में इलाहाबाद (७), कानपुर (८), लखनऊ (१०) नगर आते हैं, जिनमें अधिक संख्या में महिला महाविद्यालय स्थित हैं। गोरखपुर, आगरा, मुरादाबाद, मेरठ तथा लखनऊ मंडल ही ऐसे मंडल हैं जिनके प्रत्येक जिले में महिला महाविद्यालय हैं। एक जनपद को छोड़कर मेरठ मंडल के अन्य जनपदों में महिला महाविद्यालयों की संख्या २ या उससे अधिक है।

२.३९. जनपदवार तथा मंडलवार छात्राओं की संख्या परिशिष्ट २.७ के स्तम्भ ७ में दी गयी है। छात्राओं की संख्या के अनुसार जनपदों का विभाजन तालिका २.१६ में किया गया है।

तालिका २.१६ : छात्राओं की संख्या के अनुसार जनपदों का विभाजन वर्ष १९८०-८१

छात्रा संख्या	जनपदों की संख्या
१	२
२०० से कम	९
२०१ से ६००	२३
६०१ से १०००	८
१००१ से १४००	३
१४०१ से १८००	२
१८०१ से २२००	२
२२०१ से अधिक	९
योग	५६

२.४०. तालिका २.१६ से स्पष्ट है कि प्रदेश में केवल ५ जनपद उत्तरकाशी (९०), ललितपुर (७६), फतेहपुर (५४), हमीरपुर (२८) तथा टेहरी गढ़वाल (७), ऐसे जनपद हैं जहाँ उच्च शिक्षारत कुल छात्राओं की संख्या १०० से भी कम है। सबसे अधिक संख्या में २३ जनपद ऐसे हैं जहाँ छात्राओं की संख्या २०० से ६०० के बीच है। २२०० से भी अधिक छात्राओं वाले ९ जनपद है, इनमें से सबसे अधिक छात्रा संख्या ८२८५ कानपुर जनपद में है। लखनऊ तथा आगरा जनपदों में छात्राओं की संख्या ६००० से अधिक है तथा मेरठ जनपद में इनकी संख्या ५०१४ है। देहरादून (२९७४), सहारनपुर (२७६२), गाजियाबाद (२६९२), मुरादाबाद (२६४६), वाराणसी (२६१८), में छात्रों की संख्या २६०० तथा ३००० के बीच है। उपरोक्त सभी ८ जनपदों में महिला महाविद्यालयों की संख्या २ अथवा उससे अधिक है।

तालिका २.१७ में मंडलवार छात्राओं की संख्या तथा औसत छात्रा संख्या प्रति लाख महिला जनसंख्या दर्शायी गयी है।

तालिका २.१७ : मंडलवार छात्राओं की संख्या तथा औसत छात्रा संख्या प्रति लाख महिला जनसंख्या वर्ष १९८०-८१

क्रम संख्या	मंडल का नाम	छात्राओं की संख्या	औसत छात्रा संख्या प्रति लाख महिला जनसंख्या
१	२	३	४
१—	फैजाबाद	२१४५	३४
२—	गोरखपुर	२९१७	४१
३—	वाराणसी	४५८२	७७६
४—	इलाहाबाद	११२८४	१९१
५—	गढ़वाल	३४७७	२८८
६—	कुमायूँ	११७२	१०१
७—	झाँसी	२२३३	८९
८—	आगरा	१०३०८	२१६
९—	बरेली	२६२६	८४
१०—	मुरादाबाद	३९५३	१३८
११—	मेरठ	१२९६४	२३७
१२—	लखनऊ	८३५०	१४६
	योग	६६०११	१२७

२.४१. मेरठ, इलाहाबाद, आगरा तथा लखनऊ मंडलों में इसी क्रमानुसार छात्राओं की संख्या अधिक है। अन्य मंडलों में छात्राओं की संख्या इनकी तुलना में काफी कम है। गोरखपुर, झाँसी, फैजाबाद, बरेली तथा कुमायूँ मंडलों में छात्राओं की संख्या प्रति लाख महिला जनसंख्या काफी कम है। इस दृष्टि से इलाहाबाद, गढ़वाल तथा मेरठ मंडल सबसे आगे हैं, जहाँ छात्रा संख्या प्रति लाख महिला जनसंख्या ४०० से अधिक है। यह संख्या फैजाबाद तथा बरेली मंडलों में सबसे कम है।

२.४२. किसी भी महाविद्यालय के समुचित ढंग से संचालन हेतु कुछ निश्चित शिक्षारत विद्यार्थियों की आवश्यकता होती है। किसी महाविद्यालय को सामान्यतः वायबिल तभी मानना उचित है जब उसमें न्यूनतम ३०० विद्यार्थी अवश्य शिक्षारत हों। परिशिष्ट २.६ में जनपदवार उन महाविद्यालयों की संख्या दी गयी हैं जिनमें ३०० से कम विद्यार्थी शिक्षारत हैं। इस परिशिष्ट के स्तम्भ ६ से ८ में उन महाविद्यालयों की भी संख्या दी गयी है जिनमें १०० से भी कम विद्यार्थी हैं। ३०० से कम विद्यार्थियों वाले महाविद्यालय प्रदेश के ४४ जनपदों में विद्यमान हैं। इनमें से सबसे अधिक ७ महाविद्यालय इलाहाबाद जनपद में हैं। ये सभी महिला महाविद्यालय हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस जनपद में महिला महाविद्यालयों की संख्या आवश्यकता से अधिक है। इस प्रकार के विद्यालय अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे अधिक कानपुर में ५ (२ महिला), आजमगढ़ में ४ (१ महिला), मेरठ में ५ (२ महिला) तथा बुलन्दशहर में ५ (१ महिला) हैं। फर्रूखाबाद, पौड़ी-गढ़वाल, अल्मोड़ा, आगरा, मथुरा, सहारनपुर तथा रायबरेली जनपदों में प्रत्येक में इस प्रकार के ३ महाविद्यालय स्थापित हैं। १०० से भी कम विद्यार्थियों वाले महाविद्यालय १० जनपदों में हैं, जिनमें से सबसे अधिक ३ महिला महाविद्यालय इलाहाबाद जनपद में हैं। पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा तथा मेरठ प्रत्येक में २ ऐसे महाविद्यालय हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या १०० से भी कम है। इस प्रकार के एक-एक महाविद्यालय वाराणसी, गढ़वाल, चमोली, जालौन, मैनपुरी, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर तथा रायबरेली जनपद में संचालित हैं।

अध्यापक

२.४३. जैसा कि पहले कहा जा चुका है स्वतन्त्रता के पश्चात महाविद्यालयों तथा छात्रों की संख्या में तीव्रगति से वृद्धि हुयी। अतएव अध्यापकों की संख्या में भी वृद्धि स्वाभाविक थी। तालिका २.१८ में स्वतन्त्रता के पश्चात से १९८०-८१ तक पंचवर्षीय अंतराल में अध्यापकों की संख्या एवं उनमें प्रतिशत वृद्धि दर्शायी गयी है।

तालिका २.१८ : प्रदेश के महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की संख्या एवं उसमें प्रतिशत वृद्धि

वर्ष	अध्यापकों की संख्या	अध्यापकों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि
१	१	३
१९४६—४७	४७८	—
१९५०—५१	१२४१	१६१.३०
१९५५—५६	२३२७	८६.३
१९६०—६१	३४४४	४८.०
१९६५—६६	५४३३	५७.८
१९७०—७१	८२६६	५२.१
१९७५—७६	११२५६	३६.२
१९८०—८१	१२४४५	१०.६

स्रोत : सांख्यिकी अनुभाग, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश ।

महाविद्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर ।

२.४४. तालिका २.१८ से यह स्पष्ट है कि अध्यापकों की संख्या वर्ष १९४६-४७ में केवल ४७८ थी जो बढ़कर वर्ष १९८०—८१ तक १२४४५ हो चुकी है । इस प्रकार अध्यापकों की संख्या में २५ गुने से भी अधिक की वृद्धि हुयी है । अध्यापकों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि वर्ष १९५०-५१ में १६१.३० प्रतिशत रही । उसके पश्चात यह प्रतिशत घटता गया ।

तालिका २.१९ में दशकवार अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात दिया गया है ।

तालिका २.१९ : दशकवार अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात

वर्ष	अध्यापक–विद्यार्थी अनुपात
१	२
१९५०-५१	१:२४
१९६०-६१	१:२०
१९७०-७१	१:२२
१९८०-८१	१:२९

२.४५. वर्ष १९५०-५१ से १९८०-८१ तक ४ दशकों में अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात में कोई विशेष परिवर्तन दृष्टि-गोचर नहीं होता । यह अनुपात १:२० (१९६०-६१) तथा १:२९ (१९८०-८१) के बीच रहा ।

जनपद तथा मंडलवार अध्यापक संख्या, औसत अध्यापक संख्या प्रति महाविद्यालय तथा औसत विद्यार्थी संख्या प्रति अध्यापक परिशिष्ट २.६ में दी गई है ।

२.४६. मंडलवार औसत अध्यापक संख्या प्रति महाविद्यालय तथा औसत विद्यार्थी संख्या प्रति अध्यापक तालिका २.२० में दी गयी है ।

तालिका २.२० से पता चलता है कि औसत अध्यापक संख्या प्रति महाविद्यालय २३ से ४४ के मध्य है । पूरे प्रदेश में सबसे कम २३ का औसत कुमायूँ मंडल में है तथा सबसे अधिक आगरा मंडल (४४) तथा मेरठ मंडल (३९) में है । प्रदेश के लिए यह औसत ३३ आता है और यही औसत मैदानी क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों का भी है । पर्वतीय क्षेत्र में स्थित औसत अध्यापक संख्या प्रति महाविद्यालय ३० है । औसत विद्यार्थी संख्या प्रति अध्यापक प्रदेश के लिये २९ आती है और यही औसत मैदानी क्षेत्रों के महाविद्यालयों का भी है । पर्वतीय क्षेत्र के महाविद्यालयों के लिये यह औसत २२ है । मंडलवार औसत विद्यार्थी संख्या प्रति अध्यापक २१ और ३८ के मध्य है । सबसे कम औसत गढ़वाल मंडल

महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की संख्या में वृद्धि

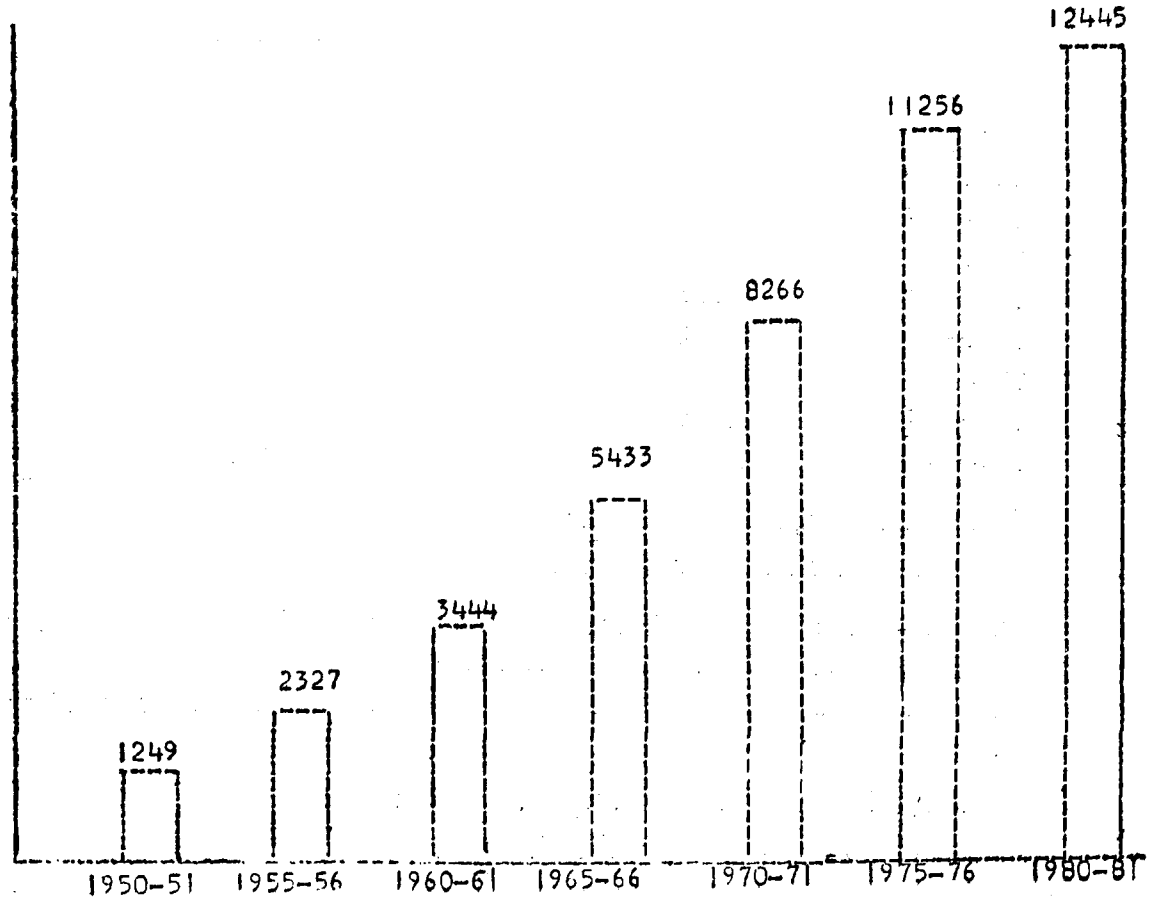

तालिका २.२० : मंडलवार औसत अध्यापक संख्या प्रति महाविद्यालय तथा औसत विद्यार्थी संख्या प्रति महाविद्यालय वर्ष १९८०-८१

क्रम संख्या	मंडल	औसत अध्यापक संख्या प्रति महाविद्यालय	औसत विद्यार्थी संख्या प्रति अध्यापक
१	२	३	४
१—	फैजाबाद	२७	२९
२—	गोरखपुर	२५	३८
३—	वाराणसी	२६	२९
४—	इलाहाबाद	३८	३०
५—	गढ़वाल	३५	२१
६—	कुमायूँ	२३	२३
७—	झाँसी	३०	३०
८—	आगरा	४४	२६
९—	बरेली	३५	२९
१०—	मुरादाबाद	३६	२४
११—	मेरठ	३९	२४
१२—	लखनऊ	२८	३५
	योग	३३	२९

(२१) तथा कुमायूँ मंडल (२३) में है। यह औसत सबसे अधिक गोरखपुर मंडल में ३८ है उसके पश्चात लखनऊ मंडल (३५) का स्थान आता है। विद्यार्थी, अध्यापक अनुपात में अन्तर के अनेक कारण हो सकते हैं। स्नातकोत्तर महाविद्यालय होने अथवा महाविद्यालय में सम्बद्ध संकायों के अनुसार यह अनुपात प्रभावित होता है। उदाहरण के लिये गढ़वाल

मंडल में ६९ प्रतिशत महाविद्यालयों में विज्ञान का संकाय है जबकि गोरखपुर तथा लखनऊ मंडलों में यह प्रतिशत क्रमशः ३० तथा ३५ के लगभग है। लखनऊ मंडल में सबसे अधिक १९ महाविद्यालय लखनऊ जनपद में हैं जो सभी केवल स्नातक स्तर तक के हैं। इसी प्रकार विधि की कक्षाओं में सामान्यतः विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात प्रभावित होता है।

औसत अध्यापक संख्या प्रति महाविद्यालय के अनुसार जनपदों का विभाजन तालिका २.२१ में किया गया है।

तालिका २.२१ : औसत अध्यापक संख्या प्रति महाविद्यालय के अनुसार जनपदों का विभाजन

औसत अध्यापक संख्या प्रति महाविद्यालय	जनपदों की संख्या
१	२
१—१०	२
११—२०	६
२१—३०	२५
३१—४०	१४
४० से ऊपर	९
योग	५६

२.४७ मात्र दो जनपदों, टेहरी-गढ़वाल तथा ललितपुर में औसत अध्यापक संख्या प्रति महाविद्यालय १० से भी कम है। इन दोनों जनपदों में प्रत्येक में एक-एक महाविद्यालय स्थित हैं। यह संख्या प्रदेश के सर्वाधिक २५ जनपदों में २१ से ३० के मध्य है। ४० से अधिक औसत अध्यापक संख्या प्रति महाविद्यालय वाले जिले अलीगढ़ (६५), आगरा (५७), कानपुर (५३), देहरादून (५१), गोण्डा (४७), मेरठ (४८), बरेली (४६), गाजियाबाद (४४) तथा इटावा (४२) हैं।

औसत विद्यार्थी संख्या प्रति अध्यापक के अनुसार जनपद का विभाजन तालिका २.२२ में दर्शाया गया है।

तालिका २.२२ : औसत विद्यार्थी संख्या प्रति अध्यापक के अनुसार जनपदों का विभाजन

औसत विद्यार्थी संख्या प्रति अध्यापक	जनपदों की संख्या
१	२
१—१०	१
११—२०	९
२१—३०	२८
३१—४०	१३
४१—५०	४
५०— से अधिक	१
योग	५६

२.४८ प्रदेश में टेहरी गढ़वाल एकमात्र ऐसा जनपद है जिसके महाविद्यालयों में औसत विद्यार्थी संख्या प्रति अध्यापक सबसे कम (८) है। गोंडा, फतेहपुर, उत्तरकाशी, पौड़ी-गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रामपुर तथा शाहजहाँपुर में यह औसत ११ से २० के बीच आता है। इन ९ जनपदों में ५ प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं। सर्वाधिक २८ जनपदों में यह औसत २१ से ३० के मध्य है, जबकि ५ जनपदों में ४१ या उससे अधिक है। बाराबंकी जनपद में औसत विद्यार्थी संख्या प्रति अध्यापक सर्वाधिक (६२) है। अन्य ४ जनपद देवरिया (४७), बस्ती (४४), झाँसी (४३) तथा लखीमपुर खीरी (४१) हैं।

अध्याय–३

प्रदेश की उच्च शिक्षा का अन्य प्रदेशों से तुलनात्मक अध्ययन

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना में विशिष्ट स्थान रखता है। परिशिष्ट ३.१ में विभिन्न प्रदेशों तथा केन्द्र शासित राज्यों में विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या, औसत जनसंख्या प्रति विश्वविद्यालय तथा औसत विद्यार्थी प्रति विश्वविद्यालय दर्शायी गई है। देखने से ज्ञात होता है कि वर्ष १९७९-८० में सम्पूर्ण भारतवर्ष में संचालित कुल ११९ विश्वविद्यालयों में (विश्वविद्यालय के समान संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए) सबसे अधिक २० विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। महाराष्ट्र (१७) का दूसरा तथा मध्य प्रदेश (१०) का तीसरा स्थान होते हुए भी वे इस प्रदेश से काफी पीछे थे। अन्य प्रदेश—आन्ध्र प्रदेश, बिहार तथा गुजरात (प्रत्येक में ९) जहाँ १० से भी कम विश्वविद्यालय संचालित थे अपेक्षाकृत संतोषजनक स्थिति में होते हुए भी इस प्रदेश की तुलना में आधे से भी कम विश्वविद्यालय वाले थे।

३.०२ वर्ष १९८१ की जनगणना के अनुसार प्रदेश में सम्पूर्ण भारतवर्ष की १६.२ प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है जब कि १६.८ प्रतिशत विश्वविद्यालय यहीं स्थित हैं। प्रदेश में प्रति ५५.४ लाख जनसंख्या पर एक विश्वविद्यालय की सुविधा उपलब्ध है जब कि सम्पूर्ण देश के लिए जनसंख्या का यह औसत ५७.५ लाख प्रति विश्वविद्यालय है। हिमांचल प्रदेश (२१.२ लाख), हरियाणा (४२.८ लाख), गुजरात (३७.४ लाख), पंजाब (४१.७ लाख), जम्मू व कश्मीर (२९.९ लाख) आदि प्रदेशों में यह औसत इस प्रदेश की तुलना में कम है परन्तु अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों जैसे, आन्ध्र प्रदेश (५९.३ लाख), बिहार (७७.६ लाख), महाराष्ट्र (५७.० लाख), कर्नाटक (७४.१ लाख), तामिलनाडु (८०.५ लाख) आदि में विश्वविद्यालयों की संख्या अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होते हुए भी औसत जनसंख्या प्रति विश्वविद्यालय अधिक है। केरल, तामिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल आदि प्रदेश जहाँ साक्षरता का प्रतिशत इस प्रदेश की तुलना में अधिक है, भी इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश से पीछे हैं। अतः जनसंख्या के आधार पर दूसरे प्रदेशों की तुलना में इस प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या संतोषजनक कही जा सकती है।

३.०३. उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की संख्या की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश का स्थान सर्वप्रथम आता है। वर्ष १९७९-८० में प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य सम्बद्ध संस्थाओं में कुल ४.३२ लाख विद्यार्थी (छात्र-छात्रायें) भर्ती थे, जो अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक है तथा सम्पूर्ण भारतवर्ष की कुल विद्यार्थी संख्या (२६.४९ लाख) का १६.३१ प्रतिशत है। महाराष्ट्र (३.३४ लाख) तथा मध्य प्रदेश (२ लाख) जहाँ क्रमशः ११ तथा १० विश्वविद्यालय थे, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर होते हुए भी इस प्रदेश से काफी पीछे हैं। औसत विद्यार्थी संख्या प्रति विश्वविद्यालयों की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश की स्थिति संतोषजनक है। यहाँ वर्ष १९७९-८० में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत औसत विद्यार्थी संख्या प्रति विश्वविद्यालय २१,५७९ थी जो कि सम्पूर्ण भारत के औसत २२,२५७ के काफी निकट है। कर्नाटक (३६,५३५), राजस्थान (३६,११०), तामिलनाडु (३०, ७१६), महाराष्ट्र (३०,३८३) पंजाब (२८,०३५) तथा केरल (२६,५७४) आदि बड़े राज्यों में औसत विद्यार्थी संख्या प्रति विश्वविद्यालय इस प्रदेश की अपेक्षा अधिक है।

३.०४. इस प्रदेश की महिलाओं में उच्च शिक्षा का प्रचलन यद्यपि अन्य प्रदेशों की तुलना में अच्छा नहीं कहा जा सकता, फिर भी वर्ष १९७९-८० में यहाँ ७९, ३२२ छात्राएँ उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहीं थीं जो कुल विद्यार्थी संख्या का लगभग १८.४ प्रतिशत है। विभिन्न प्रदेशों में वर्ष १९७९-८० की स्थिति के अनुसार उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या तथा उनका प्रतिशत परिशिष्ट ३.२ में दर्शाया गया है। बिहार (१२.१ प्रतिशत) तथा उड़ीसा (१६.० प्रतिशत) के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं का प्रतिशत उत्तर प्रदेश से अधिक है। राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश इस दृष्टि से सम्पूर्ण देश के औसत से नीचे होते हुए भी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा काफी अच्छी स्थिति में हैं।

३.०५. वर्ष १९७५-७६ एवं १९७९-८० में विद्यार्थी संख्या तथा औसत वार्षिक वृद्धि का प्रदेशवार विवरण परिशिष्ट ३.३ में दिया गया है। वर्ष १९७५-७६ से १९७९-८० के अन्तराल में इस प्रदेश में विद्यार्थियों की संख्या में लगभग ८० हजार की वृद्धि हुई जो उक्त अवधि में सम्पूर्ण देश में वृद्धि (२.२२ लाख) की ३६.० प्रतिशत है। इस प्रकार उक्त अवधि में प्रदेश की विद्यार्थी संख्या में वार्षिक वृद्धि का औसत लगभग ५.३ प्रतिशत रहा जो देश के कुल औसत २.२ प्रतिशत वार्षिक के दुगने से भी अधिक है। असम/मणिपुर (९.५), मेघालय/नागालैण्ड (१०.९), राजस्थान (१०.५), केरल

(७.७), कर्नाटक (६.५), मध्य प्रदेश (६.४) तथा बिहार (५.९) ही ऐसे प्रदेश हैं जहाँ औसत वार्षिक वृद्धि प्रदेश की तुलना में अधिक है। आन्ध्र प्रदेश में इस प्रदेश की तुलना में औसत वार्षिक वृद्धि कम है।

३.०६. केवल कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों में सम्बद्ध महाविद्यालयों की वर्ष १९७५-७६ व १९७९-८० में संख्या तथा वृद्धि का प्रदेशवार विवरण परिशिष्ट ३.४ में दर्शाया गया है। प्रदेश में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या वर्ष १९७५-७६ में कुल ३४६ थी जो १९७९-८० में बढ़कर ३८० हो गयी जब कि उक्त अवधि में सम्पूर्ण भारतवर्ष में यह संख्या २९९५ से बढ़कर ३२३० हुई है। इस प्रकार पूरे देश में ऐसे महाविद्यालयों की संख्या में ७.८९ प्रतिशत वृद्धि के विपरीत उत्तर प्रदेश में अधिक अर्थात ९.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। अकेले बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ उपर्युक्त अवधि में उपरोक्त संकायों वाले महाविद्यालयों की संख्या वृद्धि (३५), उत्तर प्रदेश में वृद्धि (३४) से अधिक है। अन्य सभी राज्यों में यह संख्या उत्तर प्रदेश की तुलना में कम है। असम/मणिपुर, केरल, राजस्थान, बिहार, आन्ध्र प्रदेश तथा हिमांचल प्रदेश ही ऐसे राज्य है जहाँ कुल महाविद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश की अपेक्षा कम होते हुए भी प्रतिशत वृद्धि अधिक है। यद्यपि महाराष्ट्र में उक्त महाविद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश से काफी अधिक है परन्तु वहाँ उक्त चार वर्षों में केवल २१ नए महाविद्यालय स्थापित हुए हैं तथा प्रतिशत वृद्धि मात्र ५.२ रही।

३.०७. वर्ष १९७५-७६ तथा १९७९-८० में कला, विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय में सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का प्रदेशवार विवरण परिशिष्ट ३.५ में दर्शाया गया है। वर्ष १९७५-७६ से १९७९-८० तक चार वर्षों की अवधि में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या पूरे प्रदेश में १०६ से बढ़कर १२७ हो गयी थी जब कि इसी अवधि में उक्त संकाय वाले महाविद्यालयों की संख्या सम्पूर्ण देश में ५९५ से बढ़कर ६७६ हो गयी थी। इस प्रकार जहाँ पूरे देश में इनकी संख्या में ९० की वृद्धि हुई वहीं अकेले उत्तर प्रदेश में २१ की बढ़ोत्तरी हुई है। इस प्रकार प्रदेश के लिए इसकी वृद्धि दर १९.१ प्रतिशत थी जब कि यह वृद्धि पूरे देश के लिए मात्र १३.४ प्रतिशत है। महाराष्ट्र तथा तामिलनाडु ही ऐसे प्रदेश हैं जहाँ इस प्रकार के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या में प्रदेश की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है। इन प्रदेशों में उक्त अवधि में इनकी संख्या में क्रमशः २९ तथा २६ की बढ़ोत्तरी हुई है। राजस्थान में इस संख्या में २१ की वृद्धि हुई है जो इस प्रदेश के समतुल्य है। अन्य प्रदेशों में यह वृद्धि नाम मात्र की ही हुई है।

३.०८. अन्त में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उच्च शिक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अपेक्षाकृत एक विकसित प्रदेश है और उच्च शिक्षा के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

अध्याय–४

उच्च शिक्षा के विकास में प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका

प्रदेश में उच्च शिक्षा के महत्व को देखते हुए इसके कार्यों के समुचित सम्पादन तथा गुणात्मक सुधार लाने हेतु शासन ने वर्ष १९७२ में पृथक रूप में उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना इलाहाबाद में की। इससे पूर्व संपूर्ण उच्च शिक्षा के कार्य का सम्पादन सम्मिलित शिक्षा निदेशालय में ही हुआ करता था। उच्च शिक्षा के तीव्रगति से हो रहे विस्तार के फलस्वरूप उच्च शिक्षा निदेशालय अलग किये जाने से महाविद्यालयों का सुनियोजित विकास तथा उच्च शिक्षा की समस्याओं को सुलझाना अधिक सुगम हो गया है। इस निदेशालय का संचालन शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा किया जाता है। उनकी सहायता के लिए एक संयुक्त शिक्षा निदेशक, एक महाविद्यालय विकास अधिकारी, एक उप शिक्षा निदेशक, एक उप निदेशक (सांख्यिकी), दो सहायक शिक्षा निदेशक, दो सहायक उप शिक्षा निदेशक, एक वरिष्ठ लेखाधिकारी, एक लेखाधिकारी, तीन शोध अधिकारी तथा दो सहायक लेखा अधिकारी मुख्यालय पर कार्यरत हैं। कार्य कर रहे अधिकारियों की सूची परिशिष्ट ४.१ में दी गई है।

४.०२. प्रदेश के समस्त ४० राजकीय महाविद्यालयों के प्रशासन तथा नियोजन का कार्य सीधे इस निदेशालय द्वारा सम्पादित होता है। सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शासकीय व्यवस्था के माध्यम से वेतन तथा पेंशन-वितरण सुनिश्चित करने तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन भी अब उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय करते हुए उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व भी शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा पर है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को विभिन्न प्रकार की छात्र-वृत्तियाँ प्रदान करने का कार्य भी इसी निदेशालय द्वारा सपन्न होता है।

४.०३. उच्च शिक्षा के प्रसार तथा उसकी जटिल एवं गम्भीर समस्याओं के निराकरण हेतु छठीं पंचवर्षीय योजना में "उच्च शिक्षा निदेशालय में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना" नामक एक परियोजना वर्ष १९७९-८० में आरम्भ की गई। इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों में उच्च-शिक्षा को सही दिशा में व्यवस्थित एवं विकसित करने के लिए एक "सूचना-प्रणाली" निदेशालय में स्थापित की गयी है। इस परियोजना के फलस्वरूप एक समयबद्ध कार्य-क्रम के अनुसार महाविद्यालय-शिक्षा का सांख्यिकीय अध्ययन कर उच्च शिक्षा को सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित ढंग से विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रयोगात्मक रूप से सर्वप्रथम गोरखपुर विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना गोरखपुर जनपद में की गयी है, जो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत कार्य कर रहा है। इसी योजना के अंतर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मंडलीय उप शिक्षा निदेशक (झाँसी) के कार्यालय में सहायक सांख्यिकी अधिकारी तथा सहायक लेखाधिकारी का पद देकर उसे भी सुदृढ़ किया गया है। निकट भविष्य में दूसरे विश्वविद्यालय क्षेत्रों में भी क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना प्रस्तावित है जिसके फलस्वरूप महाविद्यालयों से अधिक निकट का सम्पर्क स्थापित करना सम्भव हो सकेगा जो उनके सुव्यवस्थित विकास में विशेष योगदान दे सकेगा।

४.०४. प्रदेश शासन शिक्षकों तथा महाविद्यालयों में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के कल्याण की ओर सदा सजग रहा है और उसका यह निरन्तर प्रयास रहा है कि महाविद्यालयों में कार्य कर रहे शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान की जायँ। इस दृष्टि से शासन समय-समय पर उनके हित में निर्णय लेता रहा है और इस समय शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को जो सुविधायें मिल रहीं हैं वे राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के लगभग समान ही हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक १ अप्रैल, १९६६ से महा-विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की जिन नये वेतनमानों की संस्तुति की गई थी उनको शासन ने तत्काल स्वीकार कर लिया था। उसके पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षकों के वेतनमानों को दिनांक १ जनवरी, १९७३ से पुनः संशोधित करने की संस्तुति की, जिसके अनुसार न्यूनतम रुपया ७००-१६०० का वेतनमान सभी शिक्षकों के लिये प्रस्तावित था। इन वेतनमानों के लागू होने से शासन पर काफी वित्तीय बोझ पड़ रहा था, फिर भी बिना किसी भी परिवर्तन के आयोग द्वारा संशोधित वेतनमानों को स्वीकार कर लिया गया। केवल यही नहीं, दिनांक १ अप्रैल, १९७३ से राज्य कर्मचारियों की भाँति समान दरों पर मंहगाई भत्ता/अतिरिक्त मंहगाई भत्ता शिक्षकों को भी मिलने लगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान में महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं का रुपया १३००/- के स्तर पर मूल्यांकन किया जाता था, जबकि यह व्यवस्था विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रवक्ताओं के लिए

निर्धारित नहीं थी । शासन ने शिक्षकों के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के उपरान्त रुपया १३००/—के स्तर पर मूल्यांकन भी हटा दिया और महाविद्यालयों के शिक्षकों का वेतनमान विश्वविद्यालयों के प्रवक्ताओं के समकक्ष कर दिया । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वेतनमानों में निरन्तर वृद्धि प्राप्त करते रहने हेतु पूर्व में निर्धारित सीमा को अब बढ़ाकर ३० जून, १९८४ तक कर दिया है । पूर्व में शिक्षकों को कोई मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता था । अब शासन ने १ अप्रैल, १९८१ से अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को ५ लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में १० प्रतिशत प्रति माह की दर से तथा १ लाख या उससे अधिक किन्तु ५ लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में ७.५ प्रतिशत प्रति माह की दर से, मकान किराया भत्ता देना स्वीकृत कर दिया है । दिनांक १ अप्रैल १९७५ से अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों का वेतन वितरण शासकीय एजेन्सी के माध्यम से किया जाने लगा है । इससे अनियमितताये रोकी जा सकी हैं और शिक्षकों को नियमित रूप से वेतन प्राप्त होने लगा है ।

४.०५. अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को सेवाकाल के पश्चात् बहुत कम पेंशन मिलती थी । शासन की हमेशा यह नीति रही है कि वृद्धावस्था में लोगों को पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराई जायँ । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये दिनांक १ अप्रैल, १९७९ से शिक्षकों को उनके विकल्प के अनुसार विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को अनुमन्य दरों पर अंशदायी भविष्य निधि की सुविधा अथवा सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य दरों पर पेंशन की सुविधा प्रदान कर दी गई है । इसके लिए शिक्षकों से एक विकल्प देने को कहा गया है । शासन ने शिक्षकों को महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र में भी प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया और वर्ष १९७७ से प्रत्येक महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र में शिक्षकों को २५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है । इस समय प्रबन्धतन्त्र में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व से महाविद्यालयों के संचालन में उनका महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हुआ हैं । इसके अतिरिक्त नयी अर्हतायें आने के पूर्व से चयनित शिक्षकों को महाविद्यालय बदलने पर नयी अर्हताओं की छूट प्रदान करने की दृष्टि से परिनियमों में आवश्यक संशोधन कर दिये गये हैं ।

४.०६. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत महाविद्यालयों के अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता सुदृढ़ करने हेतु उन्हें ४ वर्ष तक टीचर फेलोशिप स्कीम के अन्तर्गत शोध कार्य करने की सुविधा प्रदान की थी । शिक्षकों को शोध कार्य करते समय किसी आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े इसको ध्यान में रखते हुए शासन ने इस योजना के अंतर्गत सवेतन तथा वेतन-वृद्धि सहित शोध करने हेतु अवकाश की सुविधा प्रदान कर दी है ।

४.०७. पूर्व में सभी स्नातक महाविद्यालयों के प्राचार्यों को रु० १२००-१९०० का वेतनमान दिया जाता था । बहुत से ऐसे स्नातक महाविद्यालय हैं जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में छात्र अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ के प्राचार्यों को स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्यों की भाँति ही अधिक उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं । अतः शासन से २-६-८० से उन सभी स्नातक महाविद्यालयों के प्राचार्यों को जहाँ दो हजार तक मिश्रित छात्र संख्या है अथवा १४०० छात्र संख्या वाले महिला महाविद्यालयों के प्राचार्यों को भी स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्यों की तरह रुपये १५००-२५०० का वेतन अनुमन्य कर दिया है । इस प्रकार की सुविधा अधिकांश प्रदेशों में उपलब्ध नहीं हैं ।

४.०८ उच्च शिक्षा के विकास को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना ने नया मोड़ दिया है । इस आयोग का जन्म वर्ष १९५३ में हुआ था और इसके कार्य-अधिकारों के क्षेत्र में वर्ष १९५४ में और वृद्धि की गई । ५ नवम्बर, १९५६ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ द्वारा उसे स्टैट्युटरी संस्था का रूप मिला । इस अधिनियम द्वारा आयोग को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह विश्वविद्यालय शिक्षा में विकास करके उसमें सामंजस्य स्थापित करे तथा शिक्षण, परीक्षा एवं शोध कार्यों में गुणात्मक सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाये । यह आयोग विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता देने के लिये भी समक्ष हैं । शिक्षा के क्षेत्र में अन्तरक्षेत्रीय असमानता को दूर करने में भी आयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ।

४.०९. शिक्षकों की क्षमताओं को बढ़ाने तथा शिक्षा के उच्च स्तर को कायम रखने के लिए आयोग द्वारा विशेष प्रयत्न किया जा रहा है । आयोग ने शिक्षकों को मिलने वाले वेतन की भी समीक्षा की है और यह पाया है कि वेतन बहुत कम होने के कारण योग्य व्यक्ति इन पदों के लिए नहीं मिल पा रहे हैं । शिक्षकों के स्तर में सुधार हेतु आयोग ने वर्ष १९६६ तथा पुनः वर्ष १९७३ में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन को संशोधित करने की संस्तुति की । वर्ष १९७३ में शिक्षकों का वेतनमान रुपया ७००-१६०० निर्धारित करने से महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में प्रर्याप्त वृद्धि हो गई साथ ही वे विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समान वेतन प्राप्त करने लगे । इस प्रकार अब तक जो योग्य व्यक्ति बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों, प्रशासनिक सेवाओं आदि की ओर जा रहे थे, वे अब उच्च

शिक्षा की ओर आकर्षित होने लगे और शिक्षकों के पदों के लिए अधिक योग्य व्यक्ति मिलने लगे। शिक्षकों की शैक्षिक क्षमता बढ़ाने के लिये फैकेल्टी प्रोग्राम के अंतर्गत आयोग द्वारा सहायता के अतिरिक्त अध्यापकों के लिए सेमिनार व वर्कशाप आयोजित किए जाते हैं और उनको शोध कार्य हेतु विशेष अनुदान प्रदान किया जाता है।

४.१०. परीक्षाओं के स्तर में सुधार करने के लिए भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निरन्तर प्रयास कर रहा है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु काफी समय से ३ वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम चलाने का प्रश्न विचाराधीन था। आयोग की संस्तुति पर देश के कुछ विश्वविद्यालयों ने ३ वर्षीय पाठ्यक्रम चलाना आरम्भ कर दिया है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर लागू हो चुका है। मेरठ विश्वविद्यालय में भी स्नातक स्तर पर विज्ञान की कक्षाओं का पाठ्यक्रम ३ वर्ष का कर दिया गया है। आयोग द्वारा पाठ्यक्रमों के आधुनिकीकरण का भी प्रयास किया जा रहा है। नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं में बहुत अन्तर है। आयोग द्वारा यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि पाठ्यक्रम इस प्रकार से तैयार किये जायें कि वे वर्तमान सामाजिक ढाँचे के अनुरूप हों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी हों। इसके साथ ही ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्र के भी अधिक से अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित करने की ओर भी आयोग ध्यान दे रहा है। इस बात का भी प्रयत्न किया जा रहा है कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएँ भी सम्मिलित की जायें। प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण खरीदने, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के भवनों के निर्माण तथा सुधार, पुस्तकालयों को सुदृढ़ करने के लिए पुस्तकों का क्रय, बुकबैंक की स्थापना आदि कार्यक्रमों पर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वित्तीय सहायता दे रहा है। आयोग अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह जैसे कार्यक्रमों को भी उत्साहित करता है जिससे विभिन्न भागों के युवक तथा युवतियों में भावात्मक एकता की प्रवृत्ति जागृत हो।

४.११. छठीं पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को जो मुख्य सहायता दे रहा है वह इस प्रकार है : प्रारम्भिक असिस्टेंस के रूप में एम. फिल. करने हेतु शिक्षकों को एक वर्ष के सवेतन अवकाश की सुविधा, सेमिनार तथा कान्फ्रेंस में शोधपत्र पढ़ने हेतु शिक्षक तथा शोध छात्रों को यात्रा तथा दैनिक भत्ता देने का प्राविधान तथा शिक्षकों की शैक्षिक क्षमता को बढ़ाने के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए अनुदान। पुस्तकों तथा शोध पत्रिकाओं को क्रय करने, बुक बैंक स्थापित करने तथा प्रयोगशालाओं के लिये उपकरणों को क्रय करने के लिए भी आयोग द्वारा सहायता दी जा रही है। भवन, छात्रावास, आवास, कैन्टीन आदि के निर्माण के लिए आयोग द्वारा छठीं पंचवर्षीय योजना में अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। स्नातकोत्तर कक्षाओं को चलाने के लिए कला, वाणिज्य, विज्ञान आदि विभागों में रीडर तथा प्रोफेसर के पद सृजित करने के लिए भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता दे रहा है। छठीं पंचवर्षीय योजना में इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जनपदों तथा जनजाति बहुल क्षेत्रों में स्थापित महाविद्यालयों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाय। आयोग द्वारा अनुदान शत प्रतिशत अथवा ५०% या ७५% मैचिंग शेयर की शर्त पर दिया जाता है। छठीं पंचवर्षीय योजना में आयोग द्वारा महाविद्यालयों को विभिन्न कार्यक्रमों पर सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। आयोग द्वारा अनुदान के अंशदान का विवरण परिशिष्ट ४.२ में दिया गया है।

४.१२. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों को वर्ष १९७९-८० में दिये गये अनुदान का विवरण परिशिष्ट ४.३ में दिया गया है। इसको देखने से ज्ञात होता है कि ह्यूमैनिटीज़ पाठ्यक्रमों के विकास के लिए रुपया ३५.३० लाख का अनुदान विश्वविद्यालयों को दिया गया। इस मद के अंतर्गत सबसे अधिक अनुदान रुपया ७.३७ लाख लखनऊ विश्वविद्यालय को तथा इसके बाद रुपया ६.१८ लाख मेरठ विश्वविद्यालय तथा ६.० लाख आगरा विश्वविद्यालय को मिला। विज्ञान की कक्षाओं के विकास के लिए रुपया ७६.८१ लाख वितरित किये गये। इसमें सबसे अधिक लखनऊ विश्वविद्यालय को रुपया २७.२६ लाख तथा रुड़की विश्वविद्यालय को रुपया २१.६३ लाख मिला। विश्वविद्यालयों को उनके सहयुक्त/संघटक महाविद्यालयों/संस्थाओं के विकास के लिए रुपया १९.६७ लाख का अनुदान दिया गया। इस मद के अन्तर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय को ६.९४ लाख रुपये का सबसे अधिक अनुदान प्राप्त हुआ। विविध योजनाओं के अंतर्गत ४६.०७ लाख रुपये का अनुदान आयोग द्वारा दिया गया। इस शीर्षक के अंतर्गत कक्षाओं में सुधार, पाठ्यक्रमों के आधुनिकीकरण, पत्राचार पाठ्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा, सेमिनार, फैकेल्टी अवार्ड, टीचर फैलोशिप आदि मद सम्मिलित हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम्पूर्ण विश्वविद्यालयों को कुल दी गयी सहायता वर्ष १९७९-८० में रुपया २४१.५२ लाख थी, जिसमें से सर्वाधिक रुड़की विश्वविद्यालय को रुपया १००.७० लाख दिये

गये थे। इसके पश्चात् लखनऊ विश्वविद्यालय को कुल रुपया ५५.१७ लाख का अनुदान दिया गया। सबसे कम अनुदान केवल ४० हजार रुपये गोविन्द बल्लभ पन्त विश्वविद्यालय, पंतनगर (नैनीताल) को मिला।

४.१३. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदेश के महाविद्यालयों को वर्ष १९७९-८० में दिये गये अनुदानों का विवरण परिशिष्ट ४.४ में दिया गया है। यह सूचना विश्वविद्यालयवार दी गयी है। महाविद्यालयों को वर्ष १९७९-८० में दिया गया अनुदान रुपया ८१.५८ लाख था। इसमें सबसे अधिक रुपया २०.७८ लाख मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को दिया गया। सबसे कम अनुदान केवल १८ हजार रुपये, कुमायूँ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को दिया गया। ह्यूमैनिटीज तथा विज्ञान के लिए क्रमशः रुपया १.७१ लाख तथा रुपया ४.९८ लाख का अनुदान दिया गया। महाविद्यालयों के विकास तथा निर्माण की विभिन्न योजनाओं के लिए ६९.०१ लाख रुपये का अनुदान दिया गया जिसमें से सर्वाधिक रुपया १८.६३ लाख मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्राप्त हुआ।

अध्याय–५

उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियाँ

प्रदेश के राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के परिश्रमी तथा प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन देने एवं निर्धन तथा मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार की छात्र-वृत्तियों तथा वृत्तिका की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त पुस्तकीय सहायता का भी प्राविधान है। विश्वविद्यालयों द्वारा बरसरी भी प्रदान की जाती है। कुछ छात्रवृत्तियाँ शोध करने वाले छात्रों को भा दी जाती हैं। शुल्क की प्रतिपूर्ति करके भी सहायता देने का प्राविधान है। अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति तथा राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसका विवरण इस प्रकार है।

राष्ट्रीय योग्यता छात्रवत्ति

५.२. हाई स्कूल परीक्षा की श्रेष्ठता-सूची के आधार पर देय;इस छात्रवृत्ति का स्नातक स्तर पर नवीनीकरण किया जाता है। बी० ए०/बी० एस० सी०/बी० काम० आदि कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति ७५ रुपया प्रतिमाह की दर से प्राप्त होती है। यदि उक्त कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी छात्रावास में रहता है तो उसे प्रतिमाह ११० रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रोफेसनल, तकनीकी तथा मेडिकल विषयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले सामान्य विद्यार्थियों तथा छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति क्रमशः १०० रुपये एवं १२५ रुपये दी जाती है। बी० एड०, एल० एल० बी० तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों एवं छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए इस छात्रवृत्ति की दर क्रमशः १०० रुपये तथा १२५ रुपये है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति हेतु वर्ष १९८१-८२ में ४१४० हजार रुपये का प्राविधान है, जिसमें स्नातक स्तर पर लगभग ८५० नवीन छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने तथा लगभग २५०० से अधिक छात्रवृत्तियों का नवीनीकरण सम्मिलित है।

५.३. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिवर्ष ८०० राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्तियाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर-प्रदेश के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर के परीक्षाफल के आधार पर प्रदान की जाती हैं। उक्त सभी छात्रवृत्तियों का नवीनीकरण शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा किया जाता है। अब इन छात्रवृत्तियों की दरों में भारत सरकार ने संशोधन कर दिये हैं।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति

५.४. निर्धन तथा योग्य विद्यार्थियों को, जो कक्षा में कम से कम ५० प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होते हैं, भारत सरकार के प्रति वर्ष के निर्धारित कोटे के अनुसार राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियाँ योग्यता या साधन के अनुसार वितरित की जाती है। यह छात्रवृत्ति शिक्षा समाप्ति के पश्चात् आय के अनुसार निर्धारित मासिक किश्तों में वापस करनी पड़ती है।

५.५. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति बी० ए०, बी० एस० सी०, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, एम० बी० ए० तकनीकी आदि में ५० रुपया प्रतिमाह तथा बी० ई०, एम० बी० बी० एस० आदि कक्षाओं में ७० रुपया प्रतिमाह छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को १० रुपया प्रतिमाह अधिक की दर से देय है। स्नातकोत्तर स्तर के विज्ञान या साहित्य विषय के विद्यार्थियों के लिए ६५ रुपया प्रतिमाह तथा इंजीनियरिंग या चिकित्सा के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का ८५ रु० प्रतिमाह, छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को १० रु० प्रतिमाह अधिक स्वीकृत किये जाते हैं। शोध कार्य के स्तर पर साहित्य एवं विज्ञान के विद्यार्थियों को ११५ रुपया प्रतिमाह की दर से तथा तकनीकी विषयों में शोधरत विद्यार्थियों को १३५ रुपया प्रतिमाह की दर से (छात्रावास में रहने वालों को १० रुपये प्रतिमाह अधिक) ऋण छात्रवृत्ति की स्वीकृति का प्राविधान है। इस छात्रवृत्ति की स्वीकृति शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा तथा आगे का नवीनीकरण संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाता है।

५.६. वर्ष १९८०-८१ में ऋण छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु सम्पूर्ण शिक्षा का बजट प्राविधान ५० लाख रुपये था, जिसकी लगभग ८५ प्रतिशत धनराशि वितरित की गई। तालिका ५.१ में वर्ष १९८०-८१ की राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति का विवरण दिया गया है।

तालिका ५.१ : राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति का कुल बजट, वितरित धनराशि, निर्धारित कोटा तथा नई स्वीकृतियाँ वर्ष १९८०-८१

मद	धनराशि/संख्या
१—कुल बजट	५०, ००, ०००
२—कुल वितरित राशि	४२, ३४, ३६५
३—निर्धारित कोटा	३, १४७
४—नयी स्वीकृतियाँ	
उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा	६६८
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा	१,,४३४

अन्य छात्रवृत्तियाँ

५.७. उपरोक्त के अतिरिक्त अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियाँ निर्धन, योग्य, कमजोर वर्ग और असेवित क्षेत्रों के छात्रों को दी जाती हैं। शिक्षा संहिता के विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत भी इण्टर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इनकी स्वीकृति वितरण विभिन्न छात्रवृत्तियों के अनुसार शासन, उच्च शिक्षा निदेशक, मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक आदि के स्तर से होती है। तालिका ५.२ में उच्च शिक्षा के लिये देय कतिपय प्रमुख छात्रवृत्तियों का विवरण दिया गया है।

तालिका ५.२ : कतिपय प्रमुख छात्रवृत्तियों के नाम, संख्या एवं दर तथा वित्तीय वर्ष १९८१-८२ का आय व्ययक प्राविधान

क्रम संख्या	छात्रवृत्तियों का नाम	वित्तीय वर्ष १९८१-८२ का बजट प्राविधान (हजार रुपये में)	छात्रवृत्तियों की संख्या एवं दर
१	२	३	४
१	केन्द्रीय योजना के अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बच्चों को योग्यता छात्रवृत्ति	२१३	कुल छात्रवृत्तियों की संख्या २३० है। ७५ रुपया से १५० रुपया प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय है। प्रत्येक वर्ष १०३ नई छात्रवृत्तियाँ हाई स्कूल की परीक्षा के आधार पर स्वीकृत होती हैं जो उपरोक्त २३० छात्रवृत्तियों में सम्मिलित रहती हैं। इन छात्रवृत्तियों का नवीनीकरण प्रगति आख्या के आधार पर नियमानुसार शोध कार्य तक चलता रहता है।
२	स्वतंत्रता संग्राम सेवानियों के आश्रितों के बच्चों को शैक्षिक सुविधायें और छात्रवृत्तियाँ	३८८	छात्रवृत्तियों एवं पुस्तकीय सहायता की संख्या निश्चित नहीं है। प्रत्येक छात्रवृत्ति न्यूनतम ३० रुपया प्रतिमास तथा पुस्तकीय सहायता १५० रुपया से १८० रुपया वार्षिक प्राविधानित धनराशि के आधार पर स्वीकृत की जाती है, स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्तियों की स्वीकृतियाँ मंडलीय अधिकारियों द्वारा तथा शोध कक्षाओं में निदेशालय द्वारा की जाती है।
३	माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्तियाँ	५४	आचार्य में ४० रुपया तथा शास्त्री में ३० रुपया प्रतिमाह की दर से कुल ६८ छात्रवृत्तियाँ निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत की जाती है।
४	विश्वविद्यालयों के छात्रों को विशेष छात्र वेतन तथा पुस्तकों की व्यवस्था	१७०	३० रुपया मासिक १२ मास के लिए न्यूनतम ४५ प्रतिशत अंक पाने पर योग्यता क्रम में मंडलीय अधिकारियों द्वारा प्रदत्त हैं।

१	२	३	४
५	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियाँ तथा पुस्तकों की व्यवस्था	६०	२०० छात्रवृत्तियाँ २० रुपया प्रतिमास, १०० छात्रवृत्तियां बी० ए०, बी० एस० सी० प्रथम वर्ष तथा १०० छात्रवृत्तियाँ द्वितीय वर्ष में छात्र/छात्राओं की श्रेष्ठतानुसार प्रदान की जाती हैं।
६	इंडियन स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली में शोध करने वाले उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ	२६	२ छात्रवृत्तियाँ ३०० रुपये प्रतिमास। इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली में शोधरत छात्रों को ३०० रुपया प्रतिमास की दर से ३ साल के लिए छात्रवृत्ति देय है।
७	बर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीय राष्ट्रियकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा	३	छात्रवृत्तियों की संख्या निश्चित नहीं है। प्रत्येक छात्रवृत्ति ८५ रुपया से ६० रुपया प्रतिमास तक वृत्तिका तथा न्यूनतम ११२ रुपया से ११५ रुपया तक पुस्तकीय सहायता निदेशालय द्वारा स्वीकृत की जाती है।
८	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं में योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति	६	छात्रवृत्तियों को २० रुपया प्रतिमास की दर से मंडलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
९	सीमान्त क्षेत्रीय या युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तैनात यू० पी० पी० ए० सी० जवानों व सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों के बच्चों तथा आश्रितों को छात्रवृत्तियाँ एवं पुस्तकीय सहायता	३ ६०	छात्रवृत्तियाँ २० रुपया प्रतिमास, ३० छात्रवृत्तियाँ प्रथम वर्ष एवं ६० छात्रवृत्तियाँ द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को बी० ए०, बी० एस० सी० एवं बी० काम० में प्रदान की जाती हैं।
१०	१९७१ के पाकिस्तानियों के आक्रमण से प्रभावित प्रतिरक्षा कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को शैक्षिक सुविधायें	११	लगभग ३३ छात्रवृत्तियाँ २० रुपया प्रतिमास की दर से १२ माह के लिए स्वीकृत होती हैं।
११	स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं को अतिरिक्त बर्सरी छात्रवृत्तियाँ	५५१	शासन द्वारा प्राविधानित धनराशि को विद्यालयों, प्रस्तोताओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु धनराशि दी जाती है।
१२	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा	८८	प्राविधानित धन में से मंडलीय स्तर पर छात्रों के द्वारा देय शुल्क आदि क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में दिया जाता है।
१३	सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के बच्चों एवं आश्रितों को शैक्षिक सुविधा	१	क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में दिया जाता है।
१४	वीरगति प्राप्त अथवा अंगहीन प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बालकों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था	६	--- तदैव ---
१५	भारत की सुरक्षा में सीमावर्ती क्षेत्रों के वीरगति प्राप्त प्रान्तीय कांस्टेबुलरी के जवानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा	३	प्राविधानित धन में से मंडलीय स्तर पर छात्रों द्वारा देय शुल्क आदि क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में दिया जाता है।
१६	लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा विद्यालय में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ	४	बी० पी० ई० कोर्स में अध्ययन के लिए ३०० रुपये प्रतिमास की छात्रवृत्तियाँ तथा एम० पी० ई० कोर्स में अध्ययन के लिए ५०० रुपया मात्र वार्षिक की एक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।
१७	सामरिक क्षेत्रों में निर्धन पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा	६	ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को स्नातक प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में २० रुपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति १२ माह हेतु दी जाती है। संख्या निर्धारित नहीं है।

१	२	३	४
१८	सन् १९६२ एवं १९६५ के युद्धों में मारे गये, स्थायी रूप से अपंग तथा १९७१ के युद्ध में बन्दियों एवं लापता घोषित प्रतिरक्षा कर्मचारियों और विधवाओं को सुविधायें	४	लगभग १६ छात्रवृत्तियाँ २० रुपया प्रतिमाह की दर से स्नातक प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में १२ माह हेतु दी जाती है।
१९	पर्वतीय क्षेत्र में उन छात्र/छात्राओं के लिए जो उच्च और प्राविधिक शिक्षा हेतु अन्य जनपदों में जाते हैं	२२५	छात्रावासी विद्यार्थियों को ७५ रुपया प्रतिमाह तथा अछात्रावासी विद्यार्थियों को ५० रुपया प्रतिमाह की दर से दी जाती हैं।
२०	पर्वतीय क्षेत्र के असेवित क्षेत्र के स्नातक स्तर के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	२००	छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों क १०० रुपया प्रतिमाह तथा अछात्रावासी विद्यार्थियों को १२५ रुपया प्रतिमाह की दर से दी जाती है।

स्रोत : (१) उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग, वर्ष १९८१-८२ का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक।

अध्याय–६

उच्च शिक्षा पर व्यय

प्रदेश में विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा पर विभिन्न वर्षों में जो धनराशि व्यय की जाती रही है वह प्रदेश के सम्पूर्ण शिक्षा पर हो रहे व्यय की लगभग १० से १२ प्रतिशत आती है। वर्ष १९७६-७७ में जहाँ उच्च शिक्षा पर मात्र २४.९२ करोड़ रुपये व्यय हुए थे वहीं वर्ष १९८०-८१ में यह धनराशि बढ़कर ३५.५१ करोड़ रुपये हो गयी, जो सामान्य शिक्षा पर कुल व्यय का केवल १०.३२ प्रतिशत थी। वर्ष १९८१-८२ के लिए सामान्य शिक्षा हेतु निर्धारित ३७४.३७ करोड़ रुपये में से ३९.२४ करोड़ रुपये उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों हेतु अनुमानित है, जो १०.४८ प्रतिशत होगा। वर्ष १९८२-८३ के बजट अनुमान के अनुसार उच्च शिक्षा हेतु कुल ४२.६६ करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। पिछले पाँच वर्षों में उच्च शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा पर सम्पूर्ण व्यय तथा वर्ष १९८१-८२ एवं १९८२-८३ के अनुमान का तुलनात्मक विवरण तालिका ६.१ में दर्शाया गया है।

तालिका ६.१। प्रदेश में उच्च शिक्षा पर व्यय तथा कुल शिक्षा पर व्यय से प्रतिशत (करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	वर्ष	शिक्षा पर सम्पूर्ण व्यय	उच्च शिक्षा पर व्यय	उच्च शिक्षा पर व्यय का सम्पूर्ण शिक्षा पर व्यय से प्रतिशत	उच्च शिक्षा पर व्यय में प्रतिशत वृद्धि
१	२	३	४	५	६
१—	१९७६-७७	२१७.१२	२४.९२	११.४८	—
२—	१९७७-७८	२५८.८३	२९.०९	११.२४	१६.७३
३—	१९७८-७९	२७८.६४	३०.१५	१०.८२	२०.९९
४—	१९७९-८०	२९२.९३	३२.४६	११.०८	३०.२६
५—	१९८०-८१	३४४.०३	३५.५१	१०.३२	४२.५०
६—	१९८१-८२ (पुनरीक्षित अनुमान)	३७४.३७	३९.२४	१०.४८	५७.४६
७—	१९८२-८३ (अनुमान)	४.०३.१५	४२.६६	१०.५८	७१.१९

स्रोत : विभिन्न वर्षों के आय-व्ययक अनुमान।

विगत पाँच वर्षों (१९७६-७७ से १९८०-८१) में उच्च शिक्षा पर व्यय में लगभग ४२.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वर्ष १९८०-८१ में विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र-छात्राओं पर शासन द्वारा व्यय मात्र ८२७ रुपये प्रति छात्र आता है जो पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार प्रदेश की जन-संख्या के आधार पर वर्ष १९८०-८१ में उच्च शिक्षा पर किया गया व्यय मात्र रुपया ३.२० प्रति व्यक्ति आता है।

उच्च शिक्षा से सम्बंधित प्रमुख कार्यक्रम जैसे-सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को पोषण, राजकीय महाविद्यालयों का अनुरक्षण, विश्वविद्यालयों को सहायता आदि आयोजनेतर मद के अन्तर्गत होने के कारण व्यय का अधिकांश भाग आयोजनेतर मद से ही होता है। नयी संचालित विकास योजनाएँ, निर्माण कार्य, नये पदों के सृजन आदि मुख्यत: आयोजनागत मद के अधीन होते हैं जो आयोजनेतर मदों पर व्यय की तुलना में काफी कम है। गत वर्षों के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि आयोजनेतर मद के अन्तर्गत होने वाला व्यय उच्च शिक्षा पर सम्पूर्ण व्यय का ८८ प्रतिशत से अधिक रहता है। वर्ष १९८२-८३ में इसके ९२.९ प्रतिशत तक पहुँच जाने का अनुमान है। वर्ष १९७९-८० में आयोजनागत मदों पर व्यय का प्रतिशत सबसे कम केवल ४.० प्रतिशत था। जबकि सबसे अधिक प्रतिशत ११.६ वर्ष १९७८-७९ में हुआ। आयोजनेतर तथा आयोजनागत व्यय का तुलनात्मक विवरण तालिका ६.२ में दिखाया गया है।

तालिका ६.२ : उच्च शिक्षा पर आयोजनेतर तथा आयोजनागत व्यय

क्रम संख्या	वर्ष	आयोजनेतर		आयोजनागत	
		व्यय (करोड़ रुपये में)	कुल व्यय का प्रतिशत	व्यय (करोड़ रुपये में)	कुल व्यय का प्रतिशत
१	२	३	४	५	६
१–	१९७६-७७	२२.३०	८९.५	२.६२	१०.५
२–	१९७७-७८	२५.८६	८८.९	३.२३	११.१
३–	१९७८-७९	२६.६६	८८.४	३.४९	११.६
४–	१९७९-८०	३१.१७	९६.०	१.२९	४.०
५–	१९८०-८१	३१.८४	८९.७	३.६७	१०.३
६–	१९८१-८२ (पुनरीक्षित अनुमान)	३६.३२	९२.६	२.९२	७.४
७–	१९८२-८३ (अनुमान)	३९.६२	९२.९	३.०४	७.१

स्रोत : विभिन्न वर्षों के आय-व्ययक अनुमान ।

६.४. उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आयोजनेतर मदों पर वर्ष १९७६-७७ में २२.३० करोड़ रुपये का व्यय किया गया जो अगले वर्षों में बढ़ते हुए वर्ष १९८०-८१ में ३१.८४ तक पहुँच गया । वर्ष १९८१-८२ में इस मद के अंतर्गत ३६.३२ करोड़ रुपये व्यय होने की आशा है एवं वर्ष १९८२-८३ के लिए ३९.६२ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । आयोजनागत मदों के अंतर्गत व्यय इन वर्षों में १.२९ तथा ३.६७ करोड़ रुपए के बीच रहा । सबसे कम व्यय वर्ष ७९-८० में हुआ । वर्ष ८१-८२ में इस मद के अंतर्गत २.९२ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है तथा वर्ष ८२-८३ हेतु ३.०४ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

६.५. उच्च शिक्षा के अन्तर्गत प्रशासन, विश्वविद्यालयों को अप्राविधिक शिक्षा के लिए सहायता, राजकीय महाविद्यालयों का संचालन, अशासकीय महाविद्यालयों को पोषण अनुदान तथा उनके शिक्षक तथा अन्य कर्मचारियों को पेंशन, विकास एवं निर्माण कार्य हेतु अनुदान तथा छात्रवृत्तियों का प्रदान किया जाना मुख्य मद हैं जिन पर शासन द्वारा व्यय किया जाता है । पिछले वर्षों में विभिन्न प्रमुख मदों के अन्तर्गत व्यय का विभाजन तालिका ६.३ में अगले पृष्ठ पर दर्शाया गया है ।

तालिका ६.३ : उच्च शिक्षा व्यय का मदवार विभाजन

(रुपये हजार में)

क्रम संख्या	मद	वित्तीय वर्ष					
		१९७७-७८	१९७८-७९	१९७९-८०	१९८०-८१	१९८१-८२ पुनरीक्षित अनुमान	१९८२-८३ अनुमान
१	२	३	४	५	६	७	८
१–निदेशन तथा प्रशासन		१११९	१३९५	१३६४	१५४९	२८९८	२८३०
		(०.३८)	(०.४६)	(०.४२)	(०.४४)	(०.७४)	(०.६६)
२–विश्वविद्यालय को अप्राविधिक शिक्षा के लिए सहायता		५२४७६	४९५३१	६३८७९	४९२२५	७९६८८	८३४६३
		(१८.०३)	(१६.४३)	(१९.६८)	(१३.८६)	(२०.३१)	(१९.५६)
३–राजकीय महाविद्यालयों पर व्यय		१३१११	२७१४६	१९१९८	२३३५१	२४९०३	२९४६६
		(४.५१)	(९.००)	(५.९१)	(६.५८)	(६.३५)	(६.९१)
४–अशासकीय महाविद्यालयों को सहायता		२१४७०३	२१२२९०	२३००१९	२६५२४९	२७१०७९	२९५३४३
		(७३.८०)	(७०.४१)	(७०.८६)	(७४.६९)	(६९.०८)	(६९.२३)
५–छात्रवृत्तियों का भुगतान		४७०४	४०६४	४०३५	५८९६	६४३४	६७६५
		(१.६२)	(१.३५)	(१.२४)	(१.६६)	(१.६४)	(१.५९)
६–अन्य व्यय		४७२६	७०८९	६०९३	९८२३	७३६७	८७७६
		(२.०२)	(२.३५)	(१.८७)	(२.७७)	(१.८८)	(२.०५)
योग		२९०९३९	३०१५१५	३२४५८८	३५५०९३	३९२३६९	४२६६४३

स्रोत : विभिन्न वर्षों के आय व्ययक अनुमान ।

टिप्पणी : कोष्ठक में उस मद के अंतर्गत हुये व्यय का वर्ष में हुये कुल व्यय से प्रतिशत दर्शाया गया है ।

६.६. तालिका ६.३ से स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा हेतु निर्धारित बजट का ७० प्रतिशत से अधिक भाग प्रदेश में स्थित अशासकीय महाविद्यालयों के पोषण एवं अनेक विकास योजनाओं हेतु अनुदान के रूप में व्यय किया जाता है । विकास अनुदानों का उपयोग महाविद्यालय की नयी संकायों तथा विषयों को प्रारम्भ करने, शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था, पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं का विकास, छात्रावासों में सुधार, अनौपचारिक शिक्षा जैसे अनेक कार्यक्रम के लिए किया जाता है । अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन, पेंशन का भुगतान अब शासन द्वारा ही किया जाता है । इस मद के अधीन वर्ष १९८०-८१ में २६.५ करोड़ रुपये व्यय किये गए जो इसके पूर्व वर्ष १९७९-८० में हुए व्यय २३.० करोड़ की तुलना में १५.३५ प्रतिशत अधिक था तथा कुल उच्च शिक्षा पर व्यय का ७४.६८ प्रतिशत था । वर्ष १९८१-८२ में २७.११ करोड़ रुपए इस मद के अन्तर्गत व्यय होने का अनुमान है तथा १९८२-८३ के लिए २९.५३ करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है । प्रदेश में इस समय कुल ३२१ अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं, जो महाविद्यालयों की कुल संख्या का ८४ प्रतिशत है । इन महाविद्यालयों को शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया अनुदान इस प्रकार लगभग ८.२६ लाख प्रति महाविद्यालय आता है जिसके कारण शासन पर पर्याप्त वित्तीय बोझ है । इन सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का प्रतिशत कुल उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों का लगभग ८६ है ।

६.७. दूसरा प्रमुख व्यय प्रदेश के विश्वविद्यालयों को अप्राविधिक शिक्षा के लिए दी जाने वाली सहायता है, जो पिछले पाँच वर्षों में कुल व्यय का लगभग १४ से २० प्रतिशत के मध्य रहा । वर्ष १९८०-८१ में इस मद के अन्तर्गत ४.९२ करोड़ रुपए व्यय किए गए तथा वर्ष १९८१-८२ में ७.९७ करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है जो कुल उच्च शिक्षा बजट का २०.३१ प्रतिशत है । वर्ष १९८२-८३ के लिए इस मद के अन्तर्गत ८.३४ करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है । प्रदेश के ४० शासकीय महाविद्यालयों का प्रशासन, अनुरक्षण तथा विकास कार्यक्रमों को सुचारु रूप से चलाने का दायित्व पूर्णरूप से उच्च शिक्षा निदेशालय का होता है । इन महाविद्यालयों के अनुरक्षण एवं विकास के लिए भवन तथा अन्य विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य, सुदृढ़ीकरण, नयी संकायों एवं विषयों का समावेश, वाचनालयों एवं प्रयोगशालाओं के गुणात्मक सुधार, प्रांगण विकास तथा शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था जैसी योजनाओं को क्रियान्वित करने के साथ-साथ नए राजकीय उपाधि महाविद्यालयों की स्थापना तथा अशासकीय महाविद्यालयों के प्रान्तीयकरण का कार्य भी किया जाता है । इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न वर्षों में उच्च शिक्षा बजट की लगभग ४.५ से ९ प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी जो वर्ष १९७८-७९ में सबसे अधिक २.७१ करोड़ थी, जबकि प्रदेश में ४ नये राजकीय महाविद्यालयों को मिलाकर २८ महाविद्यालय कार्य कर रहे थे । वर्ष १९७९-८० में १० नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना हो जाने से प्रदेश में कुल ३८ राजकीय महाविद्यालय हो गए जिन पर उच्च शिक्षा बजट से १.९२ करोड़ रुपए व्यय किया गया । इसी प्रकार वर्ष १९८०-८१ में इस मद पर २.३३ करोड़ रुपए व्यय हुए तथा वर्ष १९८१-८२ में दो नए राजकीय महाविद्यालयों को सम्मिलित करते हुए इन पर २.४९ करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है । वर्ष १९८२-८३ हेतु इस मद के अंतर्गत २.९४ करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है । इस प्रकार शिक्षारत राजकीय महाविद्यालयों की संख्या को आधार माना जाये तो प्रति महाविद्यालय शासन द्वारा व्यय १९७७-७८ में रुपये ५.४६ लाख, १९७८-७९ में रुपये ९.७० लाख, १९७९-८० में रुपये ५.०५ लाख तथा १९८०-८१ में रुपये ६.१४ लाख आता है ।

६.८. प्रदेश तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रदेश के छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के रूप में शासन द्वारा उच्च शिक्षा के बजट का लगभग १.२४ से १.७३ प्रतिशत गत पाँच वर्षों में भुगतान किया गया । वर्ष १९८०-८१ में सबसे अधिक धनराशि ५८.९६ लाख रुपए इस मद के अन्तर्गत आबंटित की गयी तथा वर्ष १९८१-८२ के लिए ६४.३४ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है । साथ ही वर्ष १९८२-८३ हेतु ६२.६५ लाख रुपये का प्राविधान है ।

उच्च शिक्षा बजट का कुछ अंश विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों जैसे अध्यापकों के विकास, पुस्तकों की प्रोन्नति, अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि पर भी व्यय किया जाता रहा है । इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अनेक स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान भी उच्च शिक्षा बजट से उपलब्ध कराया जाता है ।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No....2444.....
Date....4.5.82......

अध्याय—७

छठो पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के विकास-कार्यक्रम

सुनियोजित एवं संतुलित विकास के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद वर्ष १९५१-५२ में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ की गई थी। वर्ष १९५१-५२ से १९६५-६६ तक प्रति पाँच वर्ष के अंतराल पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाएँ कार्यान्वित की गयीं। वर्ष १९६६-६७ से १९६८-६९ तक प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजनाएँ बनाई गईं और उन्हें कार्यान्वित किया गया। तदुपरान्त वर्ष १९६९-७० से १९७३-७४ तक चतुर्थ तथा १९७४-७५ से १९७८-७९ तक पंचम पंचवर्षीय योजना लागू की गयी। वर्ष १९७९-८० की एक वार्षिक योजना के बाद वर्ष १९८०-८१ से १९८४-८५ तक छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल "योजना आयोग" द्वारा निर्धारित किया गया। विभिन्न योजनाओं में विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा में गुणात्मक एवं संख्यात्मक विकास के लिए अनेकानेक कार्यक्रम चलाए गए जिन पर शासन द्वारा आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध कराया गया। उपरोक्त योजनाकाल में जहाँ विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की संख्या में क्रमशः तीन गुने तथा नौ गुने से अधिक की वृद्धि हुई, वहीं पठन-पाठन स्तर तथा शैक्षणिक सुविधाओं में आशातीत प्रगति हुई है।

उच्च शिक्षा पर योजनवार व्यय (करोड़ रु०)

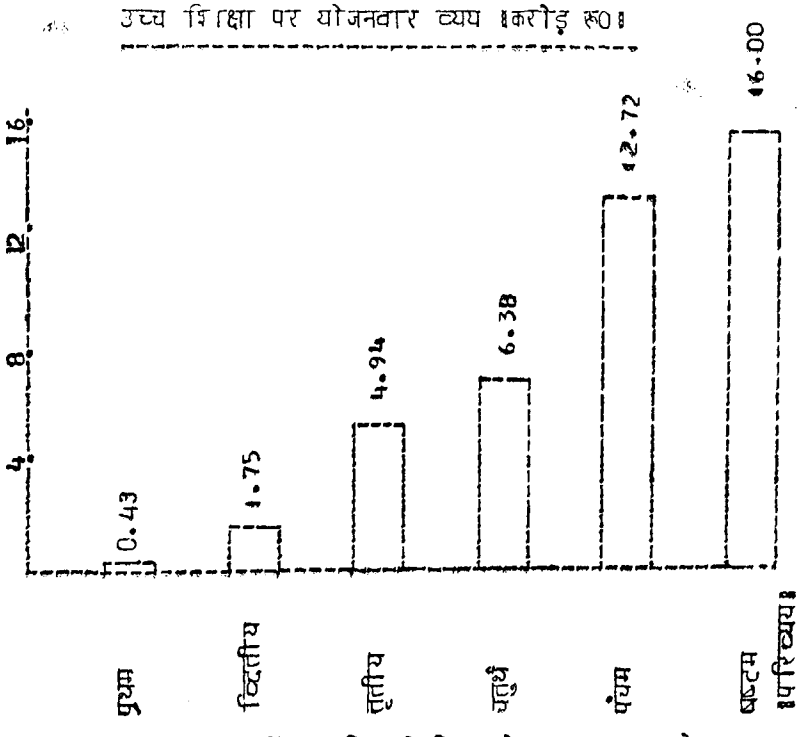

७.०२. प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में उच्च शिक्षा के विकास हेतु मात्र ०.४३ करोड़ रुपए व्यय हुए थे। पंचम-पंचवर्षीय योजना तक यह व्यय बढ़कर १२.७२ करोड़ रुपए हो गया। इसके विपरीत सामान्य शिक्षा का सम्पूर्ण व्यय उक्त अवधि में १८.०७ करोड़ रुपए से बढ़कर ९५.३४ करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार जहाँ सम्पूर्ण शिक्षा पर व्यय में पंचम पंचवर्षीय योजना तक लगभग पाँच गुने की वृद्धि हुई वहीं उच्च शिक्षा पर व्यय में लगभग २९ गुने की वृद्धि रही। प्रथम योजना में कुल सामान्य शिक्षा का मात्र २.३८ प्रतिशत ही उच्च शिक्षा के विकास पर व्यय होता था जो द्वितीय योजना में बढ़कर १२.२३ प्रतिशत हो गया। यद्यपि तृतीय तथा चतुर्थ योजनाओं में यह प्रतिशत क्रमशः घटकर ११.०५ तथा ११.१९ हो गया था, परन्तु पुनः पाँचवीं योजना काल में यह प्रतिशत बढ़कर १३.३४ हो गया। द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ योजनाओं में सामान्य शिक्षा के कुल व्यय क्रमशः १४.३१, ४४.७१ तथा ५७.०१ करोड़ रुपए में से उच्च शिक्षा के विकास पर क्रमशः १.७५, ४.९४ तथा ६.३८ करोड़ रुपए व्यय किए गए। वर्ष १९६६-६७ से १९६८-६९ तक तीन वार्षिक योजनाओं के दौरान उच्च शिक्षा कार्यक्रम पर २.३० करोड़ रुपये व्यय किए गए जो इसी अवधि में कुल शिक्षा व्यय पर १२.३१ करोड़ रुपए का १८.६८ प्रतिशत था। इसी प्रकार वार्षिक योजना १९७९-८० में कुल शिक्षा पर व्यय १६.४५ करोड़ रुपये में से १.७७ करोड़ उच्च शिक्षा पर व्यय किए गए। छठीं पंचवर्षीय योजना के

पूर्व वर्ष १९७९-८० तक विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा के विकास के लिए कुल ३०.२९ करोड़ रुपए का योजनागत व्यय शासन द्वारा किया गया जो सम्पूर्ण शिक्षा के उक्त अवधि के कुल योजनागत व्यय २५८.२० करोड़ रुपए का ११.७३ प्रतिशत है। इस प्रकार पिछले वर्षों में उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु औसत रूप से प्रतिवर्ष १.०४ करोड़ रुपए व्यय किया जाता रहा है जो सामान्य शिक्षा के सम्पूर्ण औसत वार्षिक व्यय ८.९० करोड़ रुपए का ११.७ प्रतिशत है।

७.०३. विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में सम्पूर्ण सामान्य शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के विकास पर जो धनराशि आयोजनागत कार्यक्रमों के अधीन व्यय की गयी उनका तुलनात्मक विवरण तालिका ७.१ में दर्शाया गया है।

तालिका ७.१ : विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सम्पूर्ण शिक्षा तथा उच्च शिक्षा पर आयोजनागत व्यय तथा उनका प्रतिशत

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	मद	प्रथम योजना १९५१–१९५६	द्वितीय योजना १९५६–१९६१	तृतीय योजना १९६१–१९६६	तीन वार्षिक योजनायें १९६६–१९६९	चतुर्थ योजना १९६९–१९७४	पांचवीं योजना १९७४–१९७९	वर्ष १९७९-८०	छठीं योजना परिव्यय १९८०–१९८५
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	सम्पूर्ण शिक्षा व्यय (करोड़ रुपये में)	१८.०७	१४.३१	४४.७१	१२.३१	५७.०१	९५.३४	१६.४५	१५८.२०
२	उच्च शिक्षा व्यय (करोड़ रुपये में)	०.४३	१.७५	४.९४	२.३०	६.३८	१२.७२	१.७७	१६.००
३	उच्च शिक्षा का सम्पूर्ण शिक्षा व्यय से प्रतिशत	२.३८	१२.२३	११.०५	१८.६८	११.१९	१३.३४	१०.७६	१०.११

स्रोत : प्रारूप-छठीं पंचवर्षीय योजना, १९८०-८५

७.०४. छठीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन विश्वविद्यालयों तथा राजकीय महाविद्यालयों को जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, प्राथमिकता दी जा रही है ताकि वे अन्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के समतुल्य अनुदान आयोग से प्राप्त कर सकें। अधिकाधिक शिक्षण संस्थायें खोलने के बजाय अधिकाधिक शिक्षण सुविधायें वर्तमान संस्थाओं में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों को नए संकाय तथा विषय खोलने के साथ ही साथ अनेक विकास कार्यक्रम चलाने के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। वर्तमान महाविद्यालयों में उपलब्ध शिक्षण सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग कराने के दृष्टिकोण से असेवित क्षेत्रों, जहाँ उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियों का प्राविधान किया जा रहा है। उच्च शिक्षा के यथोचित विकास एवं प्रसार के उद्देश्य से छठींपंचवर्षीय योजनाकाल में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत "क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना" नामक योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर की स्थापना हो चुकी है तथा मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, झाँसी के कार्यालय को सुदृढ़ किया गया है। अन्य मंडलों में भी क्षेत्रीय कार्यालय अगले कुछ वर्षों में स्थापित होने की आशा है। प्रदेश में उच्च शिक्षा को सही दिशा में व्यवस्थित एवं विकसित करने के उद्देश्य से निदेशालय स्तर पर एक सूचना प्रणाली की भी स्थापना की गयी है, जो एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार महाविद्यालय शिक्षा का सांख्यिकी अध्ययन करेगी तथा नियोजन एवं विकास की अभीष्ट रूपरेखा तैयार करेगी। क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग से एकीकृत विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा जिससे शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त क्षेत्रीय असन्तुलन को यथासम्भव दूर किया जा सके।

७.०५. छठीं पंचवर्षीय योजना हेतु शासन द्वारा सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों के लिए कुल १५८.२० करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है जिसका लगभग १० प्रतिशत अर्थात १६ करोड़ उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित है। उच्च शिक्षा परिव्यय में से ११.३० करोड़ मैदानी तथा ४.७० करोड़ रुपए पर्वतीय क्षेत्र के लिए आबंटित है। राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के भवन निर्माण के लिए १.९५ करोड़ रुपए पूँजीगत परिव्यय के रूप में उपलब्ध कराया गया है। योजनाकाल के प्रथम वर्ष में मात्र २.०१ करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए जिसमें से ०.९७

करोड़ मैदानी तथा १.०४ करोड़ पर्वतीय क्षेत्रों के लिए था। इसके विपरीत इसी वर्ष में कुल ४.०८ करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय हुआ जिसमें से १.५४ करोड़ पर्वतीय क्षेत्र में था। व्यय में वृद्धि मुख्यतया विश्वविद्यालय क. विकास अनुदान में वृद्धि के फलस्वरूप हुई है। द्वितीय वर्ष अर्थात् १९८१-८२ में कुल २.९९ करोड़ रुपए का प्राविधान उच्च शिक्षा हेतु किया गया है जिसमें से १.९८ करोड़ मैदानी तथा १.०१ करोड़ पर्वतीय क्षेत्र के लिए है। इसके विपरीत वर्ष में ३.५५ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसमें से १.२१ करोड़ केवल पर्वतीय क्षेत्र में होगा। तृतीय वर्ष १९८२-८३ के लिए ३.३१ करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें से २.२० करोड़ मैदानी तथा १.१२ करोड़ पर्वतीय क्षेत्र के लिए आबंटित हैं। छठीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय एवं व्यय का वर्षवार एवं क्षेत्रवार विवरण तालिका ७.२ में देखा जा सकता है।

तालिका ७.२ : छठी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय/व्यय

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	मद	मैदानी	पर्वतीय	योग	पूँजीगत अंश
१	२	३	४	५	६
१—	छठीं योजना परिव्यय	११३०.००	४७०.००	१६००.००	१९५.००
२—	वर्ष १९८०-८१ का				
	(क) स्वीकृत परिव्यय	९७.०८	१०३.९९	२०१.०७	२७.००
	(ख) वास्तविक व्यय	२५३.८१	१५४.१३	४०७.९४	३६.००
३—	वर्ष १९८१-८२ का				
	(क) स्वीकृत परिव्यय	१९८.१५	९८.७२	२९६.८७	२७.००
	(ख) अनुमानित व्यय	२३४.०९	१२१.२६	३५५.३५	२७.००
४—	वर्ष १९८२-८३ का स्वीकृत परिव्यय	२१९.२०	१११.७८	३३१.४८	३७.००

स्रोत : वार्षिक योजना १९८२-८३

७.०६. छठीं योजनाकाल में उच्च शिक्षा निदेशालय के सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचना प्रणाली की स्थापना के लिए २० लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। वर्ष १९८०-८१ में इस मद पर ०.९४ लाख रुपये व्यय हो चुके हैं तथा वर्ष १९८१-८२ में ३.४० लाख आबंटित परिव्यय के विपरीत ६.३७ लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है तथा वर्ष १९८२-८३ में ५.९० लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। विभिन्न मंडलों में स्थित महाविद्यालयों को मार्ग निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिए योजनाकाल में २० लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। वर्ष १९८०-८१ में इस कार्य हेतु मात्र ०.९१ लाख रुपये व्यय हुए तथा १९८१-८२ में ३.०० लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। वर्ष १९८२-८३ में इस योजना के लिए ४.११ लाख रुपये निर्धारित हैं।

७.०७. विश्वविद्यालयों की शिक्षा के विकास कार्यक्रमों के हेतु अनुदान देने का भी प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत नये विषय/संकाय ख लना, विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात में सुधार, निर्माण कार्य, प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालयों के लिये उपकरण तथा पुस्तकें उपलब्ध कराना आदि के लिये विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे विश्वविद्यालयों की जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान पाने के लिये निर्धारित मापदण्ड पूरा नहीं करते, उनके लिये भी अनुदान की व्यवस्था की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत छठीं योजनाकाल में ३१८ लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें से १०० लाख रुपये पर्वतीय क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालयों के हिस्से का है। वर्ष १९८०-८१ में इस मद से १७३.९४ लाख पर्वतीय क्षेत्र में व्यय हुए। वर्ष १९८१-८२ में इन विश्वविद्यालयों पर ९४.८० लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसमें से पर्वतीय क्षेत्र का व्यय ३० लाख रुपये है। आगामी योजना वर्ष १९८२-८३ में इस कार्यक्रम के अधीन कुल ३६.८६ लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है जिसमें से २६.८६ लाख मैदानी तथा १० लाख पर्वतीय क्षेत्र के विश्वविद्यालयों पर व्यय किया जायेगा।

७.०८. प्रदेश के पिछड़े हुए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ दूर-दूर तक उच्च शिक्षा की कोई संस्था नहीं है, राजकीय व्यय से महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है। छठीं योजनावधि में भी ऐसे क्षेत्रों में नए राजकीय महाविद्यालय खोलने

के साथ-साथ निजी महाविद्यालयों के प्रान्तीयकरण की योजना है। ऐसे महाविद्यालयों में अच्छी शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने तथा उनका स्तर सर्वोच्च बनाए रखने के उद्देश्य से वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण तथा एक ही स्थान पर अधिक से अधिक शैक्षणिक सुविधा प्रदान करने के लिए नये संकायों एवं विषयों को खोलने के अतिरिक्त वाचनालयों एवं प्रयोगशालाओं के सुधार हेतु प्रांगण विकास योजना भी चालू की गयी है। राजकीय महाविद्यालयों के भवनों तथा कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए आवासों के निर्माण, विस्तार एवं उनके विद्युतीकरण का कार्यक्रम योजनाकाल में लिए जाने का प्रस्ताव है। शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं के लिए छठीं योजनावधि में कुल ५६७.८० लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से २७०.२५ लाख मैदानी २९७.५५ लाख पर्वतीय क्षेत्र के लिये होगा। वर्ष १९८०-८१ में इस मद से १०५.९६ रुपये व्यय किए गए जिसमें से २२.२३ लाख मैदानी तथा ८३.६३ लाख पर्वतीय क्षेत्र में हुए। वर्ष १९८१-८२ में ऐसे महाविद्यालयों से संबंधित कार्यक्रमों पर ११४.२२ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है तथा वर्ष १९८२-८३ के लिए कुल १४१.२५ लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

७.०९. प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षणरत अशासकीय महाविद्यालयों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उच्च शिक्षा के प्रसार का अधिकांश श्रेय इन्हीं महाविद्यालयों को जाता है। यद्यपि महाविद्यालय स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा संचालित होते हैं, परन्तु यथोचित मार्गदर्शन एवं विकास के लिए शासन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। छठीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे महाविद्यालयों में उच्च स्तर एवं अधिकतम शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने की शासन की नीति के अन्तर्गत नये संकायों तथा विषयों को प्रारम्भ करने हेतु अनुदान देने की योजना चालू की गयी है। पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, तथा छात्रावासों के विकास एवं सुधार हेतु सहायता देने तथा शारीरिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करने की योजना भी इन अशासकीय महाविद्यालयों में चलाने का प्रस्ताव योजनाकाल में है। इस प्रकार की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए अनुदान तथा अनुरक्षण पर व्यय हेतु छठीं पंचवर्षीय योजना में कुल ४४७.४५ लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है जिसमें से ४१९.०० लाख मैदानी तथा २८.४५ लाख पर्वतीय क्षेत्र हेतु आबंटित है। पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे महाविद्यालयों की संख्या काफी कम होने के कारण क्षेत्र का अंश कम है। योजनाकाल के प्रथम वर्ष में इस मद के अन्तर्गत ५०.५० लाख रुपये व्यय हुए तथा द्वितीय वर्ष में ९३.०८ लाख रुपये अनुमानतः व्यय होंगे। तृतीय वर्ष १९८२-८३ में १०१.२२ लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

७.१०. छठीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के अनुरूप पिछड़े हुए पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों को सामान्य तथा प्राविधिक शिक्षा में उच्च अध्ययन हेतु तथा असेवित क्षेत्रों के छात्रावासी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना लागू की गयी है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को कुछ अतिरिक्त छात्रवृत्तियाँ देने का भी प्राविधान है। इस प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिए छठीं योजना के पाँच वर्षों हेतु ६६ लाख रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इसमें से ४० लाख मैदानी तथा २६ लाख पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों के लिए निर्धारित है। वर्ष १९८०-८१ में ११.८६ लाख रुपये छात्रवृत्ति के रूप में आबंटित किये गये जिसमें से ८.०१ लाख मैदानी तथा ३.०८ लाख पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों को दिया गया वर्ष १९८१-८२ में इस मद पर १६.८५ लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है तथा वर्ष १९८२-८३ के लिए १६.८६ लाख रुपये का प्रस्ताव है।

तालिका ७.३ : छठीं पंचवर्षीय योजना में प्रमुख मदों का वर्षवार व्यय/परिव्यय

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	मद	छठीं योजना परिव्यय		वर्ष १९८०-८१ का वास्तविक व्यय		वर्ष १९८१-८२ परिव्यय		वर्ष १९८१-८२ अनुमानित व्यय		१९८२-८३ का परिव्यय	
		कुल	पर्वतीय	कुल	पर्वतीय	कुल	पर्वतीय	कुल	पर्वतीय	कुल	पर्वतीय
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१—निदेशालय का सुदृढ़ीकरण एवं मंडलीय कार्यालयों को स्थापना	४०.००	—	१.८७	—	६.४०	—	९.३७	—	१०.०१	—
२—विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान	३१८.००	१००.००	१७३.९४	६२.९९	९४.८०	३०.००	९४.८०	३०.००	३६.८६	१०.००
३—राजकीय महाविद्यालयों का विकास	५६७.८०	२९७.५५	१०५.९६	८३.६३	९६.०५	५८.०९	११४.२२	७५.३६	१४१.२५	८४.५३
४—अशासकीय महाविद्यालयों को विकास अनुदान	४४७.४५	२८.४५	५०.५०	२.१७	६८.०८	२.४३	९३.०८	३.२६	१०१.२२	१५.०५
५—छात्रवृत्तियों का प्राविधान	६६.००	२६.००	११.८६	३.८५	१०.११	४.६०	१६.८५	९.०४	१६.८६	८.६०
६—विविध कार्यक्रम	१६०.७५	१८.००	६३.८३	१.४९	२१.४३	३.६०	२७.०३	३.६०	२५.२८	३.६०
कुल योग	१६००.००	४७०.००	४०७.९४	१५४.१३	२९६.८७	९८.७२	३५५.३५	१२१.२६	३३१.४८	१११.७८

स्रोत : वार्षिक योजना १९८२-८३

७.११. उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में कार्यरत अनेक स्वायत्तशाषी संस्थाओं को सहायता देकर शोध एवं शिक्षा के विकास एवं विस्तार को प्रोत्साहित करने का कार्य भी शासन द्वारा किया जाता है। इसके अन्तर्गत मेहता-गणित संस्थान, गिरि संस्थान, हिन्दी संस्थान, गोविन्द वल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, सैनिक स्कूल समिति आदि को विभिन्न प्रयोजनों के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त विदेशों में सम्मेलन एवं सेमिनार में भाग लेने के लिए अनुदान, महाविद्यालयों के अध्यापकों के शोध प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, हिन्दी के उत्तम साहित्य की पुस्तकों का क्रय, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए छठीं योजना में धन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इस प्रकार के विभिन्न प्रयोजनों के लिए छठीं योजना काल में १६०.७५ लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित है। वर्ष १९८०-८१ में ऐसे अन्य कार्यक्रमों पर ६३.८३ लाख रुपये व्यय हुये तथा वर्ष १९८१-८२ में २७.०३ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। वर्ष १९८२-८३ में इस मद पर २५.२८ लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। छठीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख मदों के अन्तर्गत परिव्यय का विवरण तालिका ७.३ में दर्शाया गया है।

— —

परिशिष्ट २.१

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय, स्थापना वर्ष एवं अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या वर्ष १९७९-८०

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष	केवल विश्व-विद्यालय के शैक्षिक विभागों की विद्यार्थी संख्या	विश्वविद्यालय से संबद्ध /सहयुक्त संस्थाओं तथा महाविद्यालयों को सम्मिलित करते हुए कुल विद्यार्थी संख्या
१	२	३	४	५
१	—इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	१८८७	१३,४६६	२८,१६०
२	—बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय, वाराणसी	१९१६	१५,६९५	१८,९०१
३	—अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय, अलीगढ़	१९२१	१३,०९४	१३,०९४
४	—लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	१९२१	१४,९०६	३३,०५४
५	—आगरा विश्वविद्यालय, आगरा	१९२७	५४५	४४,३४६
६	—रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की	१९४९	२,२७३	२,२७३
७	—गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	१९५७	७,८७७	७५,७७४
८	—सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व-विद्यालय, वाराणसी	१९५८	१,१४७	३,२०९
९	—गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर	१९६०	२,३५३	२,३५३
१०	—कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर	१९६५	—	५६,४६३
११	—मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ	१९६५	४७२	५९,
१२	—कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल	१९७३	३,५१२*	७,३५५
१३	—गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	१९७३	१,७७९	१३,११२
१४	— काशी विद्यापीठ, वाराणसी	१९७४	५,९९९	५,९९९
१५	—नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद	१९७४	४४	४४
१६	—चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर	१९७४	१,१९७	१,१९७
१७	—अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	१९७५	—	२६,२४७
१८	—बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी	१९७५	—	१२,०९३
१९	—रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	१९७५	—	२८,३८८
२०	—**गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	१९६२	३००	३००
	योग		८४,६५९	४,३१,५८४

स्रोत : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, १९७९-८०

*छात्र संख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय से प्राप्त है।

**यह विश्वविद्यालय के समान मानी गई संस्था है।

परिशिष्ट–२.२

प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों की सूची

वर्ष १९८०-८१

गढ़वाल मडल

संकेतांक जनपद देहरादून

०१०१—डी० ए० वी० कालेज, देहरादून
०१०२—गुरूराम राय डिग्री कालेज, देहरादून
०१०३—डी० वी० एस० डिग्री कालेज, देहरादून
•१०४—महादेवी कन्या पाठशाला डिग्री कालेज, देहरादून
•१०५—म्युनिस्पिल पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, मंसूरी, देहरादून
०१०६—दयानन्द वीमेन्स डिग्री कालेज, देहरादून
०१०७—पंडित ललित मोहन शर्मा राजकीय महाविद्यालय, ऋषिकेश, देहरादून

जनपद उत्तरकाशी

०२०१—राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी

जनपद चमोली

०३०१—राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, चमोली
०३०२—राजकीय महाविद्यालय, कर्णप्रयाग, चमोली
•३०३—श्री अ० प्र० बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्तमुनि चमोली

जनपद पौड़ी गढ़वाल

०४०१—डा० पीताम्बर दत्त वर्थवाल हिमालय राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल
•४०२—राजकीय महाविद्यालय, चौबट्टाखाल, पौड़ीगढ़वाल
•४०३—राजकीय महाविद्यालय जेहरीखाल, लैन्सडाउन पौड़ीगढ़वाल
•४०४—राजकीय महाविद्यालय वेदीखाल, पौड़ीगढ़वाल

जनपद टेहरी गढ़वाल

०५०१—राजकीय महाविद्यालय, चम्बा, टेहरीगढ़वाल

कुमायूँ मगडल

जनपद नैनीताल

०६०१—मोतीराम बाबूराम राजकीय महाविद्यालय हलद्वानी, नैनीताल
•६०२—राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर नैनीताल
•६०३—राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुद्रपुर, नैनीताल
०६०४—पी० एन० जी० राजकीय महाविद्यालय, रामनगर, नैनीताल

जनपद अल्मोड़ा

०७०१—आर्य कन्या महाविद्यालय, अल्मोड़ा
०७०२—राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत, अल्मोड़ा
०७०३—राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, स्याल्देह, अल्मोड़ा
०७०४—राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर, अल्मोड़ा

जनपद पिथौरागढ़

०८०१—राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़
०८०२—राजकीय महाविद्यालय, बेरीनाग, पिथौरागढ़
०८०३—राजकीय महाविद्यालय, लोहाघाट, पिथौरागढ़

मेरठ मंडल

जनपद मेरठ

०९०१—मेरठ कालेज, मेरठ
०९०२—नानक चन्द ऐंग्लो संस्कृत कालेज, मेरठ
०९०३—देवनागरी कालेज मेरठ
०९०४—रघुनाथ गर्ल्स कालेज, मेरठ
०९०५—इस्माइल नेशनल महिला महाविद्यालय, मेरठ
०९०६—मनोहर लाल महिला महाविद्यालय मेरठ
०९०७—सेन्ट जॉन्स गर्ल्स कालेज, मेरठ
०९०८—कृषक डिग्री कालेज, मवाना, मेरठ
०९०९—ए० एस० डिग्री कालेज, मवाना, मेरठ
०९१०—दिगम्बर जैन कालेज, बड़ौत, मेरठ
०९११—जनता वैदिक कालेज बड़ौत, मेरठ
०९१२—जैन स्नातकवासी गर्ल्स डिग्री कालेज, बड़ौत, मेरठ
०९१३—एम० एम० डिग्री कालेज, खेकड़ा मेरठ
०९१४—के० बी० डिग्री कालेज, माछरा मेरठ
०९१५—गाँधी विद्या निकेतन डिग्री कालेज, बुढ़पुर रमाला, मेरठ
०९१६—श्री सालिगराम स्मारक डिग्री कालेज, रासना, मेरठ

जनपद गाजियाबाद

१००१—शम्भू दयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद
१००२—विद्यावती मुकुन्द लाल गर्ल्स डिग्री कालेज, गाजियाबाद
१००३—मुल्तानीमल डिग्री कालेज, मोदीनगर गाजियाबाद
१००४—एस० एस० वी० कालेज, हापुड़, गाजियाबाद
१००५—आर्य कन्या डिग्री कालेज, हापुड़, गाजियाबाद
१००६—एस० एम० एच० कालेज, गाजियाबाद
१००७—लालपत राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय साहिबाबाद, गाजियाबाद
१००८—किसान डिग्री कालेज, सिम्भावली, गाजियाबाद
१००९—जनता डग्री कालेज, पतला, गाजियाबाद
१०१०—राष्ट्र शिक्षा शिविर डिग्री कालेज, पिलखुवा, गाजियाबाद
१०११—मिहिर भोज डिग्री कालेज दादरी, गाजियाबाद

जनपद सहारनपुर

११०१—जे० बी० जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सहारनपुर
११०२—महाराज सिंह कालेज, सहारनपुर
११०३—मुन्नालाल नयनारायण खेमका महिला महाविद्यालय, सहारनपुर
११०४—भारतीय संस्कृत महाविद्यालय स्नातकोत्तर कालेज, रूड़की, सहारनपुर
११०५—के० एल० डी० ए० वी० डिग्री कालेज, रूड़की, सहारनपुर
११०६—एस० एम० जे० एन० डिग्री कालेज हरिद्वार, सहारनपुर
११०७—श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द्र गर्ल्स डिग्री कालेज रूड़की, सहारनपुर
११०८—आर० एम० पी० पी० वी० डिग्री कालेज, नारसन, सहारनपुर
११०९—गोचर एग्रीकल्चर डिग्री कालेज, रामपुर मनिहारन, सहारनपुर
१११०—महिला महाविद्यालय, सतीकुण्ड, कनखल, सहारनपुर

जनपद बुलन्दशहर

१२०१—ईश्वर दयाल परसन्डी डिग्री कालेज, बुलन्दशहर
१२०२—डी० ए० वी० डिग्री कालेज, बुलन्दशहर

१२०३—एन० आर० सी० कालेज, खुर्जा, बुलन्दशहर
१२०४—आर्य कन्या पाठशाला डिग्री कालेज, खुर्जा, बुलन्दशहर
१२०५—जे० एस० डिग्री कालेज, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर
१२०६—अग्रसेन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर
१२०७—दिगम्बर डिग्री कालेज, डिवाई बुलन्दशहर
१२०८—दुर्गा प्रसाद डिग्री कालेज, अनूपशहर, बुलन्दशहर
१२०९—अमर सिंह कालेज, लखावटी, बुलन्दशहर
१२१०—देवनागरी डिग्री कालेज गुलावटी, बुलन्दशहर

जनपद मुजफ्फरनगर

१३०१—डी० ए० वी० कालेज, मुजफ्फरनगर
१३०२—सनातन धर्म कालेज, मुजफ्फरनगर
१३०३—जैन गर्ल्स डिग्री कालेज, मुजफ्फरनगर
१३०४—व्यापारी वर्ग डिग्री कालेज मुजफ्फरनगर
१३०५—चौधरी छोटू राम डिग्री कालेज, मुजफ्फरनगर
१३०६—आर० के० डिग्री कालेज, शामली, मुजफ्फरनगर
१३०७—के० के० जैन डिग्री कालेज, खतौली, मुजफ्फरनगर
१३०८—राजकीय महिला महाविद्यालय, कॉधला मुजफ्फरनगर

मुरादाबाद मण्डल

जनपद मुरादाबाद

१४०१—महाराजा हरिश्चन्द्र डिग्री कालेज मुरादाबाद
१४०२—गोकुल दास हिन्दू गर्ल्स कालेज, मुरादाबाद
१४०३—हिन्दू कालेज मुरादाबाद
१४०४—दयानन्द आर्य कन्या पाठशाला डिग्री कालेज मुरादाबाद
१४०५—के० जी० के० कालेज, मुरादाबाद
१४०६—एस० एम० डिग्री कालेज, चन्दौसी
१४०७—नवल किशोर भारतीय म्युनिसिपल गर्ल्स कालेज, चन्दौसी मुरादाबाद
१४०८—जे० एस० हिन्दू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमरोहा मुरादाबाद
१४०९—गाँधी स्मारक महाविद्यालय, सूरजनगर
१४१०—महात्मा गाँधी मिम रियल डिग्री कालेज, सम्भल
१४११—डी० एस० एम० डिग्री कालेज, कॉठ

जनपद रामपुर

१५०१—राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर
१५०२—राजकीय कन्या महाविद्यालय रामपुर

जनपद बिजनौर

१६०१—बर्धमान डिग्री कालेज, बिजनौर
१६०२—रानी भाग्यवती महिला महाविद्यालय बिजनौर
१६०३—आर० एस० एम० डिग्री कालेज, धामपुर, बिजनौर
१६०४—सौभाग्यवती बाई दानी महिला महाविद्यालय, धामपुर, बिजनौर
१६०५—गुलाब सिंह डिग्री कालेज, चाँदपुर स्याऊ, बिजनौर
१६०६—साहू जैन डिग्री कालेज, नजीबाबाद, बिजनौर

बरेली मण्डल

जनपद बरेली

१७०१–बरेली कालेज, बरेली
१७०२–साहू रामस्वरूप गर्ल्स डिग्री कालेज, बरेली
१७०३–राजेन्द्र प्रसाद डिग्री कालेज, मीरगंज बरेली
१७०४–कन्या महाविद्यालय, भूड़, बरेली
१७०५ गन्ना उत्पादक महाविद्यालय, बहेड़ी बरेली

जनपद पीलीभीत

१८०१–उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत
१८०२–राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीसलपुर, पीलीभीत

शाहजहांपुर जनपद

१९०१–गाँधी फैजेआम कालेज, शाहजहाँपुर
१९०२–स्वामी सुखदेवानन्द महाविद्यालय, शाहजहाँपुर

जनपद बदायूँ

२००१–नेहरू मेमोरियल शिवनारायण दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय बदायूँ
२००२–गोविन्द बल्लभ पन्त डिग्री कालेज, कछलाघाट बदायूँ

आगरा मण्डल

जनपद आगरा

२१०१–आगरा कालेज, आगरा
२१०२–सेण्ट जॉन्स कालेज, आगरा
२१०३–भदावर विद्यामन्दिर डिग्री कालेज, वाह, आगरा
२१०४–श्रीमती भगवती देवी जैन गर्ल्स डिग्री कालेज, आगरा कैण्ट
२१०५–बैकुण्ठी देवी कन्या महाविद्यालय, वालगंज आगरा
२१०६–राजा बलवन्त सिंह कालेज, आगरा
२१०७–दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा
२१०८–डी० ई० आई० वीमेंस ट्रेनिंग कालेज, दयालबाग, आगरा
२१०९–महात्मा गाँधी बालिका विद्यालय डिग्री कालेज, फिरोजाबाद
२११०–दाऊदयाल महिला महाविद्यालय, फिरोजाबाद
२१११–एस० आर० के० डिग्री कालेज, फिरोजाबाद, आगरा
२११२–सी० एल० जैन कालेज, फिरोजाबाद, आगरा
२११३–बलवन्त विद्यापीठ रूरल इन्स्टीट्यूट बिचपुरी, आगरा

जनपद मथुरा

जनपद मथुरा

२२०१–किशोरी रमण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मथुरा
२२०२–बी० एस० ए० महाविद्यालय, मथुरा
२२०३–किशोरी रमण गर्ल्स महाविद्यालय, मथुरा
२२०४–राधा बल्लभ चुन्नीलाल अग्रवाल गर्ल्स डिग्री कालेज, मथुरा
२२०५–इन्स्टीट्यूट आफ ओरियन्टल फिलासफी वृन्दावन, मथुरा
२२०६–श्री ब्रजेन्द्र जनता कालेज, बिसावर, मथुरा
२२०७–श्री वृज बिहारी डिग्री कालेज, कोसीकला, मथुरा

जनपद अलीगढ़

२३०१–डी० एस० कालेज, अलीगढ़
२३०२–श्री वार्ष्णेय कालेज, अलीगढ़
२३०३–सेठ पी० सी० वागला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हाथरस, अलीगढ़
२३०४–श्री टीकाराम गर्ल्स डिग्री कालेज अलीगढ़
२३०५–रामेश्वर दास गर्ल्स डिग्री कालेज, हाथरस, अलीगढ़
२३०६–सरस्वती डिग्री कालेज, हाथरस, अलीगढ़

जनपद एटा

२४०१–जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, एटा
२४०२–कोठीवाल आढ़तिया महाविद्यालय, कासगंज, एटा
२४०३–गंजडुण्डवारा स्नातकोत्तर महाविद्यालय गंजडुण्डवारा, एटा
२४०४–म्युनिस्पल गर्ल्स डिग्री कालेज, कासगंज, एटा
२४०५–जनता डिग्री कालेज, परसोन, एटा

जनपद मैनपुरी

२५०१–चित्रगुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैनपुरी
२५०२–कुंवर आर० सी० महिला महाविद्यालय, मैनपुरी
२५०३–आदर्श कृष्ण कालेज शिकोहाबाद, मैनपुरी
२५०४–पालीवाल डिग्री कालेज, शिकोहाबाद, मैनपुरी
२५०५–नारायण डिग्री कालेज, शिकोहाबाद, मैनपुरी
२५०६–बी० डी० एम० एम० गर्ल्स डिग्री कालेज, शिकोहाबाद, मैनपुरी
२५०७–नेशनल डिग्री कालेज, भोगाँव, मैनपुरी

लखनऊ मंडल

जनपद लखनऊ

२६०१–लखनऊ क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ
२६०२–श्री जयनारायण महाविद्यालय, लखनऊ
२६०३–शिक्षा महाविद्यालय, लखनऊ
२६०४–बप्पा श्री नारायन वोकेशनल डिग्री कालेज, लखनऊ
२६०५–डी० ए० वी० डिग्री कालेज, लखनऊ
२६०६–विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ
२६०७–कालीचरन डिग्री कालेज, लखनऊ
२६०८–मुमताज डिग्री कालेज, लखनऊ
२६०९–नेशनल डिग्री कालेज, लखनऊ
२६१०–महिला महाविद्यालय, लखनऊ
२६११–आई० टी० कालेज, लखनऊ
२६१२–अवध गर्ल्स महाविद्यालय, लखनऊ
२६१३–जुबली गर्ल्स डिग्री कालेज, लखनऊ
२६१४–शशिभूषण बालिका विद्यालय डिग्री कालेज, लखनऊ
२६१५–करामत हुसैन मुस्लिम डिग्री कालेज, लखनऊ
२६१६–खुनखुनजी गर्ल्स डिग्री कालेज, लखनऊ
२६१७–नवयुग कन्या विद्यालय डिग्री कालेज, लखनऊ
२६१८–नारी शिक्षा निकेतन डिग्री कालेज, लखनऊ
२६१९–कृष्णा देवी गर्ल्स डिग्री कालेज, आलमबाग, लखनऊ

जनपद हरदोई

२७०१–केन सोसाइटीज नेहरू डिग्री कालेज, लखनऊ
२७०२–आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई
२७०३–राजकीय महाविद्यालय, हरदोई

जनपद सीतापुर

३८०१–आर० एम० पी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर
३८०२–टीचर्स ट्रेनिंग कालेज सीतापुर
३८०३–हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सीतापुर
३८०४–श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर
३८०५–राजकीय महाविद्यालय, महमूदाबाद, सीतापुर

जनपद लखीमपुर खीरी

३९०१–वाई० डी० कालेज खीरी
३९०२–भगवानदीन आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखीमपुर-खीरी
३९०३–केन ग्रोवर नेहरू डिग्री कालेज, गोलागोकर्णनाथ लखीमपुर-खीरी

जनपद रायबरेली

३००१–फिरोजगांधी डिग्री कालेज, रायबरेली
३००२–सर्वोदय महाविद्यालय, सलोन, रायबरेली
३००३–वैसवारा डिग्री कालेज लालगंज, रायबरेली
३००४–कमला नेहरू डिग्री कालेज, तेजगांव, रायबरेली
३००५–राजकीय महाविद्यालय, ऊँचाहार, रायबरेली

जनपद उन्नाव

३१०१–दयानन्द सुभाष नेशनल डिग्री कालेज, उन्नाव
३१०२–श्री नारायण गर्ल्स डिग्री कालेज, उन्नाव

फैजाबाद मण्डल

जनपद फैजाबाद

३२०१–के० एस० साकेत स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, फैजाबाद
३२०२–राजा मोहन गर्ल्स डिग्री कालेज, फैजाबाद
३२०३–वी० एन० के० बी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अकबरपुर, फैजाबाद
३२०४–टी० एन० महाविद्यालय, टांडा, फैजाबाद
३२०५–बाबा बरुआदास स्नातक महाविद्यालय, परूइया आश्रम, फैजाबाद
३२०६–सेवरा महाविद्यालय, सेवरा, फैजाबाद

जनपद सुल्तानपुर

३३०१–गनपत सहाय डिग्री कालेज, सुल्तानपुर
३३०२–राणाप्रताप डिग्री कालेज, सुल्तानपुर
३३०३–कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेकनॉलॉजी, सुल्तानपुर
३३०४–आर० आर० डिग्री कालेज, अमेठी, सुल्तानपुर
३३०५–सन्त तुलसीदास महाविद्यालय, कादीपुर, सुल्तानपुर

जनपद बाराबंकी

३४०१–जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर डिग्री कालेज बाराबंकी

प्रतापगढ़ जनपद

३५०१–मुनीश्वरदत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ़
३५०२–प्रताप बहादुर डिग्री कालेज, प्रतापगढ़

३५०३–हेमवती नन्दन बहुगुणा स्नातकोत्तर, कालेज, प्रतापगढ़
३५०४–मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय, कालांकाँकर, प्रतापगढ़
३५०५–बजरङ्ग महाविद्यालय, कुण्डा, प्रतापगढ़
३५०६–डिग्री कालेज, पट्टी, प्रतापगढ़
३५०७–डा० राजेश्वर सेवा आश्रम डिग्री कालेज, ढिढुई, प्रतापगढ़

जनपद गोण्डा

३६०१–श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, गोण्डा
३६०२–एम० एल० के० स्नातकोत्तर कालेज, बलरामपुर, गोण्डा
३६०३–आचार्य नरेन्द्र देव किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बभनान, गोण्डा

जनपद बहराइच

३७०१–किसान स्नातकोत्तर कालेज, बहराइच
३७०२–महिला महाविद्यालय बहराइच
३७०३–गायत्री विद्यापीठ महाविद्यालय, रिसिया, बहराइच

मण्डल गोरखपुर

जनपद गोरखपुर

३८०१–सेण्ट एन्ड्रयूज कालेज गोरखपुर
३८०२–डी० ए० वी० महाविद्यालय, गोरखपुर
३८०३–महात्मागांधी महाविद्यालय, गोरखपुर
३८०४–दिग्विजयनाथ महाविद्यालय, गोरखपुर
३८०५–सैयद जाविद अलीशाह इमामबाड़ा, महिला महाविद्यालय, मेन बाजार, गोरखपुर
३८०६–लालबहादुर शास्त्री स्मारक महाविद्यालय आनन्दनगर, गोरखपुर
३८०७–जवाहर लाल नेहरू स्मारक महाविद्यालय महाराजगंज, गोरखपुर
३८०८–नेशनल महाविद्यालय, बड़हलगंज, गोरखपुर
३८०९–महाजन महाविद्यालय, चौरी-चौरा, गोरखपुर
३८१०–बापू महाविद्यालय, पीपीगंज, गोरखपुर
३८११–महाविद्यालय, भटवली बाजार, उनवल, गोरखपुर
३८१२–पवित्रा महाविद्यालय, सिकटौर (मानीराम) गोरखपुर
३८१३–श्यामेश्वर महाविद्यालय, सिकरीगंज, गोरखपुर

जनपद बस्ती

३९०१–किसान महाविद्यालय, बस्ती
३९०२–अम्बिका प्रताप नारायण महाविद्यालय, बस्ती
३९०३–महिला महाविद्यालय, बस्ती
३९०४–शिवपति महाविद्यालय सोहरतगढ़, बस्ती
३९०५–रतनसेन महाविद्यालय बांसी बस्ती
३९०६–बुद्ध विद्यापीठ महाविद्यालय, नौगढ़ बस्ती
३९०७–हीरालाल राम निवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बस्ती
३९०८–कृषक महाविद्यालय गौर बस्ती

जनपद देवरिया

४००१–बाबा राघवदास स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, देवरिया
४००२–सन्त विनोबा महाविद्यालय, देवरिया
४००३–बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया
४००४–उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पडरौना, देवरिया

४००६–एम० एम० एम० महाविद्यालय, भाटपार रानी, देवरिया
४००७–स्वामी देवानन्द स्नातक महाविद्यालय, मठलार, देवरिया
४००८–बाबा राघवदास भगवानदास महाविद्यालय, बरहज आश्रम, देवरिया
४००९–श्री रामजी सहाय महाविद्यालय, रुद्रपुर, देवरिया
४०१०–श्री भगवान महाबीर महाविद्यालय, फाजिल नगर देवरिया
४०११–किसान महाविद्यालय सेवरही, तमकुही रोड, देवरिया

जनपद आजमगढ़

४१०१–शिवली नेशनल महाविद्यालय, आजमगढ़
४१०२–डी० ए० वी० महाविद्यालय आजमगढ़
४१०३–श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय, आजमगढ़
४१०४–श्री दुर्गाजी स्नातक त्तर महाविद्यालय, चन्डेसर, आजमगढ़
४१०५–दुर्गादत्त चुन्नीलाल सागरमल खण्डेलवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊनाथभंजन, आजमगढ़
४१०६–राजकीय महाविद्यालय, मुहम्मदाबाद, गोहना, आजमगढ़
४१०७–जनता महाविद्यालय रानीपुर, आजमगढ़
४१०८–श्री गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मालटारी, आजमगढ़
४१०९–श्री शिवा महाविद्यालय तेरही कप्तानगंज आजमगढ़
४११०–सर्वोदय महाविद्यालय, घोसी, आजमगढ़
४१११–गांधी शताब्दी स्मारक महाविद्यालय, कोयलसा, आजमगढ़
४११२–कूबा महाविद्यालय, पो० दरियापुर, नेवादा, आजमगढ़
४११३–श्री कृष्णगीता महाविद्यालय, लालगंज आजमगढ़
४११४–श्री गांधी स्मारक महाविद्यालय, बरहद, आजमगढ़

वाराणसी मण्डल

जनपद वाराणसी

४२०१–उदय प्रताप कालेज वाराणसी
४२०२–डी० ए० वी० महाविद्यालय वाराणसी
४२०३–हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी
४२०४–सकलडीहा महाविद्यालय सकलडीहा, वाराणसी
४२०५–श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय टाउनहाल, वाराणसी
४२०६–बसन्त कालेज फार वीमेन्स, राजघाटकिला वाराणसी
४२०७–बसन्त कन्या महाविद्यालय, कमच्छा वाराणसी
४२०८–आर्य महिला महाविद्यालय, चेतगंज वाराणसी
४२०९–लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय मुगलसराय वाराणसी
४२१०–काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर वाराणसी
४२११–राजकीय महाविद्यालय चन्दौली वाराणसी
४२१२–श्री बलदेव महाविद्यालय बड़ागांव वाराणसी
४२१३–डा० राममनोहर लोहिया महाविद्यालय, भैरव तालाब वाराणसी
४२१४–जगतपुर महाविद्यालय, जगतपुर वाराणसी
४२१५–कालिकाधाम महाविद्यालय, सेवापुरी, वाराणसी
४२१६–महाराज बलवन्तसिंह महाविद्यालय, गङ्गापुर वाराणसी
४२१७–राजकीय महाविद्यालय जखिनी वाराणसी
४२१८–राजकीय महाविद्यालय, चकिया वाराणसी
४२१९–राजकीय महाविद्यालय, धानापुर, वाराणसी

जनपद गाजीपुर

४३०१–स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर
४३०२–राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर
४३०३–हिन्दू महाविद्यालय, जमानिया, गाजीपुर
४३०४–महात्मा गाँधी सतीस्मारक महाविद्यालय गरूआ, मकसूदपुर, गाजीपुर
४३०५–स्वामी सहजानन्द सरस्वती विद्यापीठ महाविद्यालय गाजीपुर
४३०६–श्री महन्त रामाश्रयदास महाविद्यालय, भुड़कुड़ा, गाजीपुर
४३०७–महाविद्यालय, मलिकपुरा, गाजीपुर
४३०८–खरडीहा महाविद्यालय, खरडीहा, गाजीपुर
४३०९–समता महाविद्यालय, सादात, गाजीपुर

जनपद बलिया

४४०१–सतीश चन्द्र कालेज, बलिया
४४०२–मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया
४४०३–कुंवर सिंह महाविद्यालय, बलिया
४४०४–गुलाब देवी कन्या महाविद्यालय, बलिया
४४०५–के० डी० बी० महाविद्यालय, दुबहर, बलिया
४४०६–मर्यादा पुरुषोत्तम महाविद्यालय, रतनपुरा, बलिया
४४०७–श्री बजरङ्ग महाविद्यालय, दादर आश्रम, बलिया
४४०८–मथुरा महाविद्यालय, रसड़ा, बलिया
४४०९–महविद्यालय दुबे छपरा बलिया
४४१०–सुद्धष्टि बाबा महाविद्यालय, सुद्धष्टपुरी, रानीगंज, बलिया
४४११–देवेन्द्र महाविद्यालय, बिलथरा रोड, बलिया

जनपद जौनपुर

४५०१–तिलकधारी कालेज जौनपुर
४५०२–आर० एस० के० डी० महाविद्यालय, जौनपुर
४५०३–नागरिक महाविद्यालय, जंघई, जौनपुर
४५०४–गोविन्द वल्लभ पन्त महाविद्यालय, प्रतापगंज, जौनपुर
४५०५–जी० एस० महाविद्यालय, समोधपुर, जौनपुर
४५०६–राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊ, जौनपुर
४५०७–श्री गणेशराय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय डोभी, जौनपुर
४५०८–सहकारी महाविद्यालय, मेहरावां, जौनपुर
४५०९–कुटीर महाविद्यालय, चक्के, जौनपुर
४५१०–बयालसी महाविद्यालय, जलालपुर, जौनपुर
४५११–सल्तनत बहादुर महाविद्यालय, बदलापुर, जौनपुर
४५१२–राष्ट्रीय महाविद्यालय जमुहाई, जौनपुर
४५१३–मड़ियाहू महाविद्यालय, मड़ियाहू, जौनपुर
४५१४–गन्ना कृषक महाविद्यालय, तारवां, शाहगंज, जौनपुर

जनपद मिर्जापुर

४६०१–के० बी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मिर्जापुर
४६०२–गोवर्धनदास बिनानी महाविद्यालय, मिर्जापुर
४६०३–कमला माहेश्वरी आर्य कन्या महाविद्यालय, मिर्जापुर
४६०४–राजकीय महाविद्यालय, दुद्धी, मिर्जापुर

इलाहाबाद मण्डल

जनपद इलाहाबाद

४७०१–सी० एम० पी० महाविद्यालय इलाहाबाद
४७०२–ईविंग क्रिश्चियन कालेज इलाहाबाद
४७०३–इलाहाबाद डिग्री कालेज इलाहाबाद
४७०४–कुलभास्कर आश्रम स्नातकोत्तर महाविद्यालय इलाहाबाद
४७०५–ईश्वर शरण महाविद्यालय इलाहाबाद
४७०६–एस० एस० खन्ना महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद
४७०७–हमीदिया महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद
४७०८–जगततारन महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद
४७०९–महिला सेवा सदन डिग्री कालेज इलाहाबाद
४७१०–प्रयाग महिला महाविद्यालय इलाहाबाद
४७११–आर्य कन्या महाविद्यालय, इलाहाबाद
४७१२–राजर्षि टण्डन महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद
४७१३–एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट नैनी, इलाहाबाद
४७१४–बी० एस० मेहता कालेज ऑफ साइन्स कालेज, भरवारी इलाहाबाद
४७१५–लाला लक्ष्मी नरायण महाविद्यालय, सिरसा इलाहाबाद
४७१६–हंडिया डिग्री कालेज, हंडिया इलाहाबाद

जनपद फतेहपुर

४८०१–महात्मा गांधी डिग्री कालेज, फतेहपुर
४८०२–सदानन्द डिग्री कालेज, छिबलहा, फतेहपुर

जनपद कानपुर

४९०१–डी० ए० वी० कालेज, कानपुर
४९०२–क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर
४९०३–वी० एस० एस० डी० महाविद्यालय कानपुर
४९०४–डी० वी० एस० कालेज कानपुर
४९०५–पी० पी० एन० कालेज कानपुर
४९०६–हलीम मुस्लिम कालेज कानपुर
४९०७–दयानन्द कालेज ऑफ लॉ, कानपुर
४९०८–हरसहाय डिग्री कालेज कानपुर
४९०९–इण्टर नेशनल सेण्टर कालेज ऑफ एजूकेशनल इलाहाबाद
४९१०–ब्रह्मानन्द डिग्री कालेज, कानपुर
४९११–एस० एन० सेन बालिका विद्यालय, कानपुर
४९१२–दयानन्द गर्ल्स कालेज कानपुर
४९१३–ज्वालादेवी विद्यामन्दिर महाविद्यालय कानपुर
४९१४–गुरूनानक गर्ल्स महाविद्यालय कानपुर
४९१५–दयानन्द वीमेन्स ट्रेनिंग कालेज कानपुर
४९१६–आचार्य नरेन्द्र देव महापालिका महिला महाविद्यालय, हर्षनगर कानपुर
४९१७–महिला महाविद्यालय किदवईनगर कानपुर
४९१८–जुहारीदेवी गर्ल्स कालेज, कैनालरोड कानपुर
४९१९–अर्मापुर डिग्री कालेज, अर्मापुर स्टेट कानपुर
४९२०–ब्रम्हावर्त डिग्री कालेज मंधना कानपुर
४९२१–रामस्वरूप ग्रामोद्योग स्नातकोत्तर, पुखरायां कानपुर

जनपद इटावा

५००१–कर्मक्षेत्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इटावा
५००२–जनता कालेज, वकेवर इटावा
५००३–जनता डिग्री कालेज, अजीतमल इटावा
५००४–तिलक डिग्री कालेज, औरैया, इटावा
५००५–विवेकानन्द ग्रामोद्योग महाविद्यालय, डिवियापुर, इटावा

जनपद फर्रुखाबाद

५१०१–भारतीय महाविद्यालय फर्रुखाबाद
५१०२–एन० ए० के० पी० महाविद्यालय, फर्रुखाबाद
५१०३–बद्री विशाल महाविद्यालय फर्रुखाबाद
५१०४–डी० एन० कालेज, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद
५१०५–नेहरू महाविद्यालय, छिबरामऊ फर्रुखाबाद
५१०६–लक्ष्मी यदुनन्दन स्नातक महाविद्यालय कायमगंज फर्रुखाबाद
५१०७–विद्यामन्दिर डिग्री कालेज कायमगंज फर्रुखाबाद
५१०८–आर० पी० डिग्री कालेज कमालगंज फर्रुखाबाद
५१०९–पंडित सुन्दर लाल मेमोरियल महाविद्यालय कन्नौज फर्रुखाबाद

झाँसी मण्डल

जनपद झाँसी

५२०१–बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी
५२०२–विपिन बिहारी महाविद्यालय झाँसी
५२०३–आर्य कन्या महाविद्यालय, सिपरी बाजार झाँसी
५२०४–श्री अग्रसेन महाविद्यालय, मऊरानीपुर, झाँसी

जनपद जालौन

५३०१–डी० बी० महाविद्यालय उरई, झाँसी
५३०२–गाँधी महाविद्यालय, उरई झाँसी
५३०३–मथुरा प्रसाद महाविद्यालय, कोंच जालौन
५३०४–कालपी महाविद्यालय, कालपी जालौन

जनपद बांदा

५४०१–जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय बांदा
५४०२–राजकीय महिला महाविद्यालय बांदा
५४०३–अतर्रा महाविद्यालय अतर्रा बांदा

जनपद हमीरपुर

५५०१–राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर
५५०२–बी० एन० बी० महाविद्यालय, राठ हमीरपुर
५५०३–राजकीय महाविद्यालय चरखारी हमीरपुर

जनपद ललितपुर

५६०१–नेहरू महाविद्यालय ललितपुर

परिशिष्ट २.३

राजकीय महाविद्यालयों की सूची

वर्ष १९८०-८१

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष
१	२	३
मैदानी क्षेत्र		
१	राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर	१९४९-५०
२	काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय ज्ञानपुर, वाराणसी	१९५१-५२
३	राजकीय महाविद्यालय, जक्खिनी, वाराणसी	१९७२-७३
४	राजकीय महाविद्यालय, दुद्धी, मिर्जापुर	१९७३-७४
५	राजकीय महाविद्यालय, चन्दौली, वाराणसी	१९७३-७४
६	राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर	१९७५-७६
७	राजकीय महाविद्यालय, बीसलपुर, पीलीभीत	१९७६-७७
८	राजकीय कन्या महा वद्यालय, रामपुर	१९७६-७७
९	राजकीय महाविद्यालय, महमूदाबाद, सीतापुर	१९७६-७७
१०	राजकीय महाविद्यालय, चकिया, वाराणसी	१९७७-७८
११	राजकीय कन्या महाविद्यालय, गाजीपुर	१९७७-७८
१२	राजकीय महाविद्यालय, ऊँचाहार, रायबरेली	१९७८-७९
१३	राजकीय महाविद्यालय, चरखारी हमीरपुर	१९७८-७९
१४	राजकीय महिला महाविद्यालय, देवरिया	१९७८-७९
१५	राजकीय महिला महाविद्यालय, बांदा	१९७८-७९
१६	राजकीय कन्या महाविद्यालय, कांधला मुजफ्फरनगर	१९७९-८०
१७	राजकीय महाविद्यालय, धानापुर, वाराणसी	१९७९-८०
१८	राजकीय महाविद्यालय, हरदोई	१९७९-८०
१९	राजकीय महाविद्यालय, मुहम्मदाबाद, गोहना, आजमगढ़	१९७९-८०
पर्वतीय क्षेत्र		
२०	राजकीय महाविद्यालय, पिथौरागढ़	१९६३-६४
२१	डॉ० पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिमालय राजकीय डिग्री कालेज, कोटद्वार, गढ़वाल	१९७२-७३
२२	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी	१९६९-७०
२३	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, चमोली	१९६६-६७
२४	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर, नैनीताल	१९७३-७४
२५	राजकीय महाविद्यालय जेहरीखाल, लैंसडाउन, गढ़वाल	१९७२-७३
२६	पंडित ललित मोहन शर्मा राजकीय महाविद्यालय, ऋषिकेश, देहरादून	१९७२-७३
२७	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत, अल्मोड़ा	१९७३-७४
२८	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुद्रपुर, नैनीताल	१९७४-७५
२९	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर, अल्मोड़ा	१९७४-७५
३०	श्री अ० प्र० बहुगुणा राजकीय महाविद्यालय, अगस्तमुनि, चमोली	१९७४-७५
३१	राजकीय महाविद्यालय, बेरीनाग पिथौरागढ़	१९७५-७६
३२	प्यारे लाल नन्द किशोर गुलबलिया राजकीय महाविद्यालय, रामनगर, नैनीताल	१९७६-७७
३३	राजकीय महाविद्यालय, बेदीखाल, पौड़ी-गढ़वाल	१९७९-८०
३४	राजकीय महाविद्यालय, स्याल्दे, अल्मोड़ा	१९७९-८०
३५	राजकीय महाविद्यालय, चौबट्टाखाल, पौड़ीगढ़वाल	१९७९-८०
३६	राजकीय महाविद्यालय, लोहाघाट, पिथौरागढ़	१९७९-८०
३७	राजकीय महाविद्यालय, कर्णप्रयाग, चमोली	१९७९-८०
३८	राजकीय महाविद्यालय, चम्बा, टेहरीगढ़वाल	१९७९-८०

परिशिष्ट २.४

जनपदवार तथा मंडलवार प्रबंधानुसार महाविद्यालयों की संख्या

वर्ष १९८०-८१

क्रम संख्या	जनपद का नाम	राजकीय महाविद्यालय		अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय		अशासकीय असहायिक महाविद्यालय		सम्पूर्ण महाविद्यालय	
		कुल	महिला	कुल	महिला	कुल	महिला	कुल	महिला
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१—	फैजाबाद	—	—	५	१	१	—	६	१
२—	बहराइच	—	—	३	१	—	—	३	१
३—	गोंडा	—	—	३	—	—	—	३	—
४—	प्रतापगढ़	—	—	७	—	—	—	७	—
५—	सुल्तानपुर	—	—	५	—	—	—	५	—
६—	बाराबंकी	—	—	१	—	—	—	१	—
फैजाबाद मंडल		—	—	२४	२	१	—	२५	२
७—	गोरखपुर	—	—	१२	—	१	१	१३	१
८—	आजमगढ़	१	—	१२	१	१	—	१४	१
९—	बस्ती	—	—	७	१	१	—	८	१
१०—	देवरिया	१	१	८	—	२	—	११	१
गोरखपुर मंडल		२	१	३९	२	५	१	४६	४
११—	वाराणसी	५	—	१४	४	—	—	१९	४
१२—	बलिया	—	—	१०	१	१	—	११	१
१३—	गाजीपुर	१	१	७	—	१	—	९	१
१४—	जौनपुर	—	—	१३	—	१	—	१४	—
१५—	मिर्जापुर	१	—	३	१	—	—	४	१
वाराणसी मंडल		७	१	४७	६	३	—	५७	७
१६—	इलाहाबाद	—	—	१०	३	६	४	१६	७
१७—	फर्रूखाबाद	—	—	८	१	१	—	९	१
१८—	कानपुर	—	—	२०	८	१	—	२१	८
१९—	फतेहपुर	—	—	१	—	१	—	२	—
२०	इटावा	—	—	५	—	—	—	५	—
इलाहाबाद मंडल		—	—	४४	१२	९	४	५३	१६
२१—	देहरादून	१	—	६	२	—	—	७	२
२२—	उत्तरकाशी	१	—	—	—	—	—	१	—
२३—	टेहरीगढ़वाल	१	—	—	—	—	—	१	—
२४—	पौड़ीगढ़वाल	४	—	—	—	—	—	४	—
२५—	चमोली	३	—	—	—	—	—	३	—
गढ़वाल मंडल		१०	—	६	२	—	—	१६	२

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२६—	नैनीताल	३	—	१	—	—	—	४	—
२७—	पिथौरागढ़	३	—	—	—	—	—	३	—
२८—	अल्मोड़ा	३	—	१	१	—	—	४	१
कुमायूँ मंडल		९	—	२	१	—	—	११	१
२९—	झाँसी	—	—	—	४	१	—	४	१
३०—	ललितपुर	—	—	१	—	—	—	१	—
३१—	हमीरपुर	२	—	१	—	—	—	३	—
३२—	जालौन	—	—	४	—	—	—	४	—
३३—	बाँदा	१	१	२	—	—	—	३	१
झाँसी मंडल		३	१	१२	१	—	—	१५	२
३४—	आगरा	—	—	१३	५	—	—	१३	५
३५—	अलीगढ़	—	—	६	२	—	—	६	२
३६—	एटा	—	—	४	१	१	—	५	६
३७—	मैनपुरी	—	—	६	१	—	—	६	१
३८—	मथुरा	—	—	७	२	—	—	७	—
आगरा मंडल		—	—	३६	११	१	—	३७	११
३९—	बरेली	—	—	५	२	—	—	५	२
४०—	पीलीभीत	१	—	१	—	—	—	२	—
४१—	शाहजहाँपुर	—	—	२	—	—	—	२	—
४२—	बदायूँ	—	—	२	—	—	—	२	—
बरेली मंडल		१	—	१०	२	—	—	११	२
४३—	मुरादाबाद	—	—	११	३	—	—	१	२
४४—	रामपुर	२	१	—	—	—	—	२	१
४५—	बिजनौर	—	—	६	२	—	—	६	२
मुरादाबाद मंडल		२	१	१७	५	—	—	१९	६
४६—	मेरठ	—	—	१४	४	२	१	१६	५
४७—	गाजियाबाद	—	—	११	२	—	—	११	२
४८—	बुलन्दशहर	—	—	१०	१	—	—	१०	१
४९—	मुजफ्फरनगर	१	१	७	१	—	—	८	२
५०—	सहारनपुर	—	—	१०	३	—	—	१०	३
मेरठ मंडल		१	१	५२	११	२	१	५५	१३
५१—	लखनऊ	—	—	१९	१०	—	—	१९	१०
५२—	हरदोई	१	—	२	१	—	—	३	१
५३—	लखीमपुर खीरी	—	—	३	१	—	—	३	१
५४—	रायबरेली	१	—	३	—	१	—	५	—
५५—	सीतापुर	१	—	३	१	१	—	५	—
५६—	उन्नाव	—	—	२	१	—	—	२	१
लखनऊ मंडल		३	—	३२	१४	२	—	३७	१४
कुल योग उत्तर प्रदेश		३८	५	३२१	६९	२३	६	३८२	८०

परिशिष्ट—२.५

जनपदवार औसत जन संख्या प्रति महाविद्यालय तथा औसत महिला जन संख्या प्रति महिला महाविद्यालय वर्ष १९८०-८१

क्रम सं०	जनपद	कुल जनसंख्या (जन गणना १९८१) (अन्तिम)	महाविद्यालयों की संख्या	जन संख्या प्रति महा-विद्यालय	महिलाओं की जन संख्या, जन गणना १९८१ (अन्तिम)	महिला महा-विद्यालयों की सं०	महिला जनसंख्या प्रति महिला महाविद्यालय
१	२	३	४	५	६	७	८
१—	फैजाबाद	२३६९४८७	६	३९४९१४	११४४९५०	१	११४४९५०
२—	बहराइच	२२२०९९८	३	७४०३३३	१०२४२००	१	१०२४२००
३—	गोण्डा	२८९५८५६	३	९६५२८५	१३५७१८६	—	—
४—	प्रतापगढ़	१८०६८३३	७	२५८११९	९७८०५०	—	—
५—	सुल्तानपुर	२०३७९७४	५	४०७५९५	१००३१९६	—	—
६—	बाराबंकी	२०१३६००	१	२०१३६००	९३०७६६	—	—
फैजाबाद मण्डल		१३३४४७४३	२५	५३३७९०	६३६८३४८	२	३१८४१७४
७—	गोरखपुर	३७९५७३५	१३	२९१९८०	१८३९२७०	१	१८३९२७०
८—	आजमगढ़	३५४१२६१	१४	२५२९४७	१७८९८९९	१	१७८९८९९
९—	बस्ती	३५७६७८३	१८	४४७०९८	१७२३११४	१	१७२३११४
१०—	देवरिया	३४७७३५०	११	३१६१२३	१७३५०४३	१	१७३५०४३
गोरखपुर मण्डल		१४३,९११२९	४६	३१२८५१	७०८७३२६	४	१७७१८३२
११—	वाराणसी	३६८९९०८	१९	१९४२०६	१७५३११९	४	४३८२८०
१२—	बलिया	१९२५६३३	११	१७५०५८	९५४२५४	१	९५४२५४
१३—	गाजीपुर	१९४१६६५	९	२१५७४१	९६७५७४	१	९६७५७४
१४—	जौनपुर	२५२७४९२	१४	१८०५३५	१२६९७३९	—	—
१५—	मिर्जापुर	२०४०५६१	४	५१०१४०	९५९७७०	१	९५९७७०
वाराणसी मण्डल		१२१,२५२५९	५७	२१२७२४	५९०४५६	७	८४३४९४
१६—	इलाहाबाद	३७८१३०६	१६	२३६३३२	१७७९३०६	७	२५४१८७
१७	फर्रुखाबाद	१९४७७०८	९	२१६४१२	८८१४५४	१	८८१४५४
१८—	इटावा	१७४७४४३	५	३४९४८९	७९३४६६	—	—
१९	कानपुर	३७८७१३४	२१	१८०३४०	१७१८७१४	८	२१४८३९
२०	फतेहपुर	१५६५६७७	२	७८२८३९	७३९८७२	—	—
इलाहाबाद मण्डल		१२८२९२६८	५३	२४२०६२	५९१२८१२	१६	३६९५५१
२१—	देहरादून	७५८२४१	७	१०८३२०	३४१२०५	२	१७०६०३
२२	उत्तरकाशी	१८९१०२	१	१८९१०२	८९२४०	—	—
२३	टेहरी गढ़वाल	४९३८१९	१	४९३८१९	२५९०९१	—	—
२४—	पौड़ी गढ़वाल	६२३६१७	४	१५५९०४	३३२५०२	—	—
२५—	चमोली	३३४२३१	३	१२१४१०	१८५९३९	—	—
गढ़वाल मण्डल		२४२९०१०	१६	१५१८१३	१२०७९७७	२	६०३९८९

१	२	३	४	५	६	७	८
२६—	पिथौरागढ़	४७६४५२	३	१५६८१७	२४६१५६	—	—
२७—	अल्मोड़ा	७४७५५७	४	६८८६८१	३६२६१८	१	३६२६१८
२८—	नैनीताल	११३१८७६	४	२८२६६६	५१७५६६	—	—
कुमायूँ मण्डल		२३५८८८५	११	२१४४४४	११५६६७३	१	—
२६—	झाँसी	११३७७१४	४	२८४४२६	५२६४६८	१	५२६४६८
३०—	ललितपुर	५८४६८६	१	५८४६८६	२७०३६७	—	—
३१—	हमीरपुर	११६३२२३	३	३६७७४१	५५०७६७	—	—
३२—	जालौन	६८७४३२	४	२४६८५८	४५०३४३	—	—
३३—	बाँदा	१५३७६०३	३	५१२६३४	७१३८३५	१	७१३८३५
झाँसी मण्डल		५४४१२६१	१५	३६२७५१	२५१४७८०	२	१२५७३६०
३४—	आगरा	२८६१३८१	१३	२२०१०६	१२६४२१४	५	२५८८४३
३५—	अलीगढ़	२५६४७४८	६	४२७४५८	११७०६५४	२	५८५३२७
३६—	एटा	१८३७५६५	५	३६७५१३	८३२२१६	५	८३२२१६
३७—	मैनपुरी	१७२३४४१	६	२८७२४०	७८४ ६६	१	७८४१६६
३८—	मथुरा	१५५५२३६	७	२२२१७७	६६७६०८	२	३४८८०४
आगरा मंडल		१०५४२३७४	३७	२८४६२६	४७७८८८	११	४३४४४४
३६—	बरेली	२२६४६३४	५	४५२६२७	१०२७८२४	२	५१३६१२
४०	बदायूँ	१६६३८३२	२	६८१६१६	८७७८२५	—	—
४१—	पीलीभीत	१०१०८३६	२	५०५४२०	४६३६३०	—	—
४२—	शाहजहाँपुर	१६४८०६५	२	८२४०३३	७३८६५७	—	—
बरेली मण्डल		६८८७३७०	११	६२६१२५	३१०८२३६	२	१५५४११८
४३—	मुरादाबाद	३१५१२६४	११	२८६४८१	१४४१३४८	३	४८०४४६
४४—	रामपुर	११७७०२२	२	५८८५११	५३८६१८	१	५३८६१८
४५—	बिजनौर	१६२५६३७	६	३२०६४०	८६२२०५	२	४४६१०३
मुरादाबाद मण्डल		६२५३३६५३	१६	३२६१५५	२८७२१७१	६	४७८६६५
४६—	मेरठ	२७६७१०१	१६	१७२६४४	१२६३०११	५	२५२६०२
४७—	गाजियाबाद	१८७०४७३	११	१७००४३	८५०३२२	२	४२५१६१
४८—	बुलन्दशहर	२३४६६०३	१०	२३४६६०	१०६०४८५	१	१०६०४८५
४६—	मुजफ्फरनगर	२२८८३८७	८	२८६०४८	१०४७३२३	२	५२३६६२
५०—	सहारनपुर	२६७३१३६	१०	२६७३१४	१२१३६८३	३	४०४५६१
मेरठ मण्डल		११६४८७००	५५	२ ७२४६	५४६४८२४	१३	४२०३१७
५१—	लखनऊ	२०१७११७	१६	१०६१०४	६२५४२०	१०	६२५४२
५२—	हरदोई	२२७६६ ६	३	७५६६७३	१०३२३५०	१	१०३२३५०
५३—	खीरी	१६६४००७	३	६५४६६६	८६६८१५	१	८६६८ ५
५४—	रायबरेली	१८८६६७५	५	३७७३६५	६१५५८८	—	—
५५—	सीतापुर	२३३६४५०	५	४७७२६०	१०७०३३४	१	१०७०३३४
५६—	उन्नाव	७८२ ५६४	२	६१०७६७	८५७३८१	१	८५७३८१
लखनऊ मण्डल		१२३०६०६२	३७	३३२५६६	५७००८८८	१४	४०७२०६
योग पर्वतीय क्षेत्र		४७८७८६५	२७	१७७३२६	२३६४६५०	३	७८८२१७
योग मैदानी क्षेत्र		१०६०७०१२४	३५५	२६८७८२	४६७१२७२१	७७	६४५६२०
कुल योग उत्तर प्रदेश		११०८५८०१	३८२	२६०२०४	५२०७७३७६	८०	६५०६६७

परिशिष्ट—२.६

जनपदवार ३०० तथा १०० से कम विद्यार्थी संख्या वाले सह-शिक्षा तथा महिला महाविद्यालयों की संख्या

क्रम सं०	जनपद	३०० से कम विद्यार्थी संख्या वाले महाविद्यालय		योग	१०० से कम विद्यार्थी संख्या वाले महाविद्यालय		योग
		सहशिक्षा	महिला		सहशिक्षा	महिला	
१	२	३	४	५	६	७	८
१—	फैजाबाद	१	—	१	—	—	—
२—	बहराइच	—	१	१	—	—	—
३—	प्रतापगढ़	१	—	१	—	—	—
	फैजाबाद मंडल	२	१	३	—	—	—
४—	गोरखपुर	१	१	२	—	—	—
५—	आजमगढ़	३	१	४	—	—	—
६—	बस्ती	१	१	२	—	—	—
७—	देवरिया	—	१	१	—	—	—
	गोरखपुर मंडल	५	४	९	—	—	—
८—	वाराणसी	३	१	४	१	—	१
९—	बलिया	१	१	२	—	—	—
१०—	गाजीपुर	२	—	२	—	—	—
११—	जौनपुर	२	—	२	—	—	—
१२—	मिर्जापुर	१	१	२	—	—	—
	वाराणसी मंडल	९	३	१२	१	—	१
१३—	इलाहाबाद	—	७	७	—	३	३
१४—	फर्रुखाबाद	२	१	३	—	—	—
१५—	कानपुर	३	२	५	—	—	—
	इलाहाबाद मंडल	५	१०	१५	—	३	३
१६—	देहरादून	१	१	२	—	—	—
१७—	टेहरी गढ़वाल	१	—	१	१	—	१
१८—	पौड़ी गढ़वाल	३	—	३	२	—	२
१९—	चमोली	२	—	२	१	—	१
	गढ़वाल मंडल	७	१	८	४	—	४
२०—	पिथौरागढ़	२	—	२	—	—	—
२१—	अल्मोड़ा	२	१	३	१	१	२
	कुमायू, मंडल	४	१	५	१	१	२
२२—	हमीरपुर	१	—	१	—	—	—
२३—	जालौन	२	—	२	१	—	१
२४—	बाँदा	—	१	१	—	—	—
	झाँसी मंडल	३	१	४	१	—	१
२५—	आगरा	२	१	३	—	—	—
२६—	अलीगढ़	१	—	१	—	—	—
२७—	एटा	—	१	१	—	—	—
२८—	मैनपुरी	१	१	२	१	—	१
२९—	मथुरा	२	१	३	—	—	—
	आगरा मंडल	६	४	१०	१	—	१

३० –	बरेली	—	१	१	—	—	—
३१ –	पीलीभीत	१	—	१	—	—	—
३२ –	बदायूँ	१	—	१	—	—	—
	बरेली मंडल	२	१	३	—	—	—
३३ –	मुरादाबाद	३	१	४	—	—	—
३४ –	बिजनौर	—	१	१	—	—	—
	मुरादाबाद मंडल	३	२	५	—	—	—
३५ –	मेरठ	३	२	५	—	२	२
३६ –	गाजियाबाद	२	—	२	—	—	—
३७ –	बुलन्द शहर	४	१	५	१	—	१
३८ –	मुजफ्फर नगर	—	१	१	—	१	१
३९ –	सहारनपुर	२	१	३	—	—	—
	मेरठ मंडल	११	५	१६	१	३	४
४० –	लखनऊ	२	२	४	—	—	—
४१ –	हरदोई	१	१	२	—	—	—
४२ –	रायबरेली	३	—	३	१	—	१
४३ –	सीतापुर	२	—	२	—	—	—
४४ –	उन्नाव	—	१	१	—	—	—
	लखनऊ मंडल	८	४	१२	१	—	१
	कुल योग उत्तर प्रदेश	६५	३७	१०२	१०	७	१७

परिशिष्ट २.७

जनपदवार स्नातक, स्नातकोत्तर महाविद्यालयों एवं छात्र-छात्राओं की संख्या तथा औसत विद्यार्थी संख्या प्रति महाविद्यालय

वर्ष १९८०-८१

क्रम संख्या	जनपद का नाम	महाविद्यालयों की संख्या			विद्यार्थियों की संख्या			औसत विद्यार्थी संख्या
		स्नातक	स्नातकोत्तर	योग	छात्र	छात्रा	योग	प्रति महाविद्यालय
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१—	फैजाबाद	४	२	६	५५३८	८३१	६३६९	१०६२
२—	बहराइच	२	१	३	१३९९	२९७	१६९६	५६५
३—	गोंडा	—	३	३	२५०८	३६७	२८७५	९५८
४—	प्रतापगढ़	४	३	७	३९९५	३१८	४३१३	६१६
५—	सुल्तानपुर	२	३	५	३४१६	१९२	३६०८	७२२
६—	बाराबंकी	—	१	१	१०४७	१४०	११८७	११८७
	फैजाबाद मंडल	१२	१३	२५	१७९०३	२ ४५	२००४८	८०२
७—	गोरखपुर	१२	१	१३	१०१२५	८६७	१०९९२	८४६
८—	आजमगढ़	१०	४	१४	१०७२२	९८९	११७११	८३६
९—	बस्ती	६	२	८	७३९१	४५६	७८४७	९८१
१०—	देवरिया	८	३	११	१३२८४	६०५	१३८८९	१२६३
	गोरखपुर मंडल	३६	१०	४६	४१५२२	२९१७	४४४३९	९६६
११—	वाराणसी	१६	३	१९	१२३४८	२६१८	१४९६६	७८८
१२—	बलिया	९	२	११	८७१३	५९३	९३०६	८४६
१३—	गाजीपुर	७	२	९	५४००	६५४	६०५४	६७३
१४—	जौनपुर	१२	२	१४	९९१४	४१६	१०३५७	७४०
१५—	मिर्जापुर	३	१	४	२१६०	३०१	२४६१	६१५
	वाराणसी मंडल	४७	१०	५७	३८५६२	४५८२	४३१४४	७५७
१६—	इलाहाबाद	१३	३	१६	१६३०६	१७२४	१८०३०	११२७
१७—	फर्रुखाबाद	६	३	९	४८३६	७२८	५५६४	६१८
१८	कानपुर	९	१२	२१	२२३८४	८२८५	३०६६९	१४६०
१९	फतेहपुर	२	—	२	८८६	५४	९४०	४७०
२०	इटावा	२	३	५	५७९८	४९३	६२९१	१५५८
योग	इलाहाबाद मंडल	३२	२१	५३	५०२१०	११२८४	६१४९४	११६०
२१	देहरादून	१	६	७	५९७४	२९७४	८९४८	१२७८
२२	उत्तरकाशी		१	१	४१०	९०	५००	५००
२३	टेहरीगढ़वाल	१		१	३५	७	४२	४२
२४	पौड़ी गढ़वाल	३	१	४	९७४	२६५	१२३९	३१०
२५	चमोली	१	२	३	९५०	१४१	१०९१	३६४
	गढ़वाल मण्डल	६	१०	१६	८३४३	३४७७	११८२०	७३९

२६—	नैनीताल	—	४	४	७३०२	६४६	३३७६	८४४
२७—	पिथौरागढ़	२	१	३	१३६०	३१४	१७०४	५६८
२८—	अल्मोड़ा	२	२	४	४०३	२१२	६१५	१५४
कुमायूँ मंडल		४	७	११	४५२३	११७२	५६६५	५१८
२९—	झाँसी	१	३	४	४०७६	१३१६	५३६२	१३४८
३० -	ललितपुर	१	—	१	२४१	७६	३१७	३१७
३१—	हमीरपुर	२	१	३	१५०२	२८	१५३०	५१०
३२—	जालौन	३	१	४	२८२६	४२१	३२४७	८१२
३३ -	बाँदा	१	२	३	२७३२	३६२	३१२४	१०४१
झाँसी मंडल		८	७	१५	११३७७	२२३३	१३६१०	६०७
३४—	आगरा	६	७	१३	१६६३	६०७६	११८०७२	१३६०
३५—	अलीगढ़	३	३	६	८१८८	२०१०	१०१६८	११७००
३६—	एटा	२	३	५	३०४७	५०३	३५५०	७१०
३७—	मैनपुरी	३	३	६	४६२२	५७१	५१६३	८६५
३८—	मथुरा	४	३	७	३७३१	११४५	४८७६	६६७
आगरा मंडल		१८	१६	३७	३१५८१	१०३०८	४१८८६	११३२
३९—	बरेली	३	२	५	५०६३	१६७६	७:४२	१४०८
४०—	पीलीभीत	—	२	२	१०१०	२१६	१२२६	६१४
४१ -	शाहजहाँपुर	१	१	२	१३२०	१६४	१५१४	७५७
४२—	बदायूँ	१	१	२	११२७	२३४	१३६१	६८१
बरेली मंडल		५	६	११	८५२०	२६२६	१११४६	१०१३
४३—	मुरादाबाद	६	५	११	७०३१	२६४०	६६७१	८७६
४४—	रामपुर	—	२	२	१०४५	५०६	१५५१	७५५
४५—	बिजनौर	३	३	६	४२४०	८०७	५०४७	८४१
मुरादाबाद मंडल		६	१०	१६	१२३१६	३६५३	१६२६६	८५६
४६—	मेरठ	६	७	१६	१४५८८	५०१४	१६६०२	१२२५
४७ -	गाजियाबाद	५	६	११	७८८६	२६६२	१०५८१	६६२
४८ -	बुलन्दशहर	६	४	१०	५२११	१०३६	६२५०	६२५
४९ -	मुजफ्फरनगर	५	३	८	५६३४	१४५७	७०६१	८८६
५०—	सहारनपुर	५	५	१०	५२६६	२७६२	८०३१	८०३
मेरठ मंडल		३०	२५	५५	३८५६१	१२६६४	५१५५५	६३७
५१	लखनऊ	६	—	१६	१७२६४	६४७०	२३७३४	१२४६
५२—	हरदोई	३	—	३	१६५६	३०५	१६६१	६५३
५३—	लखीमपुर खीरी	२	१	३	२४६५	५५६	३०२१	१००७
५४ -	रायबरेली	४	१	५	२६६१	२६०	२६५१	५६०
५५ -	सीतापुर	३	२	५	१६२२	५३२	२४५४	४६१
५६ -	उन्नाव	१	१	२	१५४४	२२७	१७७१	८८५
लखनऊ मंडल		३२	५	३७	२७५४२	८३५०	३५८६२	६७०
योग पर्वतीय क्षेत्र		१०	१७	२७	१२८६६	४६४६	१८५१५	६४६
योग मैदानी क्षेत्र		२२६	१२६	३५५	२७८१२४	६१३६२	३३६४८६	६५६
कुल योग उत्तर प्रदेश		२३६	१४३	३८२	२६०६६०	६६०११	३५७००१	६३५

टिप्पणी :—सूचनायें उच्च शिक्षा निदेशालय स्तर पर उपलब्ध स्टाफ स्टेटमेंट रजिस्टर, १९८०-८१ Information about Institution of Higher Education. एच० ई० एस०–१, १९८०-८१ तथा उर्दू कक्षायें खोलने के सम्बन्ध में महाविद्यालयों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सम्पादित हैं। जिन महाविद्यालयों से वर्ष १९८०-८१ की सूचना नहीं प्राप्त हो सकी है उनके स्थान पर सांख्यिकी अनुभाग शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त आँकड़े प्रयोग में लाये गये हैं। प्रदेश के दो महाविद्यालयों की विद्यार्थी संख्या ज्ञात न हो सकने के कारण उन्हें तालिका में सम्मिलित नहीं किया जा सका है, उनके नाम निम्न हैं :—

१–श्री सालिग राम स्मारक डिग्री कालेज, रासना, मेरठ

२–किसान डिग्री कालेज, सेवरही, तमकुही रोड, देवरिया।

———

परिशिष्ट–२.८

जनपदवार पुरुष एवं महिला अध्यापकों की संख्या औसत अध्यापक संख्या प्रति महाविद्यालय तथा औसत विद्यार्थी संख्या प्रति अध्यापक वर्ष १९८०-८१

क्रम सं०	जनपद/मण्डल महावि० सं०		अध्यापक संख्या			औसत अध्यापक प्रति महाविद्यालय	औसत विद्यार्थी सं० प्रति अध्यापक
			पुरुष	महिला	योग		
१	२	३	४	५	६	७	
१–	फैजाबाद	६	१९५	१६	२११	३५	३०
२–	बहराइच	३	५०	१०	६०	२०	२८
३–	गोंडा	३	१२९	१३	१४२	४७	२०
४–	प्रतापगढ़	७	१२०	१०	१३०	१९	३३
५–	सुल्तानपुर	५	११९	६	१२५	२५	२९
६–	बाराबंकी	१	१५	४	१९	१९	६२
फैजाबाद मंडल		२५	६२८	५९	६८७	२७	२९
७–	गोरखपुर	१३	२७७	२६	३०३	२३	३६
८–	आजमगढ़	१४	३४३	३४	३७७	२७	३१
९–	बस्ती	८	१६५	१३	१७८	२२	४४
१०–	देवरिया	११	२७७	२०	२९७	२७	४७
गोरखपुर मंडल		४६	१०६२	९३	११५५	२५	३८
११–	वाराणसी	१९	४५६	९८	५५७	२९	२७
१२–	बलिया	११	२४९	१३	२६२	२४	३६
१३–	गाजीपुर	९	१६०	२६	१८६	२१	३३
१४–	जौनपुर	११	३६६	११	३७७	२७	२७
१५–	मिर्जापुर	४	७१	१२	८३	२१	३०
वाराणसी मंडल		५७	१३०५	१६०	१४६५	२६	२९
१६	इलाहाबाद	१६	३८६	११२	४९८	३१	३६
१७–	फर्रूखाबाद	९	१३६	१६	२५२	२८	२२
१८–	कानपुर	२१	७६६	३४८	१११४	५३	२८
१९–	फतेहपुर	२	४५	२	४७	२४	२०
२०–	इटावा	५	२०२	७	२०९	४२	३०
इलाहाबाद मंडल		५३	१५५३	४८५	२०२०	३८	३०
२१–	देहरादून	७	२७६	८२	३५८	५१	२५
२२–	उत्तरकाशी	१	३५	५	४०	४०	१३
२३–	टेहरी गढ़वाल	१	४		५	५	८
२४–	पौड़ीगढ़वाल	४	७५	११	८६	२२	१४
२५–	चमोली	३	५४	९	६३	२१	१७
गढ़वाल मंडल		१६	४४४	१०८	५५२	३५	२१
२६–	नैनीताल	४	८५	१६	१०१	२५	३५
२ –	पिथौरागढ़	३	९०	१२	१०२	३४	१७
२८–	अल्मोड़ा	४	३६	१४	५०	१३	१२
कुमायूँ मण्डल		११	२११	४२	२५३	२३	२३

२९–	झांसी	४	१०७	१७	१२४	३१	४३
३०–	ललितपुर	१	७	१	८	९	४०
३१–	हमीरपुर	३	६५	१	६६	२२	२३
३२–	जालौन	४	९८	१६	११४	२९	२८
३३–	बांदा	३	११९	१८	१३६	४५	२३
झांसी मण्डल		१५	३९५	५३	४४८	३०	३०
३४–	आगरा	१३	५४७	१९८	७४५	५७	२४
३५–	अलीगढ़	६	३१७	७०	३८७	६५	२६
३६–	एटा	५	१०५	१३	११८	२४	३१
३४–	मैनपुरी	५	१५५	१६	१७१	२९	३१
३८–	मथुरा	७	१८२	३५	२१७	३१	२२
आगरा मण्डल		३७	१३०६	३३२	१६३८	४४	२६
३९–	बरेली	५	१७९	५३	२३२	४६	३०
४०–	पीलीभीत	२	२७	४	३१	१६	४०
४१–	शाहजहांपुर	२	७२	३	७५	३८	२०
४२ -	बदायूँ	४	४०	३	४३	२२	३२
बरेली मण्डल		११	३१८	६३	३७१	३५	२९
४३–	मुरादाबाद	११	२९३	१११	४०३	३७	२४
४४–	रामपुर	२	७५	३०	१०५	५३	१५
४५–	बिजनौर	६	१४३	३७७	१८०	३०	२८
मुरादाबाद मण्डल		१९	५१०	१७८	६८८	३६	२४
४६–	मेरठ	१६	५६७	२०२	७६९	४८	२५
४७–	गाजियाबाद	११	४१६	७३	४८९	४४	२२
४८–	बुलन्द शहर	१०	२२६	३४	२६०	२६	२४
४९–	मुजफ्फरनगर	८	२५६	३२	२८८	३६	२५
५०–	सहारनपुर	१०	२५०	६४	३१४	३१	२६
मेरठ मण्डल		६५	१७१५	४०५	२१२०	३९	२४
५१–	लखनऊ	१४	४०४	२४२	६४६	३४	३७
५२–	हरदोई	३	४९	१३	६२	२१	३२
५३–	लखीमपुर खीरी	३	५६	१८	७४	२५	४१
५४–	रायबरेली	५	१०९	१२	१२१	२४	२४
५५–	सीतापुर	५	४०	२३	६३	१३	३९
५६–	उन्नाव	२	४९	२३	७२	३६	२५
लखनऊ मण्डल		३७	७०७	३९३	१०३८	२८	३५
योग पर्वतीय क्षेत्र			६५५	१५०	८०५	३०	२२
योग मैदानी क्षेत्र			९४८१	२१५९	११६४०	३३	२९
कुल योग उत्तर प्रदेश			०१३६	२३०९	१२४४५	३३	२९

टिप्पणी :—सूचनायें, उच्च शिक्षा निदेशालय स्तर पर उपलब्ध--

१९८०-८१ तथा उर्दू कक्षायें खोलने के सम्बन्ध में महाविद्यालयों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सम्पादित हैं। जिन महाविद्यालयों की वर्ष १९८०-८१ की सूचना नहीं प्राप्त हो सकी है, उनके स्थान पर सांख्यिकी अनुभाग, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त आंकड़े प्रयोग में लाये गये हैं। प्रदेश के दो महाविद्यालयों की अध्यापक संख्या ज्ञात न हो सकने के कारण उन्हें तालिका में सम्मिलित नहीं किया जा सका है, उनके नाम निम्न हैं :-

(१) श्री सालिगराम स्मारक डिग्री कालेज, रासना, मेरठ

(२) किसान डिग्री कालेज, सेवरही, तमकुही रोड, देवरिया

परिशिष्ट ३.१

विभिन्न राज्यों की औसत जनसंख्या प्रति विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत औसत विद्यार्थी संख्या प्रति विश्वविद्यालय

वर्ष १९७९-८०

क्रम संख्या	प्रदेश/केन्द्र शासित राज्य	विश्वविद्यालय संख्या	जनसंख्या वर्ष १९८० (अन्तिम)	औसत जनसंख्या प्रति विश्व-विद्यालय	कुल विद्यार्थी संख्या	औसत विद्यार्थी प्रति संख्या विश्वविद्यालय
१	२	३	४	५	६	७
१—	आन्ध्र प्रदेश	९	५३४०३६१९	५९३३७३५	१६५०३७	१८३३७
२—	असम/मणिपुर	३	२१३३६५१७	७११२०६	५९७१२	१९९०४
३—	बिहार	९	६९८२३१५४	७७५८१२८	१२५०३५	१३८९३
४—	गुजरात	९	३३६९०९०५	३७४३४२४	१६९८७८	१८८७५
५—	हरियाणा	३	१२८५०९०२	४२८३६३४	६२५८२	२६८६१
६—	हिमांचल प्रदेश	२	४२३७५६९	२११८७८५	११८४९	५९२५
७—	जम्मू और कश्मीर	२	५९८१६००	२९९०८००	१७९९३	८९९७
८—	कर्नाटक	५	३७०४३४५१	७४०८६९०	१८२६७५	३६५३५
९—	केरल	४	२५४०३२१७	६३५०८०४	१०६२९७	२६५७४
१०—	मध्य प्रदेश	१०	५२१३१७१७	५२१३१७२	२००१३४	२००१२
११—	महाराष्ट्र	११	६२६९३८९८	५६९९४४५	३३८२११	३०३८३
१२—	मेघालय/नागालैंड	१	२१०११५५	२१०११५५	७१७०	७१७०
१३—	उड़ीसा	४	२६२७२०५४	६५६८०१४	५०४१२	१२६०३
१४—	पंजाब	४	१६६६९७५५	४१६७४३९	११२१३९	२८०३५
१५—	राजस्थान	४	३४१०२९१२	८५२५७२८	१४४४८१	३६११०
१६—	तामिलनाडु	६	४८२९७४५६	८०४९५७६	१८४२९५	३०७१६
१७—	उत्तर प्रदेश	२०	११०८५८०१९	५५४२९०१	४३१५८४	२१५७९
१८—	पश्चिमी बंगाल/ त्रिपुरा/सिक्किम	८	५६८६१४३१	७१०७६७९	२०८२७४	२६०३४
१९—	दिल्ली	५	६१९६४१४	१२३९८३	७४८६१	१४९७२
कुल योग		११९	६८३८१००५१	५७४६३०३	२६४८५७९	२२२५७

* प्रक्षेपित आंकड़े

स्रोत : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रिपोर्ट, वर्ष १९७९-८० एवं जनगणना १९८१

टिप्पणी : स्तम्भ ६ में विश्वविद्यालय, उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं की सम्मिलित विद्यार्थी संख्या दर्शायी गयी है।

परिशिष्ट ३.२

विभिन्न राज्यों की उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या छात्रा संख्या एवं छात्राओं का प्रतिशत

वर्ष १९७९-८०

क्रम संख्या	प्रदेश/संघ शासित राज्य	कुल विद्यार्थी संख्या	छात्राओं की संख्या	छात्राओं का प्रतिशत
१	२	३	४	५
१—	आन्ध्र प्रदेश	१, ६५, ०३७	४१, ३९४	२५.१
२—	असम/मणिपुर	५९, ७१२	१५, ८५७	२६.६
३—	बिहार	१, २५, ०३५	१५, १२३	१२.१
४—	गुजरात	१, ६९, ८७८	४७, ००९	२७.७
५—	हरियाणा	६२, ५८२	१९, ०७५	३०.५
६—	हिमांचल प्रदेश	११, ८४९	३, १४७	२६.६
७—	जम्मू और कश्मीर	१७, ९९३	५, ७१०	३१.७
८—	कर्नाटक	१, ८२, ६७५	४१, १६४	२२.५
९—	केरल	१, ०६, २९७	४८, ६५४	४५.८
१०—	मध्य प्रदेश	२, ००, १३४	४८, ९१४	२४.४
११—	महाराष्ट्र	३, ३४, २११	९७, ९०४	२९.३
१२—	मेघालय/नागालैंड	७, १७०	२, २७२	३१.७
१३—	उड़ीसा	५०, ४१२	८, ०७२	१६.०
१४—	पंजाब	१, १२, १३९	४३, ३३०	३८.६
१५—	राजस्थान	१, ४४, ४४१	२६, ७६५	१८.५
१६—	तामिलनाडू	१, ८४, २९५	५४, ५०५	२९.६
१७—	उत्तर प्रदेश	४, ३१, ५८४	७९, ३२२	१८.४
१८—	पश्चिमी बंगाल/ त्रिपुरा/सिक्किम	२, ०८, २७४	६२ ०७२	२९.८
१९—	दिल्ली	७४ ८६१	२८, ७५३	३८.४
सम्पूर्ण योग		२६, ४८, ५७९	६, ८९, ०४२	२६.०

स्रोत : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रिपोर्ट, वर्ष १९७९-८०

परिशिष्ट ३.३

प्रदेशवार (वर्ष १९७५-७६ से वर्ष १९७९-८० तक) विद्यार्थी संख्या में वृद्धि

क्रम संख्या	प्रदेश/संघ शासित राज्य	१९७५-७६ विद्यार्थी संख्या	१९७९-८० विद्यार्थी संख्या	चार वर्षों में वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर (प्रतिशत)
१	२	३	४	५	६
—	आन्ध्र प्रदेश	१, ५८, १९३	१, ६५, ०३७	६, ८४४	१.०
२—	असम/मणिपुर	४१, ५२२	५९, ७१२	१८, १९०	९.५
३—	बिहार	९९, ४३४	१, २५, ०३५	२५, ६०१	५.९
४—	गुजरात	१, ७४, ६९६	१, ६९ ८७८	−४, ८१८	−०.७
५—	हरियाणा	५८, ५६५	६२, ५८२	४, ०१७	१ ६
६—	हिमांचल प्रदेश	११, ९४९	११, ८४९	− १००	−०.२
७—	जम्मू कश्मीर	२०, ७३८	१७, ९९३	−२ ७४५	−३.५
८—	कर्नाटक	१, ४२, ०२७	१, ८२, ६७५	४० ६४८	६.५
९—	केरल	७८, ८५४	१, ०६, २९७	३७, ४४३	७.७
१०—	मध्य प्रदेश	१, ५६, २५२	२, ००, १३४	४३, ८८२	६.४
११—	महाराष्ट्र	३, ०९, ५७५	३, ३४, २११	२४, ६३६	२.०
१२—	मेघालय/नागालैंड	४, ७५६	७, १७०	२, ४१४	१० ९
१३—	उड़ीसा	४४, ३४८	५०, ४१२	६, ०६४	३.२
१४—	पंजाब	१, ०५, ७१५	१, १२, १३९	६, ४२४	१ ५
१५—	राजस्थान	९७, ०१९	१, ४४, ४४१	४७, ४२२	१०.५
१६—	तामिलनाडु	१, ६२, ७३४	१, ८४, २९५	२१, ५६१	३.१
१७—	उत्तर प्रदेश	३, ५१, ४८३	४, ३१, ५८४	८०, १०१	५.३
१८—	पश्चिम बंगाल/ त्रिपुरा/सिक्किम	३, २६, १६७	२, ०८, २७४	−१, १७, ८९३	−१ .६
१९—	दिल्ली	८२, ०८२	७४ ८६१	−७ २२१	−२ ३
कुल योग		२४ २६ १०९	२६, ४८ ५७९	२, २२ ४७०	२.२

स्रोत : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रिपोर्ट १९७९-८०

परिशिष्ट ३.४

प्रदेशवार वर्ष १९७५-७६ से १९७९-८० तक कुल सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि

(केवल कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय)

क्रम संख्या	प्रदेश/संघ शासित राज्य	महाविद्यालयों की संख्या			प्रतिशत वृद्धि
		१९७५-७६	१९७९-८०	कुल वृद्धि	
१	२	३	४	५	६
१—	आन्ध्र प्रदेश	२०४	२२९	२५	१२ ३
२—	असम/मणिपुर	११७	१४४	२७	२३.१
३—	बिहार	१९४	२२९	३५	१८.०
४—	गुजरात	१८८	१८३	–५	–२.७
५—	हरियाणा	९५	९४	–१	–८.१
६—	हिमांचल प्रदेश	२०	२२	–२	१०.०
७—	जम्मू और कश्मीर	२२	२२	०	०
८—	कर्नाटक	२२७	२५१	२४	१०.६
९—	केरल	१००	१२२	२२	२२.०
१०—	मध्य प्रदेश	२३९	२४०	१	.४
११—	महाराष्ट्र	४०६	४२७	२१	५.२
१२—	मेघालय/नागालैंड	२१	२२	१	४.८
१३—	उड़ीसा	८६	९२	६	७.०
१४—	पंजाब	१६७	१६८	१	०.६
१५—	राजस्थान	९३	११४	२१	२२.६
१६—	तामिलनाडु	१८५	१९७	१२	६.५
१७—	उत्तर प्रदेश	३४६	३८०	३४	९.८
१८—	पश्चिम बंगाल	२४७	२५७	१०	४.१
	त्रिपुरा/सिक्किम				
१९—	दिल्ली	३८	३७	–१	–२.६
कुल योग		२ ९९५	३ २३०	२३५	७.८

*स्रोत : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रिपोर्ट, वर्ष १९७९-८०
निदेशालय स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है।

परिशिष्ट ३.५

प्रदेश वार वर्ष १९७५-७६ से १९७९-८० तक सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि

(केवल कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय)

क्रम संख्या	प्रदेश/संघ शासित राज्य	स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या १९७५-७६	१९७९-८०	कुल वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
१	२	३	४	५	६
१—	आन्ध्र प्रदेश	११	१३	२	१८.२
२—	असम/मणिपुर	५	३२	—३	—६०.०
३—	बिहार	१	३	२	२००.०
४—	गुजरात	५६	१२	—४४	—७८.५
५—	हरियाणा	१३	१७	४	३०.८
६—	हिमांचल प्रदेश	१	१	—	००.०
७—	जम्मू एव कश्मीर	—	—	—	—
८—	कर्नाटक	३	२	—१	—३३.३
९—	केरल	४१	४९	—८	१९.५
१०—	मध्य प्रदेश	११६	११८	२	१.७
११—	महाराष्ट्र	१२३	१५२	२९	२३.५
१२—	मेघालय/नागालैंड	—	—	—	—
१४—	उड़ीसा	—३	—८	५	१६६.६
१३—	पंजाब	३४	४१	७	२०.६
१५—	राजस्थान	१७	३८	२१	१२३.५
१६—	तामिलनाडु	६०	८६	२६	४३.३
१७—	उत्तर प्रदेश	१०६	१२७	२१	१९.१
१८—	पश्चिम बंगाल/ त्रिपुरा/सिक्किम	५	६	१	२०.०
१९—	दिल्ली	—	—	—	—
कुल योग		५९५	६७५	८०	१३.४

स्रोत : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रिपोर्ट वर्ष १९७९-८०

परिशिष्ट ४.१

उच्च शिक्षा निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों की सूची

१–डा० सतोश चन्द्र गुप्त	शिक्षा निदेशक
२–डा० ओंकार नाथ श्रीवास्तव	संयुक्त शिक्षा निदेशक
३–डा० त्रिलोकी नाथ श्रीवास्तव	महाविद्यालय विकास अधिकारी
४–श्रीमती रेणु कौल	उप शिक्षा निदेशक
५–श्री आर० वी० जी० बली	उप निदेशक (सांख्यिकी)
६–श्री सुरेश बिहारी सक्सेना	सहायक शिक्षा निदेशक
७–श्री श्रीराम उपाध्याय	सहायक शिक्षा निदेशक
८–श्री ज्वालानाथ रैना	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
९–डा० लालता प्रसाद वर्मा	सहायक उप शिक्षा निदेशक
१०–डा० रामाधार मिश्र	सहायक उप शिक्षा निदेशक
११–श्री आत्माराम द्विवेदी	लेखाधिकारी
१२–श्री सूर्य कुमार पांडेय	सांख्यिकी शोध अधिकारी
१३–श्री जय प्रकाश यादव	सांख्यिकी शोध अधिकारी
१४–कुमारी शशि श्रीवास्तव	सांख्यिकी शोध अधिकारी
१५–श्री बी० के० माहेश्वरी	सहायक लेखाधिकारी
१६–श्री सी० पी० सिंह	सहायक लेखाधिकारी

परिशिष्ट ४.२

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाविद्यालयों को जाने वाली सहायता

क्रम संख्या	मद	सहायता का अश [% में]
१	२	३
(क) महाविद्यालयों को प्राथमिक सहायता		
	"१–फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम" शिक्षकों की अल्पकालीन फैलोशिप को सम्मिलित करते हुए ।	१००
	२–पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के लिए सहायता (बुक बैङ्क सहित)	१००
	३–आवश्यक उपकरण	१००
(ख) स्नातक शिक्षा से विकास हेतु		
	१–शिक्षक, तकनीकी स्टाफ तथा पुस्तकालय के लिए व्यावसायिक स्टाफ	७५
	२–पुस्तकें और पत्रिकायें	७५
	३–उपकरण (पुस्तकालयों के लिए आवश्यक साज-सज्जा को सम्मिलित करते हुए)	७५
	४–महाविद्यालय पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं का भवन विस्तार	५०
	५–वर्कशाप शेड और पशुबाड़ा	५०
	६–पुरुष छात्रावास	५०
	७–महिला छात्रावास	७५
	८–निवास तथा शिक्षकों के होस्टल	५०
	९–प्रसार कार्यक्रम	७५
	१०–फैकेल्टी इम्पूवमेंट प्रोग्राम	१००
	११- कैन्टीन भवन	५०
	१२–वर्तमान छात्रावासी की सुविधाओं में सुधार	५०
(ग) स्नातकोत्तर शिक्षाओं के विकास हेतु		
	१–शैक्षिक तथा तकनीकी स्टाफ	१००
	२–पुस्तकें और पत्रिकायें	१००
	३- फैकल्टी इम्पूवमेंट प्रोग्राम	१००
	४–शैक्षिक भवन निर्माण	५०
	५–प्रसार मार्यक्रम	७५

स्रोत :—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रिपोर्ट, १९७९-८० ।

परिशिष्ट ४.३

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों को वर्ष १९७९-८० में दिये गये अनुदान का विवरण (रुपये लाख में)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय	ह्यूमेनीटीज	विज्ञान	अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी	संघटक/सहयुक्त महाविद्यालय का विकास	विविध योजना	विविध व्यय	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	आगरा विश्वविद्यालय	६.००	—	—	१.५०	०.५०	—	८.००
२	मेरठ विश्वविद्यालय	६.१८	९.२९	—	६.४३	०.१७	—	२२.०७
३	लखनऊ विश्वविद्यालय	७.३७	२७.२६	—	०.५३	१९.९१	०.१०	५५.१७
४	कानपुर विश्वविद्यालय	१.५०	१.००	—	३.००	०.५३	—	६.०३
५	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	४.९०	१०.४९	३.७५	०.०८	१.२३	०.०५	२०.५०
६	गोरखपुर विश्वविद्यालय	१.००	२.४५	—	६.९४	२.८२	—	१३.२१
७	गढ़वाल विश्वविद्यालय	०.१९	१.२४	—	०.०५	०.४०	—	१.८८
८	कुमायूँ विश्वविद्यालय	०.१३	३.३७	—	०.८०	०.२५	—	४.५५
९	काशी विद्यापीठ	०.५६	—	—	०.३४	१.८४	—	२.७४
१०	डा० सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय	३.९३	—	—	—	२.३४	—	६.२७
११	गोविन्द बल्लभ कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय	—	०.०८	—	—	०.२८	०.०४	०.४०
१२	रूड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय	३.५४	२१.६३	५९.६६	—	१५.८०	०.०७	१००.७०
	कुल योग	३५.३०	७६.८१	६३.४१	१९.६७	४६.०७	०.२४	१.५२

स्रोत : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रिपोर्ट, वर्ष १९७९-८०

परिशिष्ट–४.४

प्रदेश के महाविद्यालयों को वर्ष १९७९-८० में दिये गये अनुदान का विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं०	विश्वविद्यालय जिनके अंतर्गत महाविद्यालय आते हैं	ह्यूमेनीटीज	विज्ञान	अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी	संघटक/सहयुक्त सम्बद्ध महाविद्यालयों का विकास	विविध कार्यक्रम	विविध व्यय	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	आगरा विश्वविद्यालय	०.१८	१.१८	--	६.३२	१.२३	०.०२	८.९१
२	मेरठ विश्वविद्यालय	०.५५	१.२४	—	१८.६३	०.३४	—	२०.७८
३	लखनऊ विश्वविद्यालय	०.०१	०.१०	—	४.४३	०.०५	—	४.५९
४	कानपुर विश्वविद्यालय	०.०१	०.८५	—	७.२८	१.२४	—	९.३८
५	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	—	०.१५	—	१.१७	०.३६	—	१.६८
६	गोरखपुर विश्वविद्यालय	०.५६	०.२८	—	१४.३०	१.३२	—	१६.४६
७	गढ़वाल विश्वविद्यालय	०.०६	०.३८	—	१.६१	०.२६	—	२.३१
८	कुमायूं विश्वविद्यालय	०.१२	०.०५	—	०.०१	—	—	०.१८
९	अवध विश्वविद्यालय	०.१६	०.३०	—	५.५१	०.६८	—	६ ६५
१०	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय	—	०.०७	—	३.४७	०.२७	—	३.८१
११	रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय	०.०६	०.३८	—	६.२८	०.११	—	६.८३
	कुल योग	१.७१	४.९८	--	६९.०	५.८६	०.०२	८१.५८

स्रोत : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रिपोर्ट १९७९-८०

परिशिष्ट—५.१

उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति व्यय का विवरण (वर्ष १९७६–७७ से ८०–८१ तक)

(रुपये हजार में)

क्रम सं०	नाम छात्रवृत्ति	१९७६–७७	१९७७–७८	१९७८–७९	१९७९–८०	१९८०–८१
१	२	३	४	५	६	७
१—	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के पुत्रों को योग्यता छात्रवृत्ति	१५२	१५०	१३०	११३	१२२
२—	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	३२१२	३३६६	२८१६	२८३०	३१०४
३—	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों/आश्रितों के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं एवं छात्रवृत्तियां	४२०	३७०	३३६	३१९	३६५
४—	माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां।	५८	५८	५८	५४	५४
५—	विश्वविद्यालयों के छात्रों को विशेष छात्र वेतन तथा पुस्तकों की व्यवस्था।	१७०	१७०	१७०	१७०	१७०
६—	प्रतिरक्षा कर्मचारियों/युद्धरत/पी० ए० सी० जवान/१९७१ के आक्रमण से प्रभावित १९६२, ६५ वर्ष ७१ के युद्ध में कार्यरत पुलिस/सामरिक क्षेत्र में अंगहीन, वीरगति को प्राप्त/अयोग्य घोषित सैनिक कर्मचारियों के बच्चों एवं विधवाओं एवं आश्रितों को छात्रवृत्ति/छात्रवेतन।	७३	७१	१६१	१७०	१५४
७–	इण्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज नयी दिल्ली में शोध करने वाले उ० प्र० के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां।	२९	१?	२०	२२	२२
८—	वर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीय राष्ट्रीयकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा।	०.५४	—	—	—	—
९—	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं में योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति।	८.५	८.५	८.५	९	९
१०—	बांगलादेश के विस्थापितों को निःशुल्क शिक्षा।	०.५७	०.६६	०.१७	—	—
११	स्नातक एवं स्नातकोत्तर पर विद्यार्थियों को अतिरिक्त वर्सरी सहायता।	—	—	—		८२५
१२	उत्तराखन्ड के सामान्य प्राविधिक कक्षाओं के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति।	२५१	२७८	२५०	२९६	३३५
१३—	राजकीय महाविद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्तियां एवं छात्रवेतन।	—	—	१५८	१९६	१९८
१४—	असेवित क्षेत्रों के छात्रों की छात्रवृत्तियां।	—	—	—	—	२००

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No....2444........
Date...1/5/8)..............
NIEPA DC
D02444